शुक्रवार,
१३ मार्च, १९५३

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

Preservation

लोक सभा

शुक्रवार, १३ मार्च, १९५३

सदन की बैठक दो बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

***७३३. सरदार हुक्म सिंह:** **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेष पुलिस स्थापना को स्थायी बना देने का निर्णय किया है;

(ख) १९५२ में विशेष पुलिस स्थापना ने कितने मामलों में कार्रवाई की; तथा

(ग) १९५२ में विशेष पुलिस स्थापना द्वारा कितने मामलों में चालान किया गया था और कितने मामलों में दंड दिलाया गया था ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) सरकार ने अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया ।

(ख) ८६५ ।

(ग) १९५२ में १९७ मामलों में चालान किया गया था । २५० मामले और भी विचाराधीन थे, जिन का चालान पहले वर्षों में किया गया था । इस वर्ष ८२ मामलों में दंड दिलाया गया था ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इस विभाग पर प्रति वर्ष कितना रुपया खर्च होता है ?

श्री दातार: लगभग १८ लाख रुपये ।

सरदार हुक्म सिंह: क्या यह सत्य है कि सरकार को इस विभाग के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

श्री दातार: हमें कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई ।

श्री वी० पी० नायर: मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि इसे कायम रखने का एक कारण यह है कि इस समय उन स्थानों पर जहां प्रधान मंत्री तथा अन्य माननीय मंत्री जाते हैं, पहले से पुलिस के सिपाही भेजने पड़ते हैं ?

श्री दातार: यह बिल्कुल सत्य नहीं है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: कितने मामले अभी विचाराधीन हैं ?

श्री दातार : मैं ने आंकड़े बतला दिये हैं । इस वर्ष के आरम्भ में २५० मामले विचाराधीन थे ?

सरदार हुक्म सिंह: क्या यह सत्य है कि विशेष पुलिस स्थापना ने कुछ मामलों में चालान उच्चाधिकारियों को देर से पेश करने के लिए स्पष्टीकरण दिये हैं और वे उन रिकार्डों को जिन की मामलों की जांच के लिए आवश्यकता होती है अपने आप प्रस्तुत नहीं करते ?

श्री दातार: जी नहीं, श्रीमान् ।

श्री एस० एन० दास: मैं जान सकता हूं कि विशेष पुलिस स्थापना राज्यों में किस हद तक कार्यवाही कर सकी है ?

श्री दातार: राज्य सरकारों से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं; हमारा सम्बन्ध केवल भारत सरकार के कर्मचारियों से और भाग (ख) राज्यों से है ।

श्री एस० एन० दास: मैं जान सकता हू कि क्या सरकार का ध्यान योजना आयोग के इस सुझाव की ओर दिलाया गया है कि इस स्थापना को राज्यों में भी काम करना चाहिए ?

श्री दातार: जी हां ।

अविभक्त भारत के भूतपूर्व कर्मचारी

०७३४. **सरदार हुक्म सिंह:** गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अविभक्त भारत सरकार के उन भूतपूर्व कर्मचारियों के बारे में जिन्होंने अपना अतिन्म विकल्प पाकिस्तान में सेवा करने के लिए दिया था, परन्तु जिन्हें बाद में अपने पद छोड़ने पड़े थे, कोई अन्तिम निर्णय किया गया है; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या इस निर्णय के अनुसार उन्हें उन लोगों के समान समझा जायेगा जिन्हों ने भारत के लिए विकल्प दिया था ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) विकल्पों के वास्तविक परिवर्तन को अन्योन्य आधार पर स्वीकार करने के लिए पाकिस्तान सरकार के साथ समझौता हो जाने के बाद यथासंभव शीघ्र अन्तिम निर्णय किया जायेगा। पाकिस्तान सरकार का ध्यान समय समय पर इस विषय की ओर दिलाया गया है और अब उसे एक विशिष्ट तिथि तक अपना अन्तिम उत्तर दे देने के लिए कहा गया है ।

(ख) इस अवस्था पर उत्पन्न नहीं होता ।

सरदार हुक्म सिंह: क्या इस वर्ग के प्रति विभेदकारी व्यवहार करने के कोई विशेष कारण थे ?

श्री दातार: उन के प्रति कोई विभेदकारी व्यवहार नहीं किया जा रहा परन्तु चूंकि हमें एकपक्षीय रूप से कुछ वित्तीय भार उठाना पड़ेगा इसलिए पाकिस्तान सरकार से इस मामले पर बातचीत की जा रही है ।

सरदार हुक्म सिंह: क्या सरकार यह समझती है कि पाकिस्तान के प्रति उस का यह कर्तव्य या दायित्व है या वह यह समझती है कि उस का पहला कर्तव्य उन लोगों को सुविधायें देना है जिन्होंने भारत के लिए विकल्प दिया था ?

श्री दातार: यह हमारा पहला कर्तव्य है परन्तु उन परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना है जिन के अधीन इन्होंने पाकिस्तान के लिए विकल्प दे दिया था । बाद में इन्हें भारत में आना पड़ा है । अत: मानवता के नाते हम उन की कुछ सहायता कर रहे हैं ।

सरदार हुक्म सिंह: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन अभागे लोगों को, जिन के प्रार्थना पत्र अब तक स्वीकार नहीं किये गये, कोई सुविधाएं दी गई हैं ?

श्री दातार: कुछ सुविधाएं दी गई हैं ।

सरदार हुक्म सिंह: मैं जान सकता हूं किये सुविधाएं क्या हैं ?

श्री दातार: विस्तार के बारे में मुझे पूर्वसूचना चाहिए ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: समझौता हो जाने के बाद, क्या यह पूर्वी बंगाल पर भी लागू होगा ?

श्री दातार : इस पर विचार किया जायेगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: क्या इस पर अभी विचार नहीं किया गया ?

श्री दातार: सारे मामले पर बाद में विचार किया जायेगा ।

श्री गिडवानी: क्या यह सत्य है कि उन में से बहुत से कर्मचारी इस लिये जल्दी नहीं आ सके थे, क्योंकि पाकिस्तान प्राधिकारियों ने उन्हें मुक्त नहीं किया था ?

श्री दातार: हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

श्री गिडवानी: क्या सरकार को कोई ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिस में कारण बतलाये गये हों ?

श्री दातार: जहां तक मुझे ज्ञात है, हमें कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : माननीय मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान सरकार को एक विशिष्ट तिथि तक अपना उत्तर दे देने के लिए कहा गया है । हम जान सकते हैं कि वह तिथि क्या है ?

श्री दातार: जून, १९५३ । हम पाकिस्तान सरकार को याद दिलाते रहे हैं । फ़रवरी में हमें यह उत्तर मिला था कि मामला उस के विचाराधीन है । अत: हम ने उस से प्रार्थना की है कि जून के अन्त तक जानकारी दे दी जाये ।

निवारक निरोध अधिनियम

***७३५. सरदार हुक्म सिंह:** गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, १९५२ से आज तक निवारक निरोध अधिनियम, १९५० के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में कितने व्यक्ति गिरफ्तार और निरुद्ध किये गये हैं; तथा

(ख) इन में से कितने मंत्रणा पर्षदों द्वारा रिहा कर दिये गये थे ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). १-८-१९५२ से २८-२-१९५३ तक क्रमश: ४०१ और ७४. ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं जान सकता हूं कि इस की तफ़सील क्या है : अर्थात् कितने व्यक्ति विदेशी शक्तियों के साथ भारत का सम्बन्ध या भारत की सुरक्षा सम्बन्धी उपबन्ध के अन्तर्गत, कितने राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था सम्बन्धी उपबन्ध के अन्तर्गत और कितने सारभूत प्रदाय तथा सेवा संधारण सम्बन्धी उपबन्ध के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये थे ?

श्री दातार: मझे पूर्वसूचना चाहिए ।

सरदार हुक्म सिंह: क्या किसी विदेशी को निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था ?

श्री दातार: मुझे पूर्वसूचना चाहिए ।

सरदार हुक्म सिंह: मैं जान सकता हूं कि क्या निरोध का कोई ऐसा मामला भी था जिस में राज्य सरकार ने राज्य के एक पदाधिकारी द्वारा जारी किये निरोध आदेश का समर्थन नहीं किया था ?

श्री दातार: ऐसे कुछ मामले हैं जिन में राज्य सरकार ने निरोध प्राधिकारी द्वारा दिये गये कारण स्वीकार नहीं किये थे और उन्हें रिहा कर दिया गया था ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: अपने बम्बई के दौरे के दौरान में माननीय मंत्री ने कहा था कि निवारक निरोध अधिनियम को जारी रखने के प्रश्न पर संसद् में एक संकल्प द्वारा पुनर्विचार किया जायेगा । मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का एक संकल्प सदन के समक्ष लाने का विचार है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : मेरे माननीय मित्र ने केवल उस आश्वासन की ओर निदश किया था जो कि उस समय दिया गया था जबकि विधेयक पर विचार हो रहा था अर्थात् इस वर्ष के जाड़े में मैं एक ज्ञापन परिचालित करूंगा जिस में बतलाया जायेगा कि अधिनियम को किस प्रकार कार्यान्वित किया गया है, कितने व्यक्तियों को निरुद्ध किया गया है इत्यादि और इस प्रश्न पर चर्चा करने के लिए एक दिन नियत किया जायेगा। ये आश्वासन अब भी कायम है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं माननीय उपमत्री के उस वक्तव्य की ओर निर्देश कर रहा हूं जो कि उन्होंने हाल ही बम्बई में दिया था और जिस म उन्होंने कहा था कि ऐसा जाड़े के सत्र के बाद किया जायेगा।

श्री दातार: मैं यह बतलाना चाहूंगा कि मैं ने वह वक्तव्य उस आश्वासन के प्रकाश में दिया था जो कि माननीय मंत्री ने गत वर्ष दिया था।

सरदार हुक्म सिंह: मैं जान सकता हूं कि ऐसे मामले कितने हैं जिन में नज़रबन्द स्वयं मंत्रणा पर्षद् के समक्ष उपस्थित हुए थे?

श्री दातार: मुझे पूर्वसूचना चाहिए।

श्री वी० वी० नायर: मैं जान सकता हूं कि इन में से कितने व्यक्तियों को चोर बाज़ारी के विशिष्ट अपराध में निरुद्ध किया गया था?

श्री दातार: मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

डा० सुरेश चन्द्र: मैं उन व्यक्तियों की संख्या जान सकता हूं जिन के मामले न्यायालयों तथा उच्च-न्यायालयों द्वारा अवैध घोषित किये गये थे?

श्री दातार: मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। एक मामले में ऐसी घोषणा की गई थी।

श्री धूसिया: मैं जान सकता हूं कि क्या निरुद्ध किये गये व्यक्तियों में कोई सरकारी कर्मचारी या विधान मंडल के सदस्य भी थे?

श्री दातार: मेरे पास यह जानकारी नहीं है?

श्री सारंगधर दास: माननीय मंत्री के उत्तर की ओर निर्देश करते हुए, मैं जान सकता हूं कि क्या उन का निर्देश गत जाड़े की ओर था या आगामी जाड़े की ओर?

डा० काटजू: आगामी अर्थात् १९५३ का जाड़ा।

श्री अमजद अली: क्या किसी अवसर पर माननीय गृह-कार्य मंत्री ने स्वयं कुछ मामलों की जांच की है?

डा० काटजू: मैं इस प्रश्न को नहीं समझ सका, क्योंकि ऐसा अवसर उत्पन्न ही नहीं होता। अधिनियम में जो प्रक्रिया निश्चित की गई है, वह बहुत कठोर है। निरुद्ध व्यक्ति को पांच दिन के अन्दर अन्दर निरोध के कारण बतला दिये जाते हैं और मंत्रणा पर्षद् मामले को तुरन्त अपने क्षेत्राधिकार में ले लेता है और २ १/२ मासों में मामला निपटा देता है।

उपाध्यक्ष महोदय: मेरे विचार में माननीय मंत्री के लिए स्वयं जांच करना आवश्यक नहीं है।

डा० काटजू: यह आवश्यक नहीं है। अतः मंत्रणा पर्षद् के निर्णय के स्थान पर मैं अपना निर्णय नहीं देना चाहता।

श्री के० के० बसु: मैं जान सकता हूं कि क्या किसी ऐसे व्यक्ति को जिस ने हाल में पारपत्र प्रणाली जारी होने के बाद सीमांत पार किया हो, निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत निरुद्ध किया गया है?

श्री दातार : हमारे पास कोई जानकारी नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

डा० राम सुभग सिंह : श्रीमान्, प्रश्न संख्या ७३६ ।

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : क्या मैं प्रश्न संख्या ७३६ और ७३७ का उत्तर एक साथ दे सकता हूं ? ये प्रश्न एक जैसे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां ।

पाकिस्तान से जैसलमेर आये हुये हरिजन विस्थापित व्यक्ति

०७३६. डा० राम सुभग सिंह : पुनर्वास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि पाकिस्तान से जैसलमेर आये हुए लगभग १० हज़ार हरिजन विस्थापित व्यक्तियों को विवश होकर स्थल मार्ग से इस लिये पाकिस्तान वापस जाना पड़ा क्योंकि यहां उन के पुनर्वास तथा सहायता की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई थी ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : जी नहीं । लगभग ५० परिवार काम की तलाश में अपने निवास स्थान से चले गये थे, परन्तु यह ज्ञात नहीं कि वे पाकिस्तान को चले गये हैं या भारत के किसी अन्य प्रदेश को ।

गंगा नगर में पुनर्वासित विस्थापित व्यक्ति

***७३७. डा० राम सुभग सिंह : पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि गंगानगर जिले में पुनर्वासित किये गये कुछ विस्थापित व्यक्ति सुविधायें न मिलने के कारण पाकिस्तान वापिस चले गये हैं ।

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : कहा जाता है कि ५ या ६ परिवार वापिस चले गये हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या उन परिवारों को, जो कि माननीय मंत्री के उत्तर के अनुसार वहां से चले गये हैं उचित आश्रय देने के लिए सरकार की ओर से कोई प्रयत्न किया गया था ?

श्री ए० पी० जैन : विस्थापित व्यक्तियों को उचित आश्रय और जीविकोपार्जन के साधन देने के लिए सब प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

श्री धूसिया : मैं जान सकता हूं कि उन के वापस चले जाने के मुख्य कारण क्या थे ?

श्री ए० पी० जैन : जहां तक पहले ५० परिवारों का सम्बन्ध है, वे काम ढूंढने के लिए चले गये थे और जहां तक अन्य ५ या ६ परिवारों का सम्बन्ध है, उन्हों ने अन्तिम तिथि निकल जाने के बाद भूमि के लिए प्रार्थनापत्र दिये थे । उस समय कुछ बारानी भूमि शेष रह गई थी, और उन्हें यह पेश की गई थी परन्तु वे इसे अस्वीकार कर के वापस चले गये ।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि कितने विस्थापित हरिजनों को कृषि योग्य भूमि तथा आवश्यक प्रारम्भिक पूंजी दी गई है ?

श्री ए० पी० जैन : मुझे इस प्रश्न के लिए पूर्वसूचना चाहिए, क्योंकि सारे भारत के बारे में हैं ।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि उन विस्थापित हरिजनों की जो पाकिस्तान लौट गये थे क्या दशा हुई है ?

श्री ए० पी० जैन : पांच या छः परिवार लौट गये हैं किन्तु मैं नहीं कह सकता कि उन की क्या दशा है ।

श्री रामानन्द दास : मैं जान सकता हूं कि पुनर्वास मंत्रालय विस्थापित हरिजनों के लिए क्या करता है ?

श्री ए० पी० जैन : वह इन के पुनर्वास का प्रबध करता है ।

श्री रघुनाथ सिंह : यह हरिजन सिख थे कि हिन्दू थे ?

श्री ए० पी० जैन: वे हरिजन थे । मैं नहीं जानता कि वे सिख हरिजन थे या हिन्दू हरिजन थे ।

श्री नानादास: मैं जान सकता हूं कि कितने विस्थापित हरिजनों को पुनः बसाया गया है और विस्थापित हरिजनों को किस तरह पुनः बसाया जा रहा है ।

श्री ए० पी० जैन: उन में से बहुत से व्यक्तियों को भूमि दे कर बसाया गया है । अन्य व्यक्तियों को अन्य व्यवसायों में लगाया गया है ।

श्री एम० आर० कृष्ण: मैं जान सकता हूं कि अनुसूचित जाति के विस्थापित व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है; आवंटित कृषि योग्य भूमि कुल कितने एकड़ है और उन के पुनर्वास पर कुल कितना रुपया खर्च किया गया है ?

श्री ए० पी० जैन: मेरे पास इस समय सारे भारत के सम्बन्ध में आंकड़े नहीं हैं । यदि पूर्व सूचना दी जाये, तो मैं यह आंकड़े बतला सकूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न ।

भूतपूर्व राज्यों की सेनाओं को लेना

*७३८. **श्री चरक:** (क) रक्षा मंत्री ह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि भूतपूर्व राज्य सेनाओं और उन के पदाधिकारियों को भारत सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य सेना पदाधिकारियों को अल्पकालीन सेवा नियमित कमीशन तो दिये गये हैं परन्तु उन की कार्यक्षमता की परीक्षा करने के लिए उन्हें सैनिक सेवा चुनाव बोर्डों के सामने नहीं भेजा गया ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

श्री चरक: मैं जान सकता हूं कि इन जम्मू तथा काश्मीर राज्य सेना पदाधिकारियों को चुनाव बोर्ड के सामने भेजने का कब विचार है और अब तक जो विलम्ब हुआ है उस का क्या कारण है ?

श्री सतीश चन्द्र: जम्मू तथा काश्मीर की सेना को अभी तक मिलाया नहीं जा सका, यद्यपि व्यावहारिक रूप से यह भारत सरकार के नियन्त्रण में है । इस सेना के मिलाये जाने के तुरन्त पश्चात् पदाधिकारियों को सैनिक सेवा बोर्ड के सामने भेजा जायेगा ।

श्री एस० सी० सामन्त: मैं जान सकता हूं भारतीय सेना कर्मचारियों में इन पदाधिकारियों की वरिष्ठता कैसे निश्चित की गई थी ?

श्री सतीश चन्द्र: वरीयता निश्चित नहीं की गई । व्यावहारिक कारणों से जम्मू तथा काश्मीर की सेना को अभी तक भारतीय सेना में नहीं मिलाया गया । ऐसा होने के बाद इस प्रश्न का निर्णय किया जायेगा ।

श्री एस० सी० सामन्त: मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि भाग (क) के सम्बन्ध में क्या प्रणाली अपनाई गई थी ?

श्री चरक: मैं जान सकता हूं कि जम्मू तथा काश्मीर की सेना को मिलाने में सरकार के सामने क्या कठिनाइयां हैं ?

श्री सतीश चन्द्र: काश्मीर में सैनिक कार्यवाही हो रही थी; इस लिए सरकार इस प्रश्न पर विचार नहीं कर सकी । किन्तु सरकार का यथासंभव शीघ्र ऐसा करने का इरादा है । जैसा कि मैं ने कहा है, राज्य की सेना पूर्णतया भारत सरकार के नियन्त्रण में है ।

श्री चरक: क्या यह सत्य नहीं है कि काश्मीर में सैनिक कार्यवाही १ जनवरी, १९४९ से समाप्त हो गई थी ?

श्री सतीश चन्द्र: निस्सन्देह युद्ध विराम हो गया था किन्तु आपात काल की स्थिति तो अब भी है।

श्री चरक: क्या मैं यह समझ लूं कि युद्ध विराम के बाद भी कार्यवाही जारी है?

उपाध्यक्ष महोदय : यह तर्क का प्रश्न है। प्रतीत होता है कि सैनिक कार्यवाही अभी हो सकती है। अगला प्रश्न।

सचिवालय तथा संलग्न कार्यालयों में स्टेनोग्राफ़र

*७३९. **श्री पुन्नूस :** (क) **गृह-कार्य मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय सचिवालय तथा संलग्न कार्यालयों में कुल कितने स्टेनोग्राफ़र काम करते हैं?

(ख) उन में से कितने अस्थायी और कितने स्थायी हैं?

(ग) गत पांच वर्षों में इन में से कितनों को केन्द्रीय सचिवालय सेवा में सुपरिन्टेन्डेन्ट बनाया गया है?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) १४५०.

(ख) अस्थायी—८७१

स्थायी—५७९

(ग) १३।

श्री पुन्नूस: मैं जान सकता हूं कि क्या कोई परीक्षा रखी गई थी और क्या उन स्टेनोग्राफ़रों को जो कि उस समय सेवा में थे इस में बैठने के लिए कहा गया था?

श्री दातार: कुछ परीक्षाएं रखी गई थीं।

श्री पुन्नूस: मैं जान सकता हूं कि क्या उस समय यह परीक्षा अनिवार्य कर दी गई थी और स्थायी होने के लिए इस परीक्षा को पास करना एक अनिवार्य शर्त बना दी गई थी?

श्री दातार: मुझे विदित नहीं कि यह परीक्षा अनिवार्य कर दी गई थी। पदोन्नति का पात्र होने के लिए स्टेनोग्राफ़र इस परीक्षा में बैठ सकते थे।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि क्या किसी श्रेणी के स्टेनोग्राफ़रों को उन की सेवा की अवधि को ध्यान में रखते हुए इस परीक्षा में बैठने से विमुक्त कर दिया गया था?

श्री दातार: जी हां। आठ वर्षों की सेवा वालों को।

श्री बालकृष्णन्: मैं जान सकता हूं कि सचिवालय में काम करने वाले स्टेनोग्राफ़रों में से कितने योग्यताप्राप्त हैं और कितने योग्यताप्राप्त नहीं हैं?

श्री दातार: मुझे पूर्वसूचना चाहिए।

श्री रघुनाथ सिंह: उसमें हिन्दी जानने वाले स्टेनो कितने हैं?

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि परीक्षा में कितने बैठे थे और कितने उत्तीर्ण हुए हैं?

श्री दातार: ये आंकड़े मेरे पास नहीं हैं।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जान सकता हूं कि क्या स्टेनोग्राफ़रों की कोई योजना चाल की गई है? और यदि हां, तो कब से? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या यह उन स्टेनोग्राफ़रों पर भी लागू होती है जो कि इस समय सेवा में हैं?

श्री दातार: जी हां। केन्द्रीय सचिवालय सेवा स्टेनोग्राफ़र्स योजना नाम की एक योजना है। यह योजना विचाराधीन है और इसे बहुत शीघ्र क्रियान्वित किया जायेगा।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जान सकता हूं कि क्या इस योजना की उपेक्षा कर के स्टेनोग्राफ़र अब भी नियुक्त किये जा रहे हैं।

श्री दातार: उन की नियुक्ति किसी कारण विशेष से की गई है और जब योजना

लागू हो जायेगी, अन्य लोगों को भी अवसर मिलेगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं जान सकती हूं कि अब जो सुपरिन्टेन्डेन्ट काम कर रहे हैं, उन में कितने प्रत्यक्ष रूप से भर्ती किये गये हैं और कितने सीधे सेवा में से ?

श्री दातार : मुझे पूर्वसूचना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न सुपरिन्टेन्डेन्ट के बारे में नहीं स्टेनोग्राफ़र्स के बारे में है ।

श्री पुन्नूस : मैं जान सकता हूं कि यह परीक्षा कब से शुरू की गई थी ? इस के शरू हो जाने के बाद कितनी पदोन्नतियां दी गई हैं और इस में से उत्तीर्ण होने वाले व्यक्तियों में से कितनों को पदोन्नति दी गई है ?

श्री दातार : मुझे पूर्वसूचना चाहिए ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि इस प्रकार की परीक्षा रखने के क्या कारण थे ?

श्री दातार : ऐसी परीक्षा कार्यक्षमता के हित में आवश्यक थी ।

श्री जांगड़े : क्या मैं जान सकता हूं कि अभी आप ने स्टेनोग्राफरों की जितनी संख्या बतलाई उस में से हिन्दी जानने वाले कितने हैं ?

श्री दातार : मैं यह जानकारी नहीं दे सकता ।

श्री बी० पी० नायर : क्या यह सत्य है कि इस प्रकार की परीक्षाओं में अस्थायी सेवा को ध्यान में नहीं रखा गया था और ये केवल लिखने की क्षमता तक सीमित थे ?

श्री दातार : मेरे विचार में ऐसा नहीं था ।

श्री पुन्नूस : क्या सरकार को विदित है कि स्टेनोग्राफ़रों की यह आम शिकायत है कि उन की सेवा की शर्तें तथा कार्यक्षमता नज़रअन्दाज़ की गई है और पदोन्नतियां देने में विशेष पदाधिकारियों ने पक्षपात से काम लिया है ?

श्री दातार : पक्षपात से बिल्कुल काम नहीं लिया गया और इन पक्षों ने जो अभ्यावेदन किये हैं, वे विचाराधीन हैं ।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या यह सत्य है कि एक सुपरिन्टेन्डेन्ट जिसे इस प्रकार पदोन्नति दी गई थी वैदेशिक कार्यमंत्रालय में उपसचिव के पद पर पहुंच गया है और उस ने एक भारतीय मिशन के निसृष्टार्थ के पद पर काम किया है ?

श्री दातार : जी हां ।

डा० सुरेश चन्द्र : इस का कारण ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं स्टेनोग्राफ़रों के लिए अधिक समय नहीं दूंगा । अगला प्रश्न ।

छोटा नागपुर में युरेनियम शुद्ध करना

***७४०. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** (क) **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या युरेनियम को शुद्ध करने के लिए छोटा नागपुर में एक संयन्त्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

(ख) यदि हां, तो यह कब स्थापित किया जायेगा, इस पर कितना खर्च आयेगा और इस की मशीनरी हम कहां से आयात कर रहे हैं ?

(ग) इस फैक्टरी का अनुमानित वार्षिक उत्पादन क्या है ?

(घ) फैक्टरी में शुद्ध की गई युरेनियम किस काम में लाई जायेगी ?

(ङ) क्या उस के पास एक रियकटर स्थापित करने का भी प्रस्ताव है; यदि हां तो कहां और किस प्रयोजन के लिए ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) जी नहीं श्रीमान् ।

(ख) से (घ) . उत्पन्न नहीं होते ।

(ङ) जी नहीं, श्रीमान् ।

सरकारी कर्मचारी और शान्ति सम्मेलन

*७४१. **श्री ए० एन० विद्यालंकार:** **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शान्ति सम्मेलन के कार्यों में भाग लेने के लिए या विश्व शान्ति अपील पर हस्ताक्षर करने या दूसरों के हस्ताक्षर लेने के लिए सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है; तथा

(ख) यदि हां, तो कितने सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई की गई है ?

गृह कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख) . जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायेगी।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या इस का अर्थ यह है कि उन को जिन्हों ने इस में भाग लिया था शिकार बनाया जायेगा ?

श्री दातार: शिकार बनाने का कोई प्रश्न नहीं है; हम सोच रहे हैं कि हमें क्या पग उठाने हैं। ये तथाकथित शान्ति सम्मेलन केवल दिखलाने के होते हैं और शान्ति से इन का कोई सम्बन्ध नहीं होता ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या इस प्रकार की जानकारी उन लोगों के बारे में भी इकट्ठी की जा रही है जिन्हों ने एम० आर० ए० सम्मेलनों में भाग लिया था ?

बहुत से माननीय सदस्य उठे—

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय: यदि चार सदस्य एक साथ ही खड़े हो जायें तो प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जा सकता है । जब तक कि मैं सम्बन्धित सदस्य का नाम न पुकारूं, प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहियें । अब वे अपना प्रश्न पूछ सकती हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: क्या उन लोगों के बारे में भी जानकारी इकट्ठी करने का विचार है जिन्हों ने एम० आर० ए० सम्मेलन में भाग लिया है ?

श्री दातार: पहली बात तो यह है कि यह प्रश्न नितांत असंगत है, दूसरी यह कि एम० आर० ए० कोई राजनैतिक संस्था नहीं है। ये शान्ति सम्मेलन राजनैतिक दलों द्वारा आयोजित किये गये थे ।

श्री जी० पी० सिन्हा: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या इन शान्ति सम्मेलनों में रूस का या साम्यवादी प्रचार किया जा रहा है ?

श्री दातार: ठीक, ठीक यही कारण है ।

श्री एस० वी० रामास्वामी: क्या यह सत्य है कि ये सब सम्मेलन लौह आवरण के पीछे किये जा रहे हैं ?

श्री रघुरामय्या : मैं जान सकता हूं कि क्या रूस की सरकार सरकारी तौर पर इस का समर्थन कर रही है या केवल साम्यवादी दल ?

श्री दातार: जहां तक हमारा सम्बन्ध है, साम्यवादी दल ही इस के पीछे है । इस बात का तो केवल अनुमान लगाया जा सकता है कि रूसी सरकार इस के पीछे है या नहीं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: श्रीमान्, क्या सरकार को विदित है कि साम्यवादी दल इस के पीछे नहीं, इस के आगे है ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : मैं जान सकता हूं कि क्या साम्यवादी दल के सदस्यों के अतिरिक्त

अन्य सदस्य भी इस आन्दोलन में भाग ले रहे हैं ?

श्री दातार: अन्य लोगों ने भी गलती से यह समझते हुए कि यह एक शान्ति सम्मेलन है, इस में भाग लिया है ।

श्री एस० वी० रामास्वामी: क्या ये सब शान्ति सम्मेलन लौह आवरण के पीछे किये जाते हैं ? मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य उत्तर की आशा भी तो नहीं करते ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार: क्या सरकार यह समझती है कि अन्य सब लोग जो इस आन्दोलन में भाग लेते हैं, पथ-भ्रष्ट हैं ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : यह सब स्वयं व्यक्तियों पर ही निर्भर है ।

श्री के० के० बसु उठे--

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम अगला प्रश्न लेंगे । मैं नहीं चाहता कि मुझे गलत समझा जाये । उदाहरणतया आप पिछले प्रश्न को देखिए, मैं स्टेनोग्राफ़रों के विरुद्ध नहीं हूं । किन्तु मेरे विचार में उस का उत्तर पर्याप्त रूप से दे दिया गया था । जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि काफ़ी अनुपूरक प्रश्न पूछे जा चुके हैं ।

विमान इंजीनियरों का मांगा जाना

*७४३. **श्री एम० आर० कृष्ण:** रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या क्रियाकारी सेवा के लिए आधुनिक विमान बनाने में सहायता देने के लिए, किसी देश ने भारत को अपने इञ्जीनियर दिये हैं ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : किसी विदेशी सरकार से टेकनीशियन नहीं मांगे गये हैं । परन्तु हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लि० ने संविदा द्वारा पांच विदेशी इञ्जीनियरों की सेवाएं प्राप्त की हैं ।

श्री रघुनाथ सिंह: क्या ये विदेशी इञ्जीनियर अमेरिकन हैं या अंग्रेज़ हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : दो अंग्रेज़ हैं और तीन अमेरिकन हैं ।

श्री एम० आर० कृष्ण: ये विशेषज्ञ किन शर्तों पर भारत को दिये जाते हैं और पूरे समय के लिए उन पर कुल कितना रुपया खर्च होगा ?

श्री सतीश चन्द्र: मैं ने कहा है कि इन्हें हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लि० ने संविदा के आधार पर नियुक्त किया है । उन की सेवाएं किसी सरकार ने उधार नहीं दीं । यदि माननीय सदस्य उन के मासिक वेतन तथा भत्ते जानना चाहते हैं, तो मैं प्रत्येक मामले में पढ़ कर सुना दंगा । पूर्ण अवधि के व्यय का हिसाब लगाना पड़ेगा । मेरे पास कुल आंकड़े नहीं हैं । वे अभी हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट की सेवा में हैं और जब तक उन के संविदा की अवधि समाप्त न हो जाये, मैं कुल खर्च नहीं बतला सकता ।

श्री बी० एस० मूर्ति: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लि० में कोई भारतीय विमान इञ्जीनियर भी काम करते हैं और क्या उन की सेवा की शर्तें विदेशी विशेषज्ञों की सेवा की शर्तों के समान हैं ?

श्री सतीश चन्द्र: हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लि० में बहुत से भारतीय इञ्जीनियर हैं । वहां के दर्जनों इञ्जीनियरों में केवल पांच विदेशी इञ्जीनियर हैं । भारतीय इञ्जीनियरों की सेवा की शर्तें अन्य भारतीय इञ्जीनियरों की सेवा की शर्तों से, जो कि अन्य औद्योगिक समवायों में काम करते हैं मिलती जुलती हैं ।

श्री नानादास : इन विदेशी विशेषज्ञों के मासिक वेतन क्या हैं और एक भारतीय इञ्जीनियर का अधिकतम वेतन क्या है ?

श्री सतीश चन्द्र : विदेशी विशेषज्ञों के वेतन में अभी बतला सकता हूं । भारतीय इञ्जीनियरों के वेतन जानने के लिए एक और प्रश्न की सूचना देनी पड़ेगी ।

श्री के० के० बसु : मैं जान सकता हूं कि हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्टरी द्वारा तैयार किये गये विमान विदेशियों ने प्रारूपित किये थे या भारतीय नागरिकों ने ?

श्री सतीश चन्द्र : यह कहना कठिन है । ये सब इञ्जीनियर इकट्ठे काम करते हैं । हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट का वर्तमान मुख्य निर्माण इञ्जीनियर एक अंग्रेज़ है और अन्य इञ्जीनियर उस के अधीन काम करते हैं । चूंकि इतने इञ्जीनियर इकट्ठे काम करते हैं, इस लिए यह कहना कठिन है कि किसी व्यक्ति विशेष ने विमान का प्रारूप तैयार किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : उपमंत्री महोदय तर्क क्यों देते हैं ? उन्हें केवल एक दो तथ्य बतला कर चुप हो जाना चाहिए ।

श्री सारंगधर दास : इन विशेषज्ञों के साथ जो समझौता किया गया है, क्या उस में यह शर्त है कि वे भारतीयों को इतना प्रशिक्षित करें कि उनके जाने से पहले वे उन का काम संभाल लें ।

श्री सतीश चन्द्र : जी हां । भारतीय इञ्जीनियर उन के साथ काम कर रहे हैं और यथासमय उन का काम संभाल लेंगे ।

श्री के० के० बसु : क्या सरकार इस बात का खण्डन करने की स्थिति में है कि ये नये प्रारूप अंग्रेजों ने बनाये थे और जैसा कि सरकार का कहना है भारतीयों ने नहीं बनाये थे ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न की आज्ञा नहीं दूंगा ।

श्री पुन्नूस : क्या सरकार को विश्वास है कि ये विदेशी विशेषज्ञ इस लिए लाये गये थे क्योंकि भारतीय विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं थे ?

श्री सतीश चन्द्र : बिल्कुल । भारत में इस से पहले कभी कोई विमान नहीं बनाया गया ।

हिन्दी शिक्षा समिति

*७४४. **श्री एस० एन० दास :** शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, १९५२ में नियुक्त की गई हिन्दी शिक्षा समिति ने अब तक किस प्रकार का काम किया है;

(ख) क्या समिति ने केन्द्रीय सरकार से कोई सिफारिशें की हैं;

(ग) वे सिफारिशें किस प्रकार की हैं और सरकार ने उन्हें किस हद तक स्वीकार और कार्यान्वित किया है; तथा

(घ) अब तक समिति की कितनी बैठकें हुई हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : क) हिन्दी शिक्षा समिति एक ऐसी परामर्शदात्री समिति है जिसे देश के अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी के प्रचार सम्बन्धी मामलों पर केन्द्रीय सरकार को समय समय पर परामर्श देने के लिए स्थापित किया गया है,

(ख) जी हां ।

(ग) अपनी पहली बैठक में जो कि जनवरी, १९५२ में हुई थी, समिति ने केन्द्रीय सरकार से ये सिफारिशें की थीं :—

(१) तीन उपसमितियां बनाई जायें, जिन में से एक इस समय हिन्दी संस्थाओं द्वारा आयोजित हिन्दी परीक्षा प्रणाली पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करे, दूसरी हिन्दी भाषा की एक ऐसी मूल व्याकरण की आवश्यकता पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करे, जो कि अहिन्दी भाषा भाषी लोगों को हिन्दी पढ़ाने के लिए उपयुक्त हो और तीसरी अहिन्दी क्षेत्रों में हिन्दी के

प्रचार सम्बन्धी प्रस्ताव पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करे ।

(२) आगरा में हिन्दी अध्यापकों के लिए एक प्रशिक्षण स्कूल खोलने के लिए अखिल भारतीय हिन्दी परिषद्, नई दिल्ली की सहायता की जाये ।

(३) शिक्षा मंत्रालय के हिन्दी पुस्तकालय के लिए हिन्दी संस्थाओं द्वारा निश्चित हिन्दी पाठ्य-पुस्तकों को प्राप्त किया जाये ।

(४) मूल शब्दों का कोष बनाने के लिए पग उठाये जायें । इन में से पहली तीन सिफ़ारिशें स्वीकार और क्रियान्वित की जा चुकी हैं । चौथी सिफ़ारिश स्वीकार कर ली गई है और इसे क्रियान्वित करने के लिए अब पग उठाये जा रहे हैं ।

(घ) दो ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं यह जान सकता हूं कि जब इस समिति का निर्माण किया गया था तो यह शिक्षा सचिवालय की तरफ़ से पंचवर्षीय योजना के परामर्श के लिये रखी गई थी या नहीं ?

श्री के० डी० मालवीय : यह समिति तो पंचवर्षीय योजना के तैय्यार होने से पहले ही बन चुकी थी ।

श्री एस० एन० दास : मैं जानना चाहता हूं कि कौन कौन से विषय सरकार की तरफ से विचारार्थ रखे गये और कौन कौन से विषयों पर समिति ने स्वयं अपनी ओर से परामर्श दिया ?

श्री के० डी० मालवीय : मैंने उन सारे परामर्शों की फ़ेहरिस्त माननीय सदस्य के सामने रख दी है । यह मुझे नहीं मालूम कि कौन कौन से परामर्श समिति ने नहीं दिये थे ?

श्री एस० एन० दास : इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि इस समिति का काम विकास और प्रचार के लिये योजनायें तैयार करना है, क्या माननीय मन्त्री यह बतला सकते हैं कि इस समिति के लिये साल में कितनी बैठकें करना जरूरी है ।

श्री के० डी० मालवीय : यह समिति साल में दो बार बैठी थी । पर इस समिति को अधिकार है कि हिन्दी शिक्षा का प्रचार करने के लिये योजनाओं को शीघ्र से शीघ्र चलाने के लिये जितनी बार आवश्यकता समझे अपने विचार से उतनी बैठकें कर सकती है ।

श्री एस० एन० दास : क्या कारण है कि बावजूद इस बात के कि संसद् की तरफ़ से हिन्दी के प्रचार के लिये बहुमत ज़ोर दिया जा रहा है, इस समिति की सिर्फ दो ही बैठकें हुई ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं समझता हूं कि आने वाले साल में समिति की अधिक बैठकें होंगी ।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या मैं जान सकता हूं कि इस समिति में हिन्दी के कितने विशेषज्ञ और लेखक वग़ैरह हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : हिन्दी शिक्षा समिति के जो सदस्य हैं मैं उनके नाम पढ़े देता हूं । माननीय सदस्य खुद समझ लेंगे कि इनमें से कौन कौन विशेषज्ञ हैं ।

१. काका साहब कालेलकर
२. पंडित सुन्दर लाल
३. श्री ऐम० सत्यनारायण जी
४. श्री शंकर राव देव
५. श्री जयचन्द्र विद्यालंकार
६. श्री आर० आर० दिवाकर
७. शिक्षा सलाहकार अध्यक्ष

श्री एम० एल द्विवेदी : क्या इस समिति ने इस बात पर सुझाव किया है कि हिन्दी

में लिंग भेद हटा दिया जाय या एक कर दिया जाय ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझ को इस की कोई सूचना नहीं है ।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मन्त्री को यह बात मालूम है कि जहां तक मूल शब्दों के कोष का सम्बन्ध है वहां तक एक बहुत बड़ा काम मध्य प्रदेश की सरकार ने डाक्टर रघुनाथ की अध्यक्षता में तैयार किया है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां, ऐसी सूचना तो सरकार को है कि हिन्दी मूल शब्दों का कोष मध्य प्रदेश में भी बना है और और जगह भी प्रयत्न किया गया है ।

सेठ गोविन्द दास : तो जहां तक मूल शब्दकोष का सम्बन्ध है, नये कोष के निर्माण के पहले क्या समिति का यह काम है कि जितने इस प्रकार के मूल शब्द कोष बन चुके हैं उन पर पहले ध्यान दिया जाये बजाय इसके कि नये कोष बनाये जायें ?

श्री के० डी० मालवीय : यह एक सुझाव है । इस पर सरकार अभी कोई राय नहीं दे सकती ।

विद्यार्थियों द्वारा सामाजिक कल्याण की योजना ।

***७४५. श्री एस० एन० दास :** (क) क्या **शिक्षा** मंत्री ४ दिसम्बर, १९५२ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ३३९ के भाग (क) के उत्तर की ओर निदेश करने की कृपा करेंगे और बतलायेंगे कि क्या उस उक्त समिति ने जो कि विद्यार्थियों द्वारा किये जाने वाले सामाजिक कल्याण की एक योजना बनाने के प्रश्न पर विचार करने के लिये सामाजिक कल्याण के मंत्रणा बोर्ड द्वारा नियुक्त की गई थी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और क्या ऐसी कोई योजना बना ली गई है ?

(ख) यदि हां, तो समिति ने जिस योजना की सिफारिश की है, उसका स्वरूप क्या है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमन्त्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ख). जी नहीं । इस मामले पर राज्य सरकारों से बातचीत की जा रही है ।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि यह समिति कब नियुक्त की गई थी और रिपोर्ट के अब तक प्रस्तुत न किये जाने का कारण क्या है ।

श्री के० डी० मालवीय : सरकार द्वारा कार्रवाई तो पहले ही शुरू की जा चुकी है । शिक्षा मन्त्रालय ने राज्य सरकारों को परिपत्र भेजा है जिस में उन्हें सलाह दी गई है कि हाथ का काम स्कूल तथा कालेज की पढ़ाई का एक अनिवार्य अंग होना चाहिये । बाद में राज्यों को एक और पत्र भेजा गया था जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि स्कूलों में हाथ के काम का कार्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिये ।

श्री एस० एन० दास : मैं यह जानना चाहता था कि उपसमिति कब नियुक्त की गई थी और इस विषय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये उपसमिति ने इतना समय क्यों लगाया है ।

श्री के० डी० मालवीय : मैं पहले कह चुका हूं कि केन्द्रीय मन्त्रालय ने कुछ सिफारिशें की हैं । मेरे विचार में सरकार इस से अधिक कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मुख्यतः यह एक राज्य विषय है ।

मनीपुर में लोक निर्माण के लिए आवंटित राशि

***७४६. श्री एल० जे० सिंह :** राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९४९–५०,

१९५०–५१ और १९५१–५२ में मनीपुर में लोक निर्माण व्यय के लिये कितनी राशि आवंटित की गई थी और उसमें से कितनी का उपयोग नहीं किया गया था ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : नई इमारतों और संचरण के लिये निम्न राशियां आवंटित की गई थीं :—

१९४९–५०	६.०९ लाख रुपये
१९५०–५१	२.०६ लाख रुपये
१९५१–५२	७.०५ लाख रुपये

जिन राशियों का उपयोग नहीं किया गया वे ये थीं :—

१९४९–५०	६४,००० रुपये
१९५०–५१	३५,००० रुपये
१९५१–५२	१५,००० रुपये

श्री एल० जे० सिंह : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अप्रयुक्त राशि केन्द्रीय सरकार को वापस दे देने के कारण, प्रस्तावित विकास योजनाओं को क्रियान्वित नहीं किया जा सका, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का यह विचार है कि अप्रयुक्त राशि वापस न करने दी जाये ?

डा० काटजू : मैं माननीय सदस्य का सुझाव वित्त मन्त्री को भेज दूंगा ।

श्री एल० जे० सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने लोक निर्माण विभाग के उस प्रभारी पदाधिकारी की आलोचना की थी जिस ने राशि को उपयोग किये बिना अतिपन्न होने दिया ?

डा० काटजू : मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं जान सकती हूं कि इतनी बड़ी राशि की अतिपत्ति का क्या कारण है ?

डा० काटजू : मेरे माननीय मित्र देखेंगे कि ७ लाख रुपये में से केवल १५,००० रुपये रह गये हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : किन्तु हर वर्ष ऐसी अतिपत्ति होती है । मैं यह जानना चाहती थी कि एक ऐसे राज्य में जो कि अधिक रुपया मांगता है, रुपया बच जाता है ।

डा० काटजू : यदि वे चाहें, तो वे जल्दी खर्च कर सकते हैं । यदि वे खर्च नहीं करना चाहते, तो उन्हें कम रुपया लेना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम तर्क वितर्क में जा रहे हैं ।

महेश्वर के समीप पुरातत्व सम्बन्धी वस्तुओं का मिलना

*७४७. **डा० राम सुभग सिंह** : **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि हाल में नर्मदा घाटी में महेश्वर के समीप कुछ पुरातत्व सम्बन्धी वस्तुएं मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो ये वस्तुएं किस प्रकार की हैं; तथा

(ग) क्या महेश्वर में खुदाई का काम समाप्त कर लिया गया है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग) . खुदाई के परिणामों के बारे में अभी पूरी रिपोर्टों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं जान सकता हूं कितनी देर इसकी प्रतीक्षा की जायेगी ?

श्री के० डी० मालवीय : हम विभाग से कहेंगे कि हमें रिपोर्ट जल्दी भेज दी जाये ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : मैं जान सकता हूं कि क्या ये वस्तुएं हड़प्पा और मोहेंजोदारों की संस्कृति के जमाने की हैं या उस से पहले की संस्कृति की ?

श्री के० डी० मालवीय : जी नहीं, श्रीमान् ।

अंडमान में प्रचलति अधिनियम

*७४९. **श्री एम० एल० द्विवेदी**: गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या अंडमान द्वीप समूह में प्रचलित वर्तमान अधिनियमों के स्थान पर भारत में प्रवर्तनीय और प्रचलित अधिनियम लागू करने के लिये भारत सरकार कोई पग उठा रही है ?

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

(ग) क्या वह पदाधिकारी जिसे सरकार ने अंडमान द्वीप समूह में स्थानीय परिस्थितियों का अध्ययन करने और परिवर्तन का सुझाव देने के लिये भेजा है, पदाधिकारियों की पदाली में से नहीं है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) तथा (ख). अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में प्रचलित विधियों तथा विनियमों में संशोधन करने और उन्हें आधुनिक बनाने के लिये अंडमान के मुख्यायुक्त के अधीन एक विशिष्ट कार्य पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।

(ग) जी हां।

श्री एम० एल० द्विवेदी: क्या मैं यह जान सकता हूं कि जो कर्मचारी अंडमान द्वीप समूह भेजा गया था वह विशेषज्ञ था और उत्तरदायित्व वहन करता था उस काम का जिस काम के लिये कि वह भेजा गया ? यदि हां, तो उसने क्या सुझाव सरकार को दिये हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय: और धीरे से क्यों नहीं ?

श्री एम० एल० द्विवेदी: मैं जान सकता हूं कि वह पदाधिकारी जिसे अंडमान भेजा गया था विशेषज्ञ था और इस विषय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करन को योग्य था और यदि हां, तो क्या उस ने सरकार को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है और उसकी सिफ़ारिशें क्या हैं ?

श्री दातार: उस ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। वह १३ जनवरी, १९५३ को अंडमान गया था और अपनी रिपोर्ट १९५३ के मध्य तक समाप्त कर लेगा। वे गृह मन्त्रालय के कर्मचारी-वर्ग का सदस्य हैं। उसे विधियों का ज्ञान है; इसलिये उसे इस प्रयोजन के लिये चुना गया है।

श्री द्विवेदी: मैं जान सकता हूं कि क्या संशोधन करन से पूर्व कोई समिति बनाई जायगी या कोई अन्य विचार-विमर्श किया जायगा ?

श्री दातार: किसी समिति की आवश्यकता नहीं है। वह जांच कर रहा है और उसके रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद हम इस बात पर विचार करेंगे कि क्या परिवर्तन आवश्यक है।

श्री बी० एस० मूर्त्ति: मैं जान सकता हूं कि क्या इस पदाधिकारी को प्रचलित अलिखित विधियों को भी ध्यान में रखने और उन पर भी रिपोर्ट देने के लिये कहा गया था ?

श्री दातार: अलिखित विधियां कभी नहीं होतीं।

श्री बी० एस० मूर्त्ति: मेरा अभिप्राय उन आचारिक विधियों से है जो कि इस समय अंडमान में प्रचलित हैं।

श्री दातार: हम किसी आचारिक विधि को नहीं जानते। यदि ऐसी कोई विधि है, तो वह पदाधिकारी उस को भी ध्यान में रखेगा।

श्री जयपाल सिंह: मैं जान सकता हूं कि क्या इस पदाधिकारी को विशेष रूप से कार निकोबार द्वीप समूह का दौरा करने के लिये कहा गया है ?

श्री दातार : वह उन सब विधियों को जो अंडमान और निकोबार कहलाने वाले द्वीप समूह में प्रचलित है, अध्ययन करेगा।

पोर्ट ब्लेयर में श्रम

*७५०. **श्री एम० एल० द्विवेदी**: (क) **गृह-कार्य** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पोर्ट ब्लेयर में सरकार की नौकरी करने वाले श्रम बल की वर्तमान सख्या क्या है ?

(ख) यह बल कब बनाया गया था और कितने समय के लिये और किस प्रयोजन के लिये बनाया गया था ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) ५७६।

(ख) यह बल जहाज़ों पर माल लादने और उतारने, जंगलों को साफ़ करने और विभिन्न सरकारी विभागों की सामायिक श्रम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए १९४७ में एक साल के लिये बनाया गया था।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जान सकता हूं कि क्या कुछ सरकारी कर्मचारी इस बल के सदस्यों से सरकारी काम नहीं बल्कि अपना निजी काम करवाते हैं ?

श्री दातार: सरकारी पदाधिकारी इन से निजी काम नहीं करवाते। इन्हें ठेकेदारों द्वारा काम दिया जाता है और ये उन्हीं से मज़दूरी लेते हैं।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जान सकता हूं कि क्या मद्रास, बम्बई तथा अन्य बन्दरगाहों पर काम करने वाले श्रमिक उतना काम करते हैं जितना कि पोर्ट ब्लेयर के मज़दूर करते है या उससे कम या अधिक ?

श्री दातार: हमारी जानकारी यह है कि यह श्रमिक बल कलकत्ता या अन्य स्थानों पर किये जाने वाले काम से अधिक काम करता है।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या अंडमान में इस श्रमिक बल से बेगार लिया जा रहा है?

श्री दातार: जी नहीं। वे बेगार नहीं कर रहे हैं।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि इस श्रमिक बल के श्रमिकों की औसत मज़दूरी क्या है ?

श्री दातार : उन्हें न्यूनतम मजदूरी, अर्थात् ३५ रुपये दिये जाते हैं।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या सत्य है कि इस श्रमिक बल को एक विशिष्ट स्थान और विशिष्ट सम्प्रदाय से भर्ती किया जाता है और इन्हें हर साल निवृत कर दिया जाता है ?

श्री दातार: मुझे यह विदित नहीं परन्तु मैं पूछताछ करूंगा।

श्री नम्बियार: मैं जान सकता हूं कि क्या कोई भूतपूर्व कैदी भी इस श्रमिक बल में सम्मिलित हैं ?

श्री दातार: मेरे पास इस विषय में कोई जानकारी नहीं है, परन्तु मैं पूछताछ करूंगा।

रास द्वीप समूह में इमारत

*७५२. **श्री एम० एल० द्विवेदी**: (क) **गृह-कार्य** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार रास द्वीप समूह में गवर्नमेंट हाउस और अन्य मकानों को काम में क्यों नहीं लाती ?

(ख) द्वीप में सेना बैरकों और सड़क की मरम्मत करने पर क्या लागत आई है ?

(ग) क्या उन इमारतों को जिनकी अब तक मरम्मत की जा चुकी है, काम मे लाया जा रहा है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) रास द्वीप में इमारतों को काम में लाने का प्रश्न द्वीप समूह के पुनः आधिपत्य में किये जाने के समय से सरकार के विचाराधीन रहा है, किन्तु प्रशासनीय कठिनाइयों, सुविधाओं की कमी और पोर्ट ब्लेयर और रास द्वीप के बीच संचरण के अत्यधिक व्यय को ध्यान में रखते हुए, इन इमारतों को किसी काम में नहीं लाया जा सका था। किन्तु अब सरकार ने इन्हें काम में लाने का निश्चय किया है।

(ख) लगभग २० हज़ार रुपये।

(ग) इन इमारतों की अभी पूरी तरह मरम्मत नहीं हुई।

श्री एम० एल० द्विवेदी: मैं जान सकता हूं कि क्या रास द्वीप में स्थित गवर्नमेंट हाउस की मरम्मत की जायेगी ?

श्री दातार : सभी इमारतों की मरम्मत की जायेगी।

श्री एम० एल० द्विवेदी : इस पर कितना समय लगेगा ?

श्री दातार: ६ से (आठ) ८ मास तक लगेंगे।

श्री एस० सी० सामन्त: मैं जान सकता हूं कि सरकार उस भवन को जिसकी मरम्मत की जा रही है किस काम में लायेगी।

श्री दातार : इस अवस्था पर इस बात का निर्णय नहीं किया जा सकता। मरम्मत हो जाने के बाद निश्चय किया जायेगा।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सत्य नहीं कि इस समय केवल एक इमारत की मरम्मत की जा रही है ?

श्री दातार: पहले एक इमारत की मरम्मत शुरू की गई थी, यथासमय अन्य इमारतों की भी मरम्मत की जायेगी।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या यह सत्य है कि रास द्वीप को जाने वाली जेट्टी भी खराब हालत में है और यदि हां, तो क्या सरकार का इस विषय में कुछ करने का विचार है ?

श्री दातार: सब इमारतों की मरम्मत हो जाने के बाद, इस विषय पर भी विचार किया जायेगा।

अणु-शक्ति का विकास

*७५२. **श्री एल० एन० मिश्र** : (क) **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत में अणु-शक्ति के विकास के लिये भारत सरकार की कोई निश्चित योजना है ?

(ख) यदि हां, तो इस योजना की रूप रेखा क्या है, इसके लिये कितना रुपया दिया गया है और इस पर काम करने वाले वैज्ञानिकों के नाम क्या हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां।

(ख) योजना में निम्न चीज़ें हैं :

(१) अणु-खनिकों विशेषतया यूरेनियम के लिये जो कि प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एकमात्र अणु-ईंधन है, भारत का परिमाप।

(२) एक अणु-रियेक्टर बनाना।

(३) अणु-शक्ति सम्बन्धी कार्य करने वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर दृष्टि रखने के लिये आयोग का एक चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग स्थापित करना।

(४) प्राणी विज्ञान के क्षेत्र में अणु-शक्ति के विकास से निकलने वाले तरीकों से आधारभूत अनुसंधान करने के लिये प्राणी विज्ञान विभाग स्थापित करना।

(५) तांबा प्रस्तर और निम्नकोटि के यूरेनियम प्रस्तर से यूरेनियम निकालने के लिये एक पाइलट संयन्त्र स्थापित करना।

(६) इण्डियन रेयर अर्थ लि० के अलवाय के कारखाने में थोरियम और यूरेनियम को शुद्ध करने के लिये संयन्त्र स्थापित करना।

(७) यूरेनियम को शुद्ध करने के लिये संयन्त्र स्थापित करना, ताकि यह अणु-शक्ति के लिये प्रयोग किया जा सके।

अणु-शक्ति आयोग के काम के लिये दिये गये धन के बारे में जानकारी देना और उन वैज्ञानिकों के नाम बतलाना जो यह काम कर रहे हैं, लोक-हित में नहीं होगा।

श्री एल० एन० मिश्र: मैं जान सकता हूं कि क्या यह विकास योजना अणु-शक्ति आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार है ?

श्री के० डी० मालवीय: जी हां, श्रीमान्।

श्री एल० एन० मिश्र: क्या इस संयंत्र द्वारा तैयार किये गये यूरेनियम का प्रयोग करने के लिये अणु-संग्रह या रियेक्टर बनाने की कोई योजना है, यदि हां, तो यह कहां पर बनाया जायगा ?

श्री के० डी० मालवीय: अभी जो योजना सदन के सामने रखी गई है, उसमें यह सुझाव सम्मिलित है।

श्री रघुनाथ सिंह: हिन्दुस्तान की सुरक्षा के लिये हम कब तक एटम बम तैयार कर सकेंगे ?

श्री के० डी० मालवीय: हमारी गवर्नमेंट की नीति यह नहीं है कि हम अपने देश में एटम एनर्जी को बम बनाने में इस्तेमाल करें।

सेठ गोविन्द दास: क्या माननीय मन्त्री जी को यह बात याद है कि पिछली बार जब यह प्रश्न पूछा गया था तो माननीय मन्त्री ने यह आश्वासन दिया था कि हम इस शक्ति का उत्पादन विनाश के लिये न कर के निर्माण के लिये करने वाले हैं और अगर उनको याद है तो क्या उन्होंने इस सम्बन्ध में अमरीका के पत्रों में अभी निकले कुछ भिन्न भिन्न लेखों को देखा है कि जिनमें यह कहा गया है कि इस शक्ति का उपयोग निर्माण के लिये न हो कर विनाश के लिये हो सकता है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद): लेकिन जहां तक हिन्दुस्तान का ताल्लुक है न इस की यह पालीसी (नीति) है और न एक मिनट के लिये वह इस पर चलना चाहता है।

श्री पुशूस: मैं जान सकता हूं कि क्या कोई विदेशी भी इस फैक्टरी में काम करता है ?

श्री के० डी० मालवीय: जी नहीं, श्रीमान्।

श्री जोशिम अलवा: क्या भारत सरकार ने अणु-शक्ति के बारे में जानकारी या सामग्री प्राप्त करने के विषय में पश्चिमी शक्तियों अर्थात् ब्रिटेन और अमेरिका का सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न किया है ?

श्री के० डी० मालवीय: जहां तक आधारभूत अनुसंधान सम्बन्धी वैज्ञानिक जानकारी का सम्बन्ध है, हम सब देशों से जानकारी लेने के लिये तयार हैं और हम इन सब देशों से जानकारी प्राप्त करते हैं।

श्री एल० एन० मिश्र: क्या यह सत्य है कि अणु-शक्ति आयोग के दुर्लभ खनिक

यूनिटों ने अणु-खनिकों का कुछ परिमाप किया है ? उन्होंने क्या निर्णय दिया है ?

श्री के० डी० मालवीय : उन्होंने कुछ अणु-खनिकों का परिमाप किया है ?

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या भारत सरकार ने इस शक्ति के लिये अमेरिका की सरकार से टेक्निकल सहायता मांगी है ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे इस का ज्ञान नहीं है।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : कुछ समय पूर्व सदन में एक प्रश्न के उत्तर में बतलाया गया था कि अणु-शक्ति में प्रशिक्षण लेने के लिये दो विशेषज्ञों को ब्रिटेन भेजा गया है। मैं जान सकता हूं कि क्या ये दो पदाधिकारी वापस आ गये हैं और अब काम कर रहे हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री नम्बियार : क्या भारत सरकार का अणु-बम बनाने का विचार है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी नहीं।

श्री के० के० बसु : मैं जान सकता हूं कि अणु-शक्ति अनुसंधान में काम आने वाली कोई कच्ची सामग्री बाहर भेजी जा रही है ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे ज्ञात नहीं है ?

टेक्निकल समन्वय समिति

*७५४. **श्री के० सी० सोधिया :** **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि टेक्निकल समन्वय समिति के कौन कौन से कर्मचारी हैं और धातु विज्ञान प्रयोगशाला और सम्बन्धित अनुसंधान संस्थाओं के काम का समन्वय करने के लिये उन्होंने सरकार से क्या सिफारिशें की हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २८**]।

श्री के० सी० सोधिया : धातु विज्ञान प्रयोगशाला की समिति को छोड़ कर, क्या कोई अन्य टेक्निकल प्रशिक्षण समितियां हैं ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न टेक्निकल समन्वय समिति के बारे में है । अन्य कई टेक्निकल प्रशिक्षण समितियां हो सकती हैं। टेक्निकल समितियों के बारे में जानने के लिये माननीय सदस्य एक और प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री के० सी० सोधिया : मैं केवल यह पूछ रहा हूं कि क्या अन्य प्रयोगशालाओं के लिये इस प्रकार की और समितियां हैं।

श्री के० डी० मालवीय : हमारी प्रयोगशालाओं के काम की देख रेख के लिये बहुत सी टेक्निकल समितियां हैं।

बुनियादी सामाजिक और माध्यमिक शिक्षा का समन्वय

*७५५. **श्री के० सी० सोधिया :** शिक्षा मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि राज्यों में बुनियादी सामाजिक और माध्यमिक शिक्षा का समन्वय करने के लिये योजना आयोग ने केन्द्र में जिस विशेषज्ञ समिति बनाने की सिफारिश की थी, उस की कब तक बनने की आशा है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : योजना आयोग की रिपोर्ट में इस बात की सिफारिश की गई है । सरकार का विचार है कि यह काम केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रणा बोर्ड और इस की बनाई हुई समितियों का है।

कपड़ा अनुसंधान संस्थाएं

*७५६. **श्री के० सी० सोधिया :** (क) **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री

यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने १९५०–५१ और १९५१–५२ या चालू वर्ष में अहमदाबाद कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्था और दक्षिण भारत कपड़ा अनुसंधान संस्था को कोई अंशदान दिये हैं और यदि हां, तो प्रत्येक को कितना अंशदान दिया गया था ?

(ख) ये संस्थाएं किस प्रकार का काम करती हैं और किस अभिकरण के द्वारा।

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक संस्था का कुल आय-व्ययक क्या था ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (ग) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबंध संख्या २९**]

श्री एस० वी० रामास्वामी : क्या दक्षिण भारत कपड़ा अनुसंधान संस्था में काम शुरू कर दिया गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी नहीं। संस्था अभी चालू नहीं की गई।

श्री एस० वी० रामास्वामी : यह कब तक शुरू हो जायेगी ?

श्री के० डी० मालवीय : जब दक्षिण भारत के कपड़े के व्यापारी शर्तें पूरा कर लेंगे और संस्था चलाने के लिये पर्याप्त रुपया इकट्ठा कर लेंगे।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि कितने रुपये की आवश्यकता है और क्या दक्षिण भारत के व्यापारियों ने इसका कुछ स्वागत किया है ?

श्री के० डी० मालवीय : पहले तो उन्हें २५ लाख रुपया इकट्ठा करना था। जब वे इतना रुपया इकट्ठा न कर सके तो सूती कपड़ा निधि समिति ने, जिस ने कि शेष रुपया देना था, यह निर्णय दिया कि वे १३ लाख रुपया इकट्ठा कर लें। अब तक उन्होंने ५ लाख रुपया इकट्ठा किया है।

श्री मेघनाद साहा : क्या इस देश में कपड़ा बनाने की मशीनरी बनाने के लिये कोई पग उठाये गये हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

श्री वी० पी० नायर : मैं जान सकता हूं कि क्या अनुसंधान के परिणामों को केवल कपड़े तक सीमित रखा जायेगा या सूत पर भी लागू किया जायेगा ?

श्री के० डी० मालवीय : कपड़ा और अन्य मामलों पर जो कि कपड़ा उद्योग तथा व्यापार से सम्बन्धित हैं।

त्रिपुरा पुलिस में गढ़वालियों की भर्ती

*७५८. **श्री बीरेन दत्त** : (क) **राज्य मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि हाल में गढ़वालियों को त्रिपुरा पुलिस में भर्ती किया गया है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि उन लोगों को जो त्रिपुरा के निवासी नहीं हैं त्रिपुरा पुलिस में भर्ती किया गया है ?

(ग) यदि भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो इस के क्या कारण हैं ?

(घ) हाल में भर्ती किये गये पुलिस के सिपाहियों में से कितने विस्थापित व्यक्ति हैं और कितने आदिम जाति के हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) जी हां।

(ख) जी हां, परन्तु बहुत थोड़े।

(ग) अपेक्षित न्यूनतम योग्यता रखने वाले उपयुक्त उम्मेदवारी स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं थे।

(घ) विस्थापित व्यक्ति—६०७
आदिम जाति के व्यक्ति—२०६।

श्री बीरेन दत्त : मैं जान सकता हूं कि क्या ऐसे भूतपूर्व सैनिक बहुत से हैं जो कि इन सेवाओं के योग्य हैं ?

डा० काटजू : मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि इस पुलिस सेवा के लिये निर्धारित योग्यता क्या है ?

डा० काटजू : मेरे पास पत्र नहीं है, मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं जान सकती हूं कि क्या त्रिपुरा के इतने विस्थापित व्यक्तियों में से कोई आदमी योग्य नहीं थे ?

डा० काटजू : माननीय महिला सदस्या ने देखा होगा कि इनमें विस्थापित व्यक्तियों की संख्या ६०७ है।

श्री वी० पी० नायर : माननीय मंत्री ने कहा है कि अपेक्षित योग्यता वाले व्यक्ति उपलब्ध नहीं थे । मैं जान सकता हूं कि क्या उचित विज्ञापन प्रकाशित किये गये हैं ?

डा० काटजू : मुझे इसमें सन्देह नहीं कि सब बातों का उचित ध्यान रखा गया होगा और उन सब लोगों को जोकि आवेदन पत्र देने या उपस्थित होने के योग्य थे जानकारी दी गई होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि भर्ती की प्रक्रिया क्या थी और क्या इसका अनुसरण किया गया था या नहीं ?

श्री के० के० बसु : मैं जान सकता हूं कि क्या त्रिपुरा पुलिस के लिए किन्हीं विशेष योग्यताओं की, जोकि किसी अन्य राज्य पुलिस के लिए अपेक्षित योग्यता से भिन्न हैं, आवश्यकता है ?

डा० काटजू : मैं उत्तर देने का साहस नहीं करूंगा । मेरा निवेदन है कि प्रश्न को उचित रूप दिया जाये, ताकि हम पूरी अपेक्षित जानकारी प्राप्त कर सकें ।

श्रीमती कमलेन्दुमती शाह : मैं जान सकती हूं कि गढ़वालियों की भर्ती कैसे और किस के द्वारा की जाती है ?

डा० काटजू : मैं प्रश्न को नहीं समझा, गढ़वाली सब जगह फैल जाते हैं ।

सशस्त्र बल में सैनिकों के लिये टिकटें और सामान भत्ता

*७५९. **श्री के० सुब्रह्मण्यम् :** (क) **रक्षा मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सशस्त्र बल के सैनिकों को जब किसी अन्य स्टेशन पर नियुक्त किया जाता है, तो उन्हें केवल एक टिकट दिया जाता है, जबकि पदाधिकारियों और उच्च श्रेणी के असैनिक कर्मचारियों को तीन टिकट दिये जाते हैं ?

(ख) क्या सामान के भत्ते के सम्बन्ध में भी सैनिकों और पदाधिकारियों में यही विभेद किया जाता है ?

(ग) क्या यह सत्य है कि फ्लाई सारजेंट के पद तक सशस्त्र बल के सैनिकों को मकानों की सुविधा या उसके बदले में अपने परिवारों के साथ रहने के लिए प्रतिकर नहीं दिया जाता?

(घ) क्या यह सत्य है कि केवल ५० प्रतिशत सैनिकों को अपने परिवारों के साथ रहने की आज्ञा दी जाती है किन्तु पदाधिकारियों के बारे में इस प्रकार का कोई विभेद नहीं किया जाता ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं । यूनिटों की प्राधिकृत स्थापना में ५० प्रतिशत गैर-कमीशन प्राप्त पदाधिकारियों को और १४ प्रतिशत सैनिकों को परिवार सहित रहने के मकान मिल सकते हैं ।

(घ) १०० प्रतिशत पदाधिकारियों और जे० सी० ओज़ को परिवार सहित रहने

के मकान मिल सकते हैं किन्तु सैनिकों को दिये जाने वाले मकानों की संख्या प्रत्येक यूनिट के लिए अलग अलग होती है ।

पाकिस्तान के बैंकों में जमा विस्थापित व्यक्तियों की पूंजी

*७६२. **श्री बादशाह गुप्त :** वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बैंकों में जमा, जिनके मुख्य कार्यालय पाकिस्तान में हैं, विस्थापित व्यक्तियों की पूंजी की अदायगी के बारे में क्या स्थिति है;

(ख) पाकिस्तान में इस प्रकार के बैंकों में कितना रुपया रुका हुआ है;

(ग) क्या विस्थापित व्यक्तियों को अब तक कोई अदायगी की गई है और यदि हां, तो कितनी और शेष कब तक दिये जाने का आशा है; तथा

(घ) बाकी पूंजी वसूल करने के लिए भारत सरकार क्या पग उठा रही है ?

वित्त मंत्री के सभा-सचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) से (घ) तक प्रश्न स्पष्ट नहीं है । अनुमानतः माननीय सदस्य का निर्देश उस रुपये की ओर है जोकि विस्थापित व्यक्तियों ने उन सब बैंकों में जो पहले पाकिस्तान में चल रहे थे जमा करवा रखा था ।

अब तक यह जानकारी उपलब्ध नहीं है कि पाकिस्तान में इस प्रकार के बैंकों में विस्थापित व्यक्तियों का कितना रुपया था और अब कितना रुपया वापस दिया गया है ।

भारत और पाकिस्तान के बीच १९४९ के बैंकिंग करार के सम्बन्ध में, इस प्रकार के सब रुपये की जो निजी व्यक्तियों तथा संस्थाओं के नाम से था, भारत में स्थानांतरित करवाने की चेष्टा की गई थी, परन्तु यह सफल नहीं हुई ।

अब इस मामले पर कार्यान्वित करने वाली समिति की आगामी बैठकों में विचार किया जायेगा ।

डा० लंका सुन्दरम् : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि इस बात के बावजूद कि विस्थापित बैंकों ने पाकिस्तान के नागरिकों को देय सब रुपया अदा कर दिया है, उनका रुपया पाकिस्तान के राज्य बैंक के आदेशानुसार रुका हुआ है ?

श्री बी० आर० भगत : जी नहीं, श्रीमान ।

श्री ए० सी० गुहा : मैं जान सकता हूं कि क्या इस झगड़े को निपटाने के लिए कोई नया प्रयत्न किया जायेगा ?

श्री बी० आर० भगत : जहां तक भारत का सम्बन्ध है नये प्रयत्न किये जा चुके हैं, मैं दूसरे पक्ष के बारे में नहीं कह सकता ।

श्री ए० सी० गुहा : पाकिस्तान के साथ बहुत से सम्मेलन किये गये हैं ? इस मामले पर अन्तिम बार कब विचार किया गया था ?

श्री बी० आर० भगत : जून, १९५० में ।

डा० लंका सुन्दरम् : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का बैंक्स परिसमापन कार्यवाही समिति की कंडिका ९० में दी हुई तीन सिफारिशों को जल्दी कार्यान्वित करने का विचार है ?

श्री बी० आर० भगत : मुझे इस प्रश्न की पूर्व सूचना चाहिए ।

श्री बादशाह गुप्त : मैं जान सकता हूं कि भारत के बकों ने पाकिस्तान में रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों का कितना रुपया देना है ?

श्री बी० आर० भगत: जैसा कि मैं पहले बतला चुका हूं, यह जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

श्री सारंगधर दास: मैं जान सकता हूं कि क्या भारत के बैंकों से कोई लेखे पाकिस्तान को स्थानांतरित किये गये हैं, क्योंकि रुपया जमा करने वाले अब पाकिस्तान में रहते हैं ?

श्री बी० आर० भगत: यही मामला कार्यान्विति समिति के विचाराधीन है ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्नकाल समाप्त हो चुका है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

त्रिपुरा और मनीपुर के लिये प्रशासनीय सुधार

*७४२. **श्री माधव रेड्डी :** राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या गृह मंत्री के त्रिपुरा और मनीपुर के हाल के दौरे के बाद इन राज्यों के लिए किसी प्रशासनीय सुधारों की योजना को अन्तिम रूप दिया गया है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : भाग ग राज्य अधिनियम १९५१ की धारा ४२ के अन्तर्गत मनीपुर और त्रिपुरा के लिए परामर्शदाता परिषद् स्थापित करने का निश्चय किया गया है । औपचारिक अधिसूचनाएं जिनके द्वारा परामर्शदाताओं को नियुक्त किया जायेगा और उनके अधिकारों को स्पष्ट किया जायेगा शीघ्र जारी की जायेंगी ।

विशेषज्ञ समिति (उत्पादन)

*७४८. **डा० अमोन :** (क) वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विशेषज्ञ समिति (उत्पादन) की सिफारिशें क्या हैं ?

(ख) क्या सरकार का इस समिति की रिपोर्टों को प्रकाशित करने का विचार है और यदि हां, तो कब ?

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : प्रश्न के भाग (क) के सम्बन्ध में, माननीय सदस्य का ध्यान, २ मार्च, १९५३ को श्री एस० एन० दास द्वारा पूछे गये इसी प्रकार के एक प्रश्न संख्या ४१७ के उत्तर की ओर, जो कि मैंने दिया था, दिलाया जाता है ।

(ख) जी हां, श्रीमान् । विशेषज्ञ समिति (उत्पादन) की रिपोर्टें छप चुकी हैं और बहुत शीघ्र प्रकाशित की जायेंगी ।

बीमा कम्पनियां

*७५३. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :** वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५२ के अन्त में कुल कितनी भारतीय तथा गैर-भारतीय बीमा-कम्पनियां भारत में बीमा का कार्य कर रही थीं और उनमें से कितनी जीवन बीमा कर रही थीं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : ३१-१२-५२ को बीमा कम्पनियों की कुल संख्या—

भारतीय—२२२

गैर-भारतीय—१०२

जीवन बीमा करने वाली कम्पनियां—

भारतीय—१६४

गैर भारतीय—१७

तम्बाकू-कर

*७५७. **श्री शोभा राम :** वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सरकार को विदित है कि तम्बाकू-कर खड़ी फसल पर निर्धारित किया जाता है और यदि हां, तो यह किस विधि के अधीन निर्धारित किया जा रहा है; तथा

(ख) क्या ऐसा निर्धारण उस अधिनियम के जोकि साफ़ करने वाले को पदाधिकारी से अपना उत्पाद तुलवाने का अधिकार देता है, नियम के विरुद्ध है ?

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : (क) तथा (ख). वर्तमान केन्द्रीय उत्पाद विधि के अधीन, तम्बाकू साफ़ करने वाले को, जोकि साफ़ किये हुये माल पर शुल्क देना चाहे, साफ़ करने के तुरन्त बाद, निकटतम उत्पाद पदाधिकारी को आवेदन पत्र देकर और अपने सामने माल तुलवा कर, शुल्क देना पड़ता है।

२. किन्तु उन जिलों में जहां बहुत से बिखरे हुए खेतों में कहीं कहीं तम्बाकू की खेती की जाती है, कुछ उत्पादक इस तरह आवेदन पत्र नहीं देते और शुल्क दिये बिना ही अपने तम्बाकू को बेच डालना चाहते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में केन्द्रीय उत्पाद निरीक्षक के लिए यह सदा संभव नहीं होता कि वह उत्पादित तम्बाकू पर कर निर्धारण करने के लिए उचित समय पर सभी उत्पादकों से सम्पर्क कर सके। अतः इस प्रकार के मामलों में निरीक्षकों को संक्षेप कर-निर्धारण का तरीका अपनाना पड़ता है, जोकि खड़ी फसल की स्थिति पर और क्षेत्रों में या उनके समीप किये गये फसल काटने के प्रयोगों के सम्बन्ध में उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित होता है।

कृत्रिम वर्षा पर सम्मेलन

*७६०. **श्री टी० एस० ए० चेट्टियार :** (क) **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या ९ फरवरी, १९५३ को कृत्रिम वर्षा पर एक सम्मेलन किया गया था ?

(ख) चर्चा के बाद किन निष्कर्षों पर पहुंचा गया था?

(ग) क्या इस दिशा में कोई प्रयोग किये गये हैं और यदि हां, तो उनका परिणाम क्या निकला है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) सम्मेलन ने कोई औपचारिक निष्कर्ष या संकल्प पास नहीं किये थे। किन्तु जलवायु अनुसंधान समिति, जिसने इन चर्चाओं का और विदेशों में किये गये काम का अध्ययन किया था, इस सामान्य निष्कर्ष पर पहुंची थी कि यद्यपि इन्हीं शर्तों को पूरा करने वाले बादलों को कृत्रिम रूप से ठंडा कर के एक सीमित तथा स्थानीय पैमाने पर वर्षा करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, इस धारणा का कोई पर्याप्त वैज्ञानिक आधार या सबूत नहीं है कि कृत्रिम साधनों से किसी क्षेत्र की वर्षा या जलवायु को बदला या नियंत्रित करना संभव है।

(ग) प्रयोगशालाओं में कुछ तजरबे किये गये हैं। पिछली वर्षा ऋतु में जादवपुर इंजीनीयरिंग कालेज के डा० एस० के० बैनर्जी ने गुब्बारों में लगाये हुए यन्त्रों से विभिन्न प्रकार की ठंडा करने की सामग्री फेंक कर बादलों से वर्षा करवाने के लिए कुछ प्रयोग किये थे। किन्तु इनके परिणाम निश्चयात्मक नहीं थे।

नेशनल स्टेडियम में मेला

*७६१. **श्री गणपति राम : रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि २१ और २२ फरवरी, १९५३ को नेशनल स्टेडियम, नई दिल्ली में जो सेना, नौसेना और वायुसेना का मेला हुआ था, उसके लिए भारत सरकार ने कुल कितना रुपया दिया था ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : मेले के लिए कोई सरकारी राशि नहीं दी गई थी।

जल सेना का भारतीय-करण

*७६३. **श्री आर० एन० सिंह :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

भारतीय जल-सेना का पूर्ण भारतीयक र कब तक हो जायगा ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : जहां तक सैनिक सेवा पदाधिकारियों का सम्बन्ध है, इस समय यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उन्हें कब तक बदला जायगा । असैनिक पदाधिकारियों को १९५५ के अन्त तक बदल दिया जायगा । किन्तु सरकार की नीति यह है कि परिस्थितियों और पदाधिकारियों की उपलब्धता के अनुसार इन पदों का यथा शीघ्र भारतीय-करण कर दिया जाय ।

अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर रिपोर्ट

***७६४. श्री नटवाडकर : गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के सम्बन्ध में राज्यों से १९५१-५२ के लिए वार्षिक रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं, और यदि हां, तो किन राज्यों से; तथा

(ख) क्या सरकार का इन्हें सदन पटल पर रखने का विचार है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) ये रिपोर्टें कैलन्डर वर्षों के लिए हैं और मद्रास को छोड़कर शेष सब राज्यों से जिन में अनुसूचित क्षेत्र हैं १९५१ के लिए प्राप्त हो चुकी हैं । १९५२ के लिए केवल पंजाब से रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) जी नहीं । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट में, जोकि प्रतिवर्ष संसद् को प्रस्तुत की जाती है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित आदिमजातियों के सम्बन्ध में सभी महत्वपूर्ण विषय होते हैं ।

पूर्वी बंगाल के विस्थापित व्यक्ति

५३६. श्री बी० के० दास : पुनर्वास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी बंगाल के कितने विस्थापित व्यक्तियों को अब तक केन्द्रीय तथा राज्यों की सेवाओं में लिया गया है ;

(ख) रेलवेज़ में काम करने वालों की संख्या क्या है ; तथा

(ग) उनमें से कितने व्यक्तियों को सेवा योजनालयों के द्वारा नौकरी मिली है और कितने सीधे भर्ती हुए हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायगी ।

सेना सांस्कृतिक प्रदर्शनी

५३७. श्री एस० सी० सामन्त : रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) लाल किले में सेना सांस्कृतिक प्रदर्शनी कितने दिन तक रही थी;

(ख) प्रदर्शनी पर कितना खर्च हुआ था और प्रवेश टिकटें बेचने से कितनी आय हुई थी; तथा

(ग) क्या सरकार का निकट भविष्य में ऐसी कोई प्रदर्शनी आयोजित करने का विचार है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) लाल किले में सेना सांस्कृतिक प्रदर्शनी सात दिन तक रही थी ;

(ख) एक नाटक तथा संगीत सम्मेलन की व्यवस्था को छोड़कर प्रदर्शनी पर ५३५२ रुपये लागत आई थी । प्रदर्शनी में प्रवेश निःशुल्क था परन्तु नाटक और संगीत सम्मेलन के लिए टिकटें थी जिनके बेचने से ३३ रुपये ८ आने इकट्ठे हुए थे । इसमें से शुद्ध

लाभ केवल ४०० रुपये था क्योंकि शेष रुपया नाटक और संगीत सम्मेलन के प्रबन्ध पर खर्च करना पड़ा था।

(ग) निकट भविष्य में इस प्रकार की कोई प्रदर्शनी आयोजित करने का विचार नहीं है। प्रति वर्ष केवल एक कला तथा दस्तकारी प्रदर्शनी करने का इरादा है।

असिस्टैंट (स्थायीकरण)

५३८. **श्री एस० सी० सामन्त :** गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५१-५२ में और १९५२-५३ में आज तक कितने असिस्टैंट्स को बिना परीक्षा के उनकी वरिष्ठता के अनुसार स्थायी किया गया है?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : सम्भवतः माननीय सदस्य केन्द्रीय सचिवालय सेवा के गठन के आरम्भ में श्रेणी ४ की अधिकृत स्थायी संख्या में रिक्तियों की पूर्ति की ओर निर्देश कर रहे हैं। वरिष्ठता के अनुसार व्यक्तियों को बिना परीक्षा के स्थायी करने का पहला आदेश जुलाई १९५२ में जारी किया गया था, इस श्रेणी के अब तक स्थायी किये गये व्यक्तियों की कुल संख्या इस प्रकार है :

विस्थापित सरकारी कर्मचारी—८३
अविस्थापित सरकारी कर्मचारी—१७४

प्रतिष्ठापनों का निष्पक्ष पुनरीक्षण

५३९. **श्री पुन्नूस :** (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि "गृह कार्य मंत्रालय की १९५१-५२ के कार्यों के सक्षिप्त विवरण" में सूचित प्रतिष्ठापनों का निष्पक्ष पुनरीक्षण पूरा हो गया है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इसे सदन पटल पर रखने का विचार है ?

(ग) यदि नहीं, तो यह पुनरीक्षण कब तैयार होगा ?

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : (क) से (ग). माननीय सदस्य ने विभिन्न मंत्रालयों तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों के संगठन के "निष्पक्ष पुनरीक्षण" का जो उल्लेख किया है वह अभी जारी है। इस प्रयोजन के लिए जो विशेष दल बनाया गया है, उसने अभी तक खाद्य तथा कृषि, सिंचाई तथा विद्युत और श्रम मंत्रालयों तथा उनके संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों तथा संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय का ही काम पूरा किया है। उस दल ने जो टिप्पणियां तैयार की हैं, वे एक प्रकार से गैर सरकारी विभागीय टिप्पणियां सी है, जोकि मुख्यतया इन प्रस्तावों को लागू करने के लिए और अधिक विभागीय चर्चा के उद्देश्य से तैयार की गई हैं। इस प्रकार की चर्चा हो रही है। अब तक जो अन्तिम निश्चय किये गये हैं उन का संक्षिप्त विवरण सदन पटल पर रख दिया गया है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३०**] इनका सम्बन्ध केवल खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से है। अन्य मंत्रालयों तथा संघ लोक सेवा आयोग सम्बन्धी विषयों पर अभी चर्चा जारी है और यह नहीं कहा जा सकता कि इन्हें कब अन्तिम रूप दिया जायगा।

बाल न्यायालय

५४०. **श्री एम० आर० कृष्ण : शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वे राज्य कौन से हैं जिनमें बाल न्यायालय स्थापित हैं ?

शिक्षा प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा-समय सदन पटल पर रख दी जायगी। किन्तु इस विषय का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है।

भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी मोटर यातायात सस्थाएं

५४१. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** (क) **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अब

तक भूतपूर्व सैनिकों की कितनी सहकारी मोटर यातायात संस्थाएं बनाई गई हैं?

(ख) इस प्रयोजन के लिए विभिन्न राज्यों में राज्य युद्धोत्तर पुनर्निर्माण निधि में से कुल कितना ऋण या अनुदान मंजूर किया गया है ?

(ग) इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार ने कुल कितना ऋण दिया है और किन राज्यों को दिया है?

(घ) इन योजनाओं से राज्यवार कुल कितने भूतपूर्व सैनिकों को लाभ पहुंचेगा ?

(ङ) उन सरकारी संस्थाओं में से जोकि पहले बनाई जा चुकी हैं अब कितनी काम कर रही हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) से (घ) एक विवरण जिसमें बनाई गई सहकारी यातायात संस्थाओं की संख्या, राज्य युद्धोत्तर पुनर्निर्माण निधि समितियों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता, और इन योजनाओं के अधीन पुनर्वासित भूतपूव सैनिकों की संख्या बतलाई गई है, सदन पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३१]**

(ङ) उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि सब ३५ संस्थायें जोकि बनाई गई हैं, काम कर रही हैं।

हैदराबाद में निष्क्रान्त सम्पत्ति

५४२. श्री शिवमूर्त्ति स्वामी : पुनर्वास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५१ में उन मामलों की संख्या क्या थी जिनमें हैदराबाद राज्य में मुसलिमों की सम्पत्ति को निष्क्रांत सम्पत्ति घोषित किया था;

(ख) कितने मामलों में इस प्रकार की सम्पत्ति लौटा दी गई है;

(ग) कितने मामलों में सम्पत्ति का मूल्य (१) १० हज़ार (२) ५० हज़ार और (३) १ लाख रुपये से अधिक है; तथा

(घ) जनाब लायक अली की सम्पत्ति से, उसके निष्क्रान्त सम्पत्ति घोषित किये जाने के बाद कितनी आय हुई है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है।

GIPD—HS—168 PSD—20-10-53—285

सत्यमेव जयते

शुक्रवार,
१३ मार्च, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

संसदीय वाद विवाद

(भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

शुक्रवार, १३ मार्च, १९५३

संसद की बैठक २ बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

३ म० प०

स्थगन प्रस्ताव

तीन संसद सदस्यों का निरोध

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे तीन या चार माननीय सदस्यों की ओर से एक स्थगन प्रस्ताव की पूर्व सूचना मिली है जिस में उन्हों ने लोक महत्व की दृष्टि से आवश्यक एक विषय पर विचार विनिमय करने का अनुरोध किया है अर्थात् वे भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा १२ मार्च १९५३ को निर्णीत भारतीय संविधान की नियोगीय उपबंध के उल्लंघन के कारण तीन संसद् सदस्यों के निरोध से उत्पन्न हुई परिस्थितियों पर वाद विवाद करना चाहते हैं।

उच्चतम न्यायालय ने निर्णय कब दिया था ?

श्री रामचन्द्र रेड्डी (नैल्लौर) : १२ मार्च को।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या वे माननीय सदस्य अब भी निरुद्ध हैं ?

श्री रामचन्द्र रेड्डी : वे कल यहां थे।

उपाध्यक्ष महोदय : तो वे मुक्त हैं।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : यह उन की छूट और निरोध का प्रश्न नहीं है। प्रश्न तो यह है कि दंडाधीश द्वारा उन तीन माननीय सदस्यों का अवैध निरोध किया गया तथा भारतीय संविधान की धारा २२ के अनुसार उन को कोई सहायता एवं उन की सुरक्षा नहीं की गई। आज संसद् के सदस्य तथा जनता के बहुत से व्यक्ति जो कांग्रेस में नहीं हैं उन का जीवन तथा उन की स्वतंत्रता संकट में है। इस प्रकार उन की स्वतंत्रता का हनन किया गया है। और ऐसा प्रतीत होता है कि आज देश में पुलिस राज व्याप्त है। हम चाहते हैं कि सरकार इस सम्बन्ध में अपनी नीति का स्पष्टीकरण करे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव के स्वीकृत होने के उपरान्त ही इस विषय में तो बताया जा सकता है। क्या माननीय सदस्य के पास उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रतिलिपि है ? किस आधार पर इस निरोध को अवैध घोषित किया गया है ? क्या इस निरोध को मूलतः ही अवैध घोषित किया गया है अथवा इस की विधि में कुछ अनियमिततायें बताई हैं।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : अनियमिततायें भी हैं, किन्तु सभी अवैध हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी उस दिन माननीय सदस्य ने दंडविधान की धारा १८८ के अन्तर्गत दंड प्रक्रिया विधान की धारा १४४ के न मानने के कारण एक अभियोग दर्ज

का हवाला दिया था। तथा बताया था कि उच्चतम न्यायालय के समक्ष बन्दी-प्रत्यक्षीकरण लेख का आवेदन पत्र दिया था। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दे दिया। क्या निर्णय में कहा गया है कि निरोध मूलतः अवैध था, यहां तक कि धारा १८८ के अन्तर्गत की कार्यवाही रद्द कर दी गई है, हवालात में वापिस भेजने के आदेश की अनुपस्थिति में निरोध उसी दिन अवैध घोषित कर दिया गया जिस दिन कि यह आवेदन पत्र दिया गया था।

सरदार हुक्म सिंह : (कपूरथला, भटिंडा) : जहां तक कि उन की गिरफ्तारी की बात है वहां तक तो यह सत्य है। वह अवैध तो घोषित नहीं किया गया था अपितु उन को मुक्त कर दिया गया है। यह तो अनुवर्ती निरोध है, स्थगन प्रस्ताव का अभिप्राय तो उस निरोध से है जो कि विधि विरुद्ध है। प्रस्ताव में कहा गया है "विधि विरुद्ध किये गये निरोध के कारण उत्पन्न हुई स्थिति।" सर्वप्रथम गिरफ्तार किये जाने के बारे में कोई प्रश्न नहीं किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि बाद में हवालात में वापिस भेजने का कोई आदेश नहीं था अतएव यह निरोध अवैध अथवा विधि विरुद्ध है। क्या आप का अभिप्राय इसी से है ?

श्री वल्लाथराम (पुद्दुकोट्टाई) : लगातार पहिले तीन दिन तक हवालात में वापिस भेजने का कोई आदेश नहीं था। पश्चात् को उन्हों ने वह आदेश दिखाया।

उपाध्यक्ष महोदय : हम यह मान लेते हैं कि हवालात में वापिस भेजने का कोई आदेश नहीं था। उन की पहिली गिरफ्तारी के विषय में भी प्रश्न नहीं करना है। उन के निरोध का भी प्रश्न नहीं हैं। भारतीय दंड विधान की धारा १८८ के अन्तर्गत यह अभियोग अभी तक लम्बित है। जब तक कि हवालात में वापिस लेने के आदेश नहीं आते तब तक वे मुक्त हैं। संभवतः हवालात में फिर वापिस लेने के आदेश की अनुपस्थिति के कारण ही यह उत्तरार्ध भाग उच्चतम न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया है। क्या यह सत्य है ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): आप ने बात को बिल्कुल सच्चे ढ़ंग से रखा है। मैं ससम्मान कहना चाहता हूं कि यह मामला तो एक दम न्यायालय का है। यह तो न्यायाधीश का मामला है कि वह सही करता है अथवा गलत। न्यायालय के क्षेत्र में इस संसद् को अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिये। यदि कोई भूल हो गई है तो वह दंडाधीश द्वारा हुई है और वह भी अपने न्याय सम्बन्धी अधिकारों का पालन करते हुए।

इस मामले के अभियोगी ६ मार्च को गिरफ्तार किये गये थे, उस दिन शुक्रवार था। सोमवार ९ मार्च को भारतीय दंड विधान की धारा १८८ के अनुसार दोषारोप कर के दंडाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियुक्तों ने स्वयं ही स्थगन करने के लिये कहा। दंडाधीश ने उन की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। अब उन्हों ने क्या किया ? उन्हों ने उस फाइल पर जो उन के सम्मुख थी लिख दिया कि अभियोग को अभियुक्तों की प्रार्थना पर स्थगित कर दिया गया है। और वह भूल गये—मैं कह नहीं सकता कि वे भूल गये अथवा वे उसी रवैये को अपना रहे हैं जो देहली के न्यायालयों में पिछले कई वर्षों से चल रहे हैं किन्तु वे धारा ३४४ को भूल गये हैं। उस धारा के अनुसार जब मुकद्दमा स्थगित हो गया और यदि अभियुक्त हवालात

में है तो अधिपत्र द्वारा उसे वापिस लिया जा सकता है। मुकद्दमा जेल में चला। अभियुक्त को दंडाधीश के सम्मुख जेल से ला कर प्रस्तुत किया गया था। अभियुक्तों ने मुकद्दमे को स्थगित करने की प्रार्थना की, मेरा विचार है कि दंडाधीश ने संभवतः सोचा होगा कि ये अभियुक्त वहीं वापिस चले जायेंगे जहां से ये लोग अब आये हैं। उन्हों ने तो केवल नोट कर लिया उन्हों ने धारा के अनुसार कोई आदेश प्रसारित नहीं किया। इस पर उच्चतम न्यायालय के विद्वज न्यायाधीशों ने कहा है कि—

"प्रार्थी की ओर से श्री सेठी ने विधान एवं तथ्य सम्बन्धी बहुत से प्रश्न हमारे सम्मुख रखे हैं किन्तु इन प्रश्नों पर विवाद करना हम निरर्थक समझते हैं जैसा कि यह मान लिया गया है कि ६ मार्च का पहिला आदेश जिस के द्वारा हवालात में रखने के लिये कहा गया था वह ९ मार्च को समाप्त हो गया और अब वह प्रचलित नहीं है। ९ मार्च को मुकद्दमे की सुनवाई करने वाले दंडाधीश द्वारा हवालात में लेने के लिये आज्ञा के विषय में तो हम कह सकते हैं की सुनवाई करने वाले दंडाधीश उस समय दंड प्रक्रिया विधान की धारा ३४४ के अनुसार कार्यवाही कर रहे थे, यदि वह उस मुकद्दमे को स्थगित करना चाहते थे तो अभियुक्त को हवालात में वापिस लेने के लिये अधिपत्र की आवश्यकता थी। इस धारा के अन्तर्गत प्रत्येक आदेश ....."

अभिलेखों की जांच के उपरान्त वे भी इस निर्णय पर पहुंचे कि जैसे कि धारा ३४४ के अन्तर्गत हावालात में लेने के लिये आदेश की आवश्यकता है, वह विद्वज दंडाधीश साधारण आदेश देना भूल गये। इस का सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है यह तो दंडाधीश का क्षेत्र है, और उन से भूल हो गई है। दंडाधीश एवं न्यायाधीश प्रत्येक दिन भूल करते हैं। अन्यथा उच्च न्यायालय, एवं उच्चतम न्यायालय की तो फिर कोई आवश्यकता ही न रहे। इन भूलों को सुधारने के लिये ही इन न्यायालयों को बनाया गया है। यह तो केवल कार्य प्रणाली सम्बन्धी भूल थी। अतएव मैं ससम्मान निवेदन करता हूं कि यह स्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले मैं उन लोगों की बात सुनना चाहता हूं जिन्होंने यह स्थगन प्रस्ताव रखा है, उस के उपरान्त उन सदस्यों को अवसर मिलेगा इस सम्बन्ध में जो मेरे प्रश्नों पर प्रकाश डालेंगे। उस के उपरान्त सरकार द्वारा प्रकाश डाला जायगा। फिर मैं अपना निर्णय दूंगा।

श्री वी० जी० देशपांडे : (गुना) : मैं ने इस स्थगन प्रस्ताव को रखा था।

उपाध्यक्ष महोदय: जैसा कि श्री रेड्डी ने कहा है कि क्या आप कुछ और अधिक कहना चाहते हैं ?

श्री वी० जी० देशपांडे : पुलिस ने बड़ी अनियमितता से काम लिया है, तथा पुलिस और दंडाधीश ने अत्यन्त गम्भीर वक्तव्य दिया है कि उन्हों ने एक आदेश लिखा, जबकि उन्हों ने कहा था कि अभियुक्त दंडाधीश के सम्मुख प्रस्तुत किये गये।

ऐसा हुआ है; जब कि ऐसा उस मुकद्दमे में नहीं था।

उपाध्यक्ष महोदय : अब ऐसी स्थिति आ गई है कि या तो इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय या उसे अस्वीकृत। यह तो स्पष्ट ही है कि वे तीन माननीय सदस्य कल से मुक्त हैं। यह वाद विवाद तो १२ मार्च तक की स्थिति के बारे में है जब तक कि

[उपाध्यक्ष महोदय]

वे लोग निरुद्ध थे। आदेश अवैध है। हवालात में बंद करने की आज्ञा के बिना ही उन को निरुद्ध किया गया। दंडाधीश जो ९ मार्च को मुकद्दमे की सुनवाई कर रहे थे उन का कोई आदेश ऐसा नहीं था कि इन अभियुक्तों को फिर से वापिस हवालात में लिया जाय। ६ ता० को इन अभियुक्तों को पकड़ने के लिये कोई अधिपत्र जारी किया गया था अथवा नहीं इस पर उच्चतम न्यायालय ने कोई विचार नहीं किया। मेरे पास वह आदेश है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या उच्चतम न्यायालय ने कोई ऐसा निर्णय दिया था कि ६ ता० का निरुद्ध आदेश अथवा उन की गिरफ्तारी अवैध थी? यदि यह ठीक है तो धारा १८८ के अन्तर्गत की जाने वाली सभी कार्यवाही स्वतः ही रद्द हो जाती है। क्या ऐसी ही स्थिति थी? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का अभिप्राय तो ९ ता० तथा उस के पश्चात् उस तारीख से है जिस दिन भी प्रार्थना पत्र दिया गया। और जब वे न्यायालय में लाये गये तो उस समय उन के विरुद्ध कोई वैधानिक आदेश नहीं था अतएव न्यायालय ने उन की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और उन को मुक्त कर दिया। स्थिति तो ऐसी थी। तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि संसद् के तीन माननीय सदस्यों को कुछ समय तक अवैधानिक तौर पर निरुद्ध किया और यह बड़ी शोचनीय बात है।

तथ्य तो यह है कि उच्चतम न्यायालय ने उन की गिरफ्तारी के मूल आदेश को अवैध घोषित नहीं किया है। धारा १८८ के अन्तर्गत यह तो अभी तक लम्बित है। यदि दण्डाधीश ने दण्ड प्रक्रिया विधान की धारा ३४४ के अन्तर्गत यह लिख दिया होता कि वह आगामी १५ दिन के लिय और इन अभियुक्तों को हवालात में रखना चाहते हैं तो विधान के अनुसार यह आदेश वैध हो गया होता। न्यायालय कोई प्रशासनीय संस्था तो है नहीं जो कि इस सरकार के समक्ष उत्तरदायी हो। मुझे खेद है कि इस संसद् के तीन सदस्यों को किन्हीं परिस्थिति विशेष में बिना उचित आदेश के निरुद्ध किया गया किन्तु यह वह स्थान नहीं है जहां इस विषय पर और अधिक वाद-विवाद किया जाय। अतएव इस स्थगन प्रस्ताव के लिये मैं अपनी स्वीकृति नहीं दे सकता।

विशेषाधिकार सम्बन्ध में प्रश्न

तीन संसद सदस्यों का निरोध

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ अन्य माननीय सदस्यों की ओर से भी मुझे इस सम्बन्ध में पूर्व सूचना मिली है वे सदस्य निम्न हैं—सरदार हुक्म सिंह, श्री कृष्णास्वामी, और कुमारी एनी मस्करीन। व लिखते हैं कि :—

"संसद् के तीन सदस्य श्री श्यामाप्रसाद मुकर्जी, श्री एन० सी० चटर्जी, श्री नन्दलाल शर्मा, जिन को अपने विशेषाधिकारों से वंचित किया गया, तथा ज़िला बन्दीगृह में ९ मार्च से १२ मार्च तक अवैधानिक तौर पर निरुद्ध करके संसद् की बैठकों में भाग लेने से बाध्य किया गया! जब कि उच्चतम न्यायालय ने उन के निरोध को अवध घोषित कर दिया है तथा इसे संविधान के विरुद्ध कहा है। हम इन सदस्यों को उन के विशेषाधिकारों से वंचित करने के बारे में प्रश्न करना चाहते हैं।"

यह पूर्व सूचना नियमानुसार है। मैं देखूंगा कि इस में विशेषाधिकारों से वंचित करने का आरोप है या नहीं। इस पर विचार करने के लिये मुझे कुछ समय चाहिये।

श्री आर० एन० एस० देव और सरदार हुक्म सिंह की ओर से धारा १७२ के अन्तर्गत

एक और प्रस्ताव की पूर्व सूचना मिली है। जो इस प्रकार है।

"धारा १७२ के अनुसार लोकहित सम्बन्धी मामले पर विचार विमर्श करने के लिये पूर्व सूचना देते हैं :—

संसद् सदस्य बाबू रामनारायण सिंह ने उच्चतम न्यायालय में बन्दी प्रत्यक्षीकरण प्रार्थना पत्र में स्पष्ट किया है कि अधिकारियों द्वारा संविधान के नियोगीय उपबन्धों का तथा विधान के अनुसार उन का उचित प्रयोग नहीं किया जाता एवं उन में गम्भीर अनियमितितायें भी की जाती हैं।"

उच्चतम न्यायालय के निर्णय की एक प्रतिलिपि मेरे पास है, मैं इस पर विचार करूंगा और संसद् के समक्ष पश्चात् को प्रस्तुत करूंगा।

सदन में अब वैधानिक कार्यवाही होगी।

अभियुक्ति को कार्यवाही में से निकाल देना

श्री वी० पी० नायर (चिरायिन्किल्) : विशेषाधिकारों के सम्बन्ध में आप के आदेश देखने को मिले जिन के बारे में मैं आज प्रश्न करना चाहता हूं मैं आशा करता हूं कि इस विशेषाधिकार के प्रश्न पर विचार करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : फिर वही बात आ गई। कुछ नियम तथा कुछ उपबन्ध हैं जिनका हम को पालन करना चाहिये। एक माननीय सदस्य मेरे पास आये और कहने लगे कि इस प्रश्न को वे सदन में रखना चाहते हैं। उन का अभिप्राय अपने दिये गये पहले भाषण में से कुछ अभियुक्तियों को निकालने के सम्बन्ध में था। मैं ने बताया कि मेरी पूर्व सूचना के बिना सदन में ऐसा प्रश्न नहीं रखा जा सकता। एक दिन वे मेरे पास फिर आये। मैं उन के साथ बैठा और सभी अभिलेखों को देखा, और उनमें से कुछ भागों को फिर वापिस ले लेने की सहमति दे दी। तब वे चले गये। आज प्रातः माननीय सदस्य फिर आये और कहने लगे कि यह विशषाधिकारों पर आघात है और वह सदन में इस प्रश्न को रखेंगे। मैं ने माननीय सदस्य को लिख दिया कि वह मेरे पास आये थे और कुछ भागों को निकालने और कुछ भागों को फिर से लेने के बारे में अपनी सहमति दे गये हैं। इस के अतिरिक्त बात तो यह है कि यह सब कुछ तो स्वेच्छा का प्रश्न है यदि वह माननीय सदस्य असन्तुष्ट हैं तो वह मेरे पास फिर आयें। यदि वे कहते हैं कि स्पष्ट रूप से उन के विशेषाधिकारों को आघात पहुंचा है तो मैं इस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति को दे दूंगा। मैं ने उन से बात चीत की है और उन को पूर्ण सन्तुष्ट कर दिया है। इस से अधिक मैं क्या कर सकता हूं।

श्री वी० पी० नायर : आप ने जैसा कि अभी अपने वक्तव्य में कहा है कि आपने मुझे सन्तुष्ट कर दिया था। किन्तु ऐसा नहीं है मैं चाहता हूं कि सदन को इस बात का पता लग जाय कि मैं सन्तुष्ट नहीं था।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य सन्तुष्ट नहीं हैं तो मैं इस से अधिक कुछ नहीं कर सकता। मैं नियमों का पालन करता हूं। नियमानुसार मुझे यह अधिकार है कि मैं किन्हीं भी भागों को निकाल दूं, अतएव इस मामले में मैं ने ऐसा ही किया है। ऐसी स्थिति में मैं इस विषय पर और कुछ अधिक सुनना नहीं चाहता।

श्री पुन्नूस (अल्लपी) : श्रीमान्, यह मामला विशेषाधिकारों से सम्बन्ध नहीं रखता। मामला तो सदन के समक्ष रखा जा चुका है। उस समय अभियुक्तियों को निकाला नहीं गया था, अतएव यह तो सदन की सम्पत्ति हो जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय पर काफी वाद विवाद हो चुका है यदि यह मामला फिर मेरे सामने आता है तो मैं इसे कार्यवाही में से निकाल दूंगा ।

प्रधान मंत्री तथा सदन के नेता (श्री जवाहरलाल नेहरू) : उपाध्यक्ष महोदय सदन के नेता होने के नाते मुझे बड़ा कष्ट हुआ है और अपनी कठिनाई को मैं आप के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं । सदन का बहुत सा समय प्रति दिन ऐसे निजी वाद विवाद में समाप्त कर दिया जाता है जिस में कि कुछ विरोधी सदस्य दिलस्चपी रखते हैं । संसद् के सभी सदस्य राष्ट्र के मत्थे अधिकांश से भी अधिक समय तक निजी शिकायतें सुनते रहते हैं । मैं कह सकता हूं कि यह राष्ट्र के समय का अपव्यय है, संसद् के समय का अपव्यय है, अतएव नियमों का प्रकल्प करना चाहिये । मैं आशा करता हूं कि श्रीमान्, या तो आप अथवा माननीय अध्यक्ष महोदय इस के परिहार करने का प्रयत्न करेंगे । मैं किसी न्यायसंगत बात के बीच में नहीं आना चाहता किन्तु मेरा अभिप्राय तो यह है कि समय का सदुपयोग किया जाना चाहिये । हम बहुत से समय का अपव्यय प्रति दिन इन निजी बातों पर करते हैं ।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : संसद् के नेता यह भूल जाते हैं कि वे केवल बहुमत वाली पार्टी के ही नेता नहीं हैं अपितु संसद् की सभी पार्टियों के अधिकारों, एवं विशेषाधिकारों के समर्थक हैं । अतएव क्या माननीय नेता ऐसी स्थिति में हैं कि वे कह सकें कि विरोधी सदस्य निजी प्रश्न कर के राष्ट्र के समय का अपव्यय कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : संसद् के नेता ने जिन बातों का उल्लेख किया है वे उचित हैं, मैं भी इस के बारे में निर्णय नहीं कर सका हूं कि क्या करूं । जहां तक विशेषाधिकार का प्रश्न है वहां तक तो मैं कह सकता हूं कि यदि कोई सदस्य असन्तुष्ट है तो वे पूर्व सूचना दे सकते हैं और उस पर मैं अपनी सहमति दे सकता हूं । इस विशेष मामले में भी मैं ने माननीय सदस्य को सूचना दे दी थी किन्तु फिर भी वे संसद् का समय नष्ट कर रहे हैं जैसा कि संसद् के नेता ने अभी कहा है कि संसद् की कार्यवाही ठीक ढंग से होनी चाहिये । जब एक नियम पास हो गया है चाहे वह ठीक है अथवा गलत किन्तु फिर भी सब को उस का पालन करना चाहिये । मैं ने उन को समझाने का प्रयत्न किया किन्तु फिर भी यह प्रश्न सदन में आया और इतना समय व्यर्थ में नष्ट किया गया । मैं अवश्य ही नियमों में परिवर्तन करने का प्रयत्न करूंगा ।

जहां तक इस विशेष मामले का सम्बन्ध है मैं कह सकता हूं कि इस को संसद् में नहीं लाना चाहिये था क्योंकि मैं उन को अपना निर्णय दे चुका था । ऐसी स्थिति में मैं अब अधिक इस विषय के बारे में कुछ नहीं कर सकता ।

भविष्य में पूरा पूरा प्रयत्न करूंगा कि सदन के समय का अपव्यय न हो ।

श्री पुन्नूस : क्या माननीय महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कोई भी सदस्य चाहे वे सदन के माननीय नेता ही क्यों न हों, उन को इतना अधिकार है कि वह यह कह सके कि सदन अपने समय का अपव्यय करता है । उन्हों ने कहा है कि हम लोग समय का अपव्यय किया करते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन समष्टि रूप में अपने समय का अपव्यय नहीं करता, उन्हों ने तो यह कहा है कि कुछ माननीय सदस्य समय का अपव्यय करते हैं । ऐसी स्थिति में मैं कह सकता हूं कि उन्हों ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिस पर कि मैं यहां विचार करूं ।

श्री एन० बी० खरे : क्या श्रीमान्, बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रश्न को किस आधार पर निजी मामला कहा गया है ?

श्री एच० एन० मुकर्जी : हम यह जानना चाहते हैं कि कार्यवाही में से जो भाग निकाल दिये जाते हैं उन के बारे में सदस्यों के क्या क्या अधिकार हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय के स्वेच्छा अधिकार हैं । यदि कोई सदस्य अपना वक्तव्य देना चाहते हैं अथवा अभ्यावेदन करना चाहते हैं तो मैं उन की बात को सुनने के लिये सदैव तत्पर हूं । उसे सुनने के उपरान्त मैं अपना आदेश जारी करता हूं जो कि अन्तिम होता है । अतएव फिर से इसे सदन के सम्मुख नहीं लाया जा सकता । यही मेरा निर्णय है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या माननीय महोदय बताने की कृपा करेंगे कि किस आधार पर उन्हों ने ऐसा निर्णय दिया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : नियमों के अनुसार मुझे अधिकार है कि मैं ऐसा निर्णय कर सकूं ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : सदन, अब अधिक सहन नहीं कर सकता ।

श्री चट्टोपाध्याय : (विजयवाडा) : प्रधान मंत्री की सहनशीलता बड़ी जल्दी समाप्त हो जाती है .....

श्री जवाहरलाल नेहरू : श्रीमान्, माननीय सदस्य बड़े जोर से बात कर रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं (**अन्तर्बाधा**)

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

* * * * *

उपाध्यक्ष महोदय : यदि फिर ऐसी बात होगी तो माननीय सदस्य के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करूंगा । मैं किसी भी प्रकार सदन का समय व्यर्थ में नष्ट नहीं करना चाहता ।

भारतीय दंड प्रक्रिया विधान तथा दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन विधेयक)

उपाध्यक्ष महोदय : पंडित ठाकुर दास भार्गव ने ३० जुलाई १९५२ को जो प्रस्ताव रखा था अब सदन आगे उस पर विचार करेगा ।

बाबू राम नारायण सिंह पिछली बार पंडित ठाकुर दास भार्गव के इस विधेयक पर अपने विचार प्रकट कर रहे थे वे चाहते थे कि भारतीय दंड विधान तथा दंड प्रक्रिया संहिता में कुछ संशोधन हो । यदि वे अब नहीं बोलना चाहते तो मैं किन्हीं और सदस्य से प्रार्थना करूं कि वे अपना विचार प्रकट करें ।

श्री नम्बियार मयूरम : मैं इस विधेयक के बारे में विचार प्रकट करना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं और अधिक रुकावट नहीं चाहता । माननीय सदस्य मेरे पास आये थे, मैं ने उन को कहा था कि मैं रुकावट नहीं चाहता जैसा कि यहां रुकावट डालने नहीं चाहता जैसा कि यहां रुकावट डालने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

सेठ गोविन्द दास (मंडला-जबलपुर दक्षिण) : उपांध्यक्ष महोदय, पंडित ठाकुर दास जी ने जो विधेयक यहां उपस्थित किया है उस का मैं हृदय से समर्थन करता हूं ।

जहां तक इस विधेयक के मूल सिद्धान्त का सम्बन्ध है वहां तक मैं समझता हूं कि किसी को भी मतभेद नहीं होना चाहिये, क्योंकि यह विधेयक जिन लड़कियों का विवाह हो चुका है, उस से सम्बन्ध नहीं रखता । आज संसार की जैसी परिस्थिति है, और हमारे देश की जैसी परिस्थिति है, उस में अंग्रेज़ी म जिस को सेक्स मोरेलिटी कहते

***अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया ।

[सेठ गोविन्द दास]

हैं, यौनिक नैतिकता वह बहुत नीचे स्तर पर आ गई है । अभी जब मैं दुनिया के देशों में घूमा तो मैं ने उन देशों में देखा कि इस नैतिकता के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न विचार हैं और जहां तक पश्चिमी देशों का सम्बन्ध है वहां तक तो यह नैतिकता बहुत ही नीचे स्तर पर पहुंच गई है । कुछ लोग विवाह संस्था पर ही विश्वास नहीं करते । उन का यह कहना है कि मानव समाज में एक ऐसा समय था जब विवाह संस्था ही नहीं थी । हमारे देश के भी कुछ लोगों का यह मत है और वे महाभारत की एक कथा का प्रायः दृष्टान्त दिया करते हैं, जो उद्दालक और श्वेत केतु की कथा के नाम से प्रसिद्ध है । यदि थोड़ी देर के लिये हम इस बात को मान भी लें कि मानव समाज में एक ऐसा समय था जब विवाह संस्था नहीं थी तो भी मैं तो इस बात पर विश्वास रखता हूं कि मानव समाज उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है और मेरा यह मत है कि पुरुष और स्त्री के संग में रहने का विवाह पद्धति के अतिरिक्त और दूसरा कोई सुचारुमार्ग नहीं है । फिर कौन सा विवाह सब से अधिक श्रेयष्कर है इस सम्बन्ध में भी बड़ा मतभेद है । मैं ने अमेरीका में देखा, वहां का तो यह मत भी है कि विवाह बंधन में बंधने के पूर्व पुरुष और स्त्री दोनों को कम्पेनि-अनेट मैरेज के रूप में रहना चाहिये, यानी विवाह के न होते हुए भी दोनों इस प्रकार रहें जिस प्रकार पति और पत्नी रहते हैं और इस प्रकार से रहते हुए जब दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से पहिचान लें अच्छी तरह से समझ लें, तब उन का विवाह में बंधना उचित है ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि अब तक समाज में कोई भी आदर्श विवाह पद्धति नहीं निकली है, और जहां तक मेरा मत है, हमारे भारत वर्ष में जो विवाह पद्धति प्रचलित है वह सर्वोत्तम पद्धति है । मैं यह नहीं कहता कि हमारे यहां विवाह पद्धति में कोई दोष नहीं है, और इस में कोई ऐसी बात नहीं होती जो कि विवाह में बंधे हुए पुरुष और स्त्री के लिये दुःखकारक हों । परन्तु जहां पर भिन्न भिन्न प्रकार की नवीन विवाह पद्धतियां चल चुकी हैं, जैसा मैं ने अभी कहा कि अमेरीका में तो कम्पेनियनेट मेरेज तक आ चुकी है, क्या वहां जो दम्पत्ति एक बार विवाह में बंध जाते हैं उन के जीवन में कोई दुःख नहीं आता ? आप देखिये कि वहां तलाक के कितने अधिक मुकद्दमे होते हैं, वहां पर आत्म हत्या में कितने अधिक प्रकरण हम को सुनाई देते हैं । इस लिये जहां तक विवाह पद्धति का सम्बन्ध है वहां तक मेरा मत है कि भारतवर्ष की विवाह पद्धति जितनी अन्य विवाह पद्धतियां प्रचलित हैं उन सब से श्रेयष्कर है ।

पंडित ठाकुर दास जी भार्गव का यह विधेयक विवाह से सम्बन्ध नहीं रखता । यह विधेयक उन लड़कियों या स्त्रियों से सम्बन्ध रखता है जिन का विवाह नहीं हुआ । अब आज हमारा समाज जिस प्रकार कुछ लोगों के मत से आगे बढ़ रहा ह, मैं उसे आगे बढ़ना न कह कर यह कहता हूं कि वह जिस प्रकार से चल रहा है, उस में इस विधेयक की नितान्त आवश्यकता है, आज हमारी लड़कियां समाज के अनेक क्षेत्रों में काम करती हैं । हाई स्कूलों में पढ़ती हैं, कालेजों में पढ़ती हैं, आफिसों में टाइपिस्ट का काम करती हैं, और भी न जाने कितने प्रकार के काम करती हैं । मैं इस बात का समर्थक हूं कि जहां तक अधिकार का सम्बन्ध है, वहां तक पुरुषों और स्त्रियों के अधिकार में कोई अन्तर नहीं होना चाहिये और स्त्रियों को पुरुषों के सदृश ही समाज में सारे अधिकार प्राप्त रहने चाहियें पर इसी के साथ में एक बात और भी मानता हूं कि

समाज का हर क्षेत्र स्त्रियों के काम करने के योग्य है यह भी कोई बड़ी उचित दलील नहीं है । यदि हम थोड़ी देर के लिये यह मान लें कि पुरुषों ने अब तक समाज के जिन जिन क्षेत्रों में काम किया है वे सब क्षेत्र स्त्रियों के लिये भी उपयुक्त हैं तो मैं कहूंगा कि थोड़े दिनों के पश्चात् हम देखेंगे कि स्त्रियों में उतनी ही जुर्म करने वाली स्त्रियां पैदा हो जायेंगी कि जितने जुर्म करने वाले पुरुष समाज में रहते हैं । मैं अनेक जेलों में रहा हूं और मैं ने देखा है कि जहां जेलों में पुरुष कैदियों की संख्या दो हजार तक या ढाई हजार तक थी, वहां स्त्रियों की संख्या दो या ढाई सौ से अधिक नहीं थी । अब यदि हमारी बहिनों की यह इच्छा है कि पुरुषों के हर एक क्षेत्र में वे काम करें और पुरुषों के कार्य करने के जितने क्षेत्र हैं वे सब बड़े श्रेयष्कर हैं तो मैं उन से कहना चाहता हूं कि जेलों में भी उन की संख्या थोड़े दिन बाद पुरुषों के बराबर हो जाने वाली है ।

फिर आज एक ओर तो हम यह चाहते हैं कि शान्ति के लिये प्रयत्न हो । हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि डिसआर्मामैन्ट हो निःशस्त्रीकरण हो । दूसरी ओर हमारी बहनें यह चाहती हैं कि उन्हें सैनिक शिक्षा दी जाय । मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि स्त्रियों को भी हथियार चलाना आना चाहिये और मातृभूमि पर कभी कोई संकट आवे और पुरुष उस की रक्षा न कर सके तो हमारी बहिनों को भी यह अधिकार है कि वे मातृ भूमि की रक्षा के लिये शस्त्र उठायें और युद्ध क्षेत्र में जायें । लेकन अगर हमारी बहिनें यह समझती हैं कि युद्ध की शिक्षा कोई बड़ी अच्छी शिक्षा है, हथियार चलाना कोई बड़ा अच्छा काम है और युद्ध क्षेत्र में जाना बड़ा श्रेयष्कर है तो मेरा उन से मतभेद है । यदि आज कहीं भी संसार में शान्ति की बात सुनाई देती है तो वह हमारी बहनों के कारण । यदि हमारी बहिनें भी हथियार चलाने और युद्ध को ऊंचा काम समझने लगेंगी और पुरुषों के सदृश उन की भी यह इच्छा होगी कि उन्हें भी सैनिक शिक्षा मिलनी चाहिये और सेना में भर्ती होना और हथियार चलाना यह सब अच्छे काम हैं तो मानव समाज में जो थोड़ी बहुत शान्ति हम को दिखाई देती है, वह भी हम को दृष्टिगोचर नहीं होगी । तो आज जो हमारी बहिनें समाज के हर क्षेत्र में कार्य करने का प्रयत्न कर रही हैं उसे देखते हुए मेरा यह मत है कि जो विधेयक पंडित ठाकुर दास जी भार्गव ने प्रस्तुत किया है वह सर्वथा उचित विधेयक है । मैं तो आगे चल कर यहां तक चाहता हूं कि वेश्या-वृत्ति भी हमें इस देश में जल्दी से जल्दी बन्द करनी चाहिये । मैं ने किसी भी सभ्य देश में वेश्यावृत्ति नहीं पाई । वेश्यावृत्ति आज अधिकतर सभ्य देशों में एक जुर्म मानी जाती है और हमारा जो यह इतना प्राचीन देश है, जिस में सेक्स मारेलिटी, यौनिक नैतिकता पर इतना जोर दिया गया है, वहां पर वेश्यावृत्ति रहे और वह एक कानूनी वृत्ति मानी जाये, यह हमारे देश के लिये एक बड़े कलंक की बात है । तो मैं तो कहूंगा कि वेश्यावृत्ति को समाप्त करने के लिये हमें एक और विधेयक प्रस्तुत करना चाहिये जो अखिल भारतीय रूप से इस वेश्या-वृत्ति को समाप्त कर दे । पर जब तक इस प्रकार का कानून हमारे यहां नहीं बन जाता है तब तक हम कम से कम इतनी सी बात तो करें कि जो स्त्रियां बालिग नहीं हैं उन के सम्बन्ध में हम इस विधेयक को स्वीकार करें । इस विधेयक पर जो कंसेंट कमेटी बिठाई गई थी अगर आप उस की सिफारिशों को देखें और उन पर ध्यान दें तो आप को मालूम होगा कि उस ने भी यह बात कही थी कि इस सम्बन्ध में कम से कम यह अवस्था जो पहले १४ वर्ष की थी और अब १६ वर्ष की है वह १८ वर्ष कर दी जाये । मैं तो और भी आगे जा कर यह

[सेठ गोविन्द दास]

कहूंगा कि यह १८ वर्ष भी मेरी दृष्टि से कम ही है और यह बढ़ा कर २१ वर्ष की कर दी जानी चाहिये कम से कम १८ वर्ष रहना तो अत्यावश्यक है। तो आज संसार की जैसी परिस्थिति है, हमारे देश की जैसी परिस्थिति है, तमाम सभ्य देशों की जैसी परिस्थिति है, इन सब परिस्थितियों को देखते हुए मेरा यह मत है कि पंडित ठाकुर दास जी ने जो विधेयक यहां उपस्थित किया है उसे हम को सर्व मत से स्वीकृत करना चाहिये ।

श्री एम० डी० जोशी (रत्नागिरी—दक्षिण): पं० ठाकुर दास भार्गव के इस विधेयक से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं। इस विधेयक को देखने से स्पष्ट होता है कि पं० ठाकुर दास भार्गव इस बिल के बनाने वाले हैं ।

पंडित ठाकुरदास भार्गव (गुड़गांव) : मैं ने संसद् के समक्ष संशोधन नहीं रखे थे ।

श्री एम० डी० जोशी : मैं संशोधन के बारे में थोड़े ही कह रहा हूं। मेरा अभिप्राय तो केवल उसी से है जो उन्हों ने अपने पिछले भाषण में कहा था और जिस का उल्लेख अभिलेखों में मिलता है ।

सन् १८६० में जब पहिली बार यह धारा मूल रूप में बनी थी तो उस समय सम्मत्ति देने की अवस्था १० वर्ष रखी गई थी। और ऐसी प्रथम विधि आयोग ने सिफारिश भी की थी। पश्चात् को १८९१ में अवस्था बढ़ा कर १२ वर्ष कर दी गई क्यों कि १० वर्ष की लड़की अपनी सम्मत्ति दे सकेगी अथवा नहीं इस के बारे में संशय था क्योंकि १० वर्ष की अवस्था वाली लड़की अल्पायु मानी गई थी। सन् १९२४-२५ में डा० गौड़ ने अवस्था बढ़ा कर १४ वर्ष करने के लिये केन्द्रीय सभा में प्रस्ताव रखा। लगभग उसी समय हर बिलास सारदा ने एक विधेयक प्रस्तुत किया जिस के अनुसार १४ वर्ष से कम आयु वाली लड़की का विवाह १८ वर्ष से कम आयु वाले लड़के के साथ करना निषिद्ध था। यह विधेयक स्वीकृत हो गया और आज कल इस विधेयक का प्रायः सभी जातियों एवं समाज द्वारा पालन किया जाता है ।

डा० गौड़ ने अपने विधेयक में कहा था कि अवस्था बढ़ा कर १४ वर्ष कर देनी चाहिये क्योंकि आज का युग इस बात की आवश्यकता समझता है और यह इस युग में सत्य है कि १२ वर्ष की अवस्था कम है। पं० ठाकुर दास भार्गव ने अपने विधेयक में अवस्था बढ़ा कर १८ वर्ष करने की सिफ़ारिश की है जो बहुत ही आवश्यक एवं आज के युग को देखते हुए ठीक है ।

यदि हम विधि पुस्तकों को देखें तो पता चलता है कि बलात्कार करने पर मृत्यु दंड दिया जाता था। जो पश्चात् को अंग भंग करने के रूप में रह गया। अर्थात् या तो दोषी के अंडकोष निकाल दिये जाते थे अथवा उस की आंख निकाल दी जाती थी। कुछ समय उपरान्त इंगलैंड में जनता की विचार धारा ने पलटा खाया और यह बलात्कार इतना निन्दित अथवा घृणित कार्य नहीं समझा गया अतएव दोषी को केवल दो वर्ष का कारावास दिया जाने लगा। किन्तु पश्चात् को इस की प्रक्रिया ने गम्भीरतम रूप धारण कर लिया। फिर से इसे महापातक अपराध माना जाने लगा। दोषी को जीवन कारावास दिया जाने लगा। आजकल इंगलैंड में बलात्कार करने वाले को ७ वर्ष का कारावास दिया जाता है ।

अमरीका में भी एक विधेयक बन गया है जिस के अनुसार बलात्कार करने वाले को मृत्यु दंड अथवा कितने ही वर्ष का कारावास दिया जा सकता है ।

इंगलैंड तथा अमरीका में जब ऐसी स्थिति है तो पं० ठाकुर दास भार्गव कहते हैं कि हमारे

यहां भी ऐसा ही विधेयक बना दिया जाय। हमारे यहां की शिक्षित कुमारियां भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसायों द्वारा जीवन यापन कर रही हैं। आज के समाज में लड़के और लड़कियां नवयुवक एवं युवतियां, नाना रूप से एक दूसरे के सम्पर्क में आती हैं। और यह स्वाभाविक ही है कि ये युवक युवतियां किसी दिन भी आर्कषण गिरफ्त में आ सकते हैं। अतएव यह आवश्यक है कि इन की रक्षा किसी विधि द्वारा की जाये। विधि द्वारा उन के चरित्र को बनाये रखना है। पं० ठाकुर दास भार्गव ने इस नई पीढ़ी की सुरक्षा के लिये ही यह विधेयक रखा है जिस के लिये मैं उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

इस वर्तमान संशोधन में अवस्था बढ़ा कर १८ वर्ष करने की सिफारिश की गई है। मान लें कि एक लड़की १६ वर्ष की उम्र में घर से भाग जाती है तो यह देखना है कि क्या उस का यह कार्य उचित है ? कभी नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि १६ और १८ वर्ष के बीच की कन्या यदि अपनी सहमति दे भी देती है तो उस की यह सहमति नवयुवक की रक्षा नहीं कर सकेगी। संशोधन विधेयक के खंड ४ के अनुसार यह दूसरा दोष होगा।

अंत में इतना और कहूंगा कि १६ वर्ष से कम आयु वाली कन्या से बलात्कार करना कोई सधेंय अपराध नहीं है। किन्तु १६ से १८ वर्ष वाली कन्या चाहे वह अपनी सहमति ही क्यों न दे दे उस के साथ बलात्कार करना सधेंय अपराध होगा। अतएव यह विधेयक समाज तथा युवक एवं युवितयों के लिये बहुत ही लाभदायक तथा उन के चरित्र को ऊंचा उठाने में समर्थ होगा, अतएव मैं इस के प्रस्तुतकर्त्ता को हार्दिक बधाई तथा हृदय से इस का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : लगभग पिछले ३ दिन से इस पर वाद विवाद चल रहा है। इस के कारण अन्य दूसरे विधेयक रुक गये हैं। अब हम यह जानना चाहते हैं कि सरकार का इस विधेयक के बारे में क्या दृष्टिकोण है।

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): उपाध्यक्ष महोदय जैसा कि अभी आप ने कहा है कि सदन के सम्मुख यह विधेयक कई दिन से है। इस का प्रारम्भ पिछली जुलाई में मेरे माननीय मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव के संक्षिप्त भाषण से हुआ था। फिर उस के पश्चात् वाद विवाद हुआ, ११ दिसम्बर को पूरे दिन इस पर विचार विनिमय होता रहा। और आज तीसरा दिन है।

जैसा कि मेरे माननीय मित्र पं० भार्गव ने अपने परिचयात्मक भाषण में कहा है कि इस विधेयक के पीछे कुछ इतिहास छिपा है। मैं सदन को उस इतिहास के विषय में कुछ बताना चाहता हूं। वास्तव में यह सत्य है कि भारतवर्ष में सहमति सम्बन्धी अवस्था के साथ अनोखा वैधानिक इतिहास छिपा है। प्रारम्भ में यह अवस्था १० वर्ष थी, फिर बढ़ कर १२ वर्ष हुई, फिर पति पत्नी के सम्बन्ध के लिये बढ़ा कर १५ वर्ष तथा अन्य दूसरी बातों के लिये १६ वर्ष कर दी गई। ऐसा है हमारा यह वर्तमान कानून।

एक समिति की नियुक्ति की गई, जिस ने समस्त देश का भ्रमण किया और जनता का मत लिया। मेरे माननीय मित्र पं० भार्गव ने ठीक ही कहा है कि समिति के सम्मुख सभी ने यह प्रकट किया था कि अवस्था बढ़ा कर १८ वर्ष कर देनी चाहिये।

किन्तु समिति का ध्यान एक घटना विशेष की ओर आर्कषित किया गया था जो मैं यहां प्रस्तुत करता हूं, जिस पर अधिक

ध्यान देने और विचार करने की आवश्यकता है। अपने देश की लड़कियों की रक्षा करने के लिये उचित साधनों को कार्यान्वित करने में मैं किसी से पीछे नहीं हूं। इस बारे में कोई वैमनस्य अथवा दो मत नहीं हो सकते।

किन्तु हमें समाज का वह रूप लेना है जो आज प्रचलित है। सन् १९२७ में भी ऐसा कहा जाता था कि कुछ प्रांतों की कुछ जातियों में ऐसी प्रथा चल पड़ी थी कि नवयुवक एवं युवतियां ३–४ दिन के लिये बाहर चले जाते थे और वहां से लौटने पर कहते थे कि वे एक दूसरे से विवाह करना चाहते हैं। और ऐसा कहा गया था कि इस प्रथा में कोई रुकावट नहीं डालनी चाहिये। अच्छी बात है। ऐसा सन् १९२७ में था। ब्रिटिश सरकार ने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया।

मैं संसद् का ध्यान एक हाल की घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह विधेयक अथवा इस का संशोधित रूप सन् १९४८ में प्रस्तुत किया गया। निःसंदेह हम संसद् अथवा संसदीय परम्परा से बद्ध नहीं हैं। इस संसद् में आज जो कुछ भी होता है वह इस संसद् को अथवा इस के उत्तराधिकारी को अवश्य ही प्रकट होगा, वे लोग चाहें तो इसे अंत कर दे अथवा इस की प्रगति करें, यह उन की स्वेच्छा पर निर्भर है। किन्तु यह हाल की ही घटना है। यह विधेयक उस समय की संसद् में रखा गया तथा पश्चात् को प्रवर समिति को भेज दिया गया। प्रवर समिति ने अपना विवरण २१ मार्च १९४९ को दिया––केवल ४ वर्ष पूर्व। और वह प्रवर समिति––मैं फिर एक बार कहता हूं कि यह संसद् किसी के अधीन नहीं है किन्तु यह प्रवर समिति बड़ी शक्तिशाली है जिस की आप कल्पना कर सकते हैं। इस के सदस्य निम्न महानुभाव थे––स्वर्गीय सरदार पटेल, श्री अजीत प्रसाद जैन, बख्शी टेक चन्द, लाहौर उच्च न्यायालय के भूत पूर्व मुख्य न्यायाधीश, श्री वेलायुधन, पं० के० सी० शर्मा, श्री कुन्हीरमन, श्रीमती दुर्गाबाई, और बेगम एज़ाज़ रसूल––दो स्त्री प्रतिनिधि हिन्दू और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली––श्री देशबन्धु गुप्ता, दिल्ली के स्वर्गीय कूटनीतिज्ञ, सरदार हुक्म सिंह, और उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं भी संसद् के सदस्य के नाते।

अब यह बिल्कुल सत्य है कि मेरे माननीय मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव ने बड़े उत्साह के साथ इस मामले पर विचार किया है। उन के त्याग और सलग्नता की मैं सराहना करता हूं किन्तु समिति के प्रतिवेदन में मैं असम्मति प्रकट करता हूं। अन्यथा यह बिल्कुल सर्वसम्मति से निश्चित था। एक स्थान पर कहा है (यह एक छोटा सा पैरा है):

"हमारे विचार से दंड प्रक्रिया विधान की धारा ३७५ के अन्तर्गत विवाह के अतिरिक्त अन्य अपराधों के लिये सम्मत्ति देने सम्बन्धी अवस्था १६ वर्ष कर देनी चाहिये अर्थात् १५ वर्ष की अपेक्षा इसे बढ़ा कर १६ वर्ष कर देना चाहिये न कि १८ वर्ष जैसा कि प्रस्ताव में कहा है। और विशेष रूप से उस समय जब कि हम विवाह करने की अवस्था १५ वर्ष निश्चित करने जा रहे हैं।"

अतएव विवाह के लिये अवस्था १५ वर्ष निश्चित कर दी गई और सम्मत्ति देने सम्बन्धी अवस्था बढ़ा कर १६ वर्ष। १६ वर्ष पहले तो सहमति देने का प्रश्न उठता ही नहीं है। संसद ने इस विधेयक को अप्रैल में पास कर दिया, अर्थात् अगले मास में।

अब प्रश्न यह है कि क्या पिछले ४ वर्षों में परिस्थिति में कोई परिवर्तन हुआ है, जिस से

कि आप को यह अनुभव हुआ हो कि एक नई नीति अपनाई जाय और उस समय की पास की गई नीति को बदल दिया जाय। मैं इस को फिर मानता हूं और वह भी चौथी बार कि यदि आप इस बात को मानते हैं कि आप से कोई भूल हुई है, और निसंदेह आप वैसा करने के अधिकारी हैं, तो निश्चय ही आपकी उत्तराधिकारी संसद् आपके निर्णय को बदल सकती है, और जैसा चाहें वैसा कर सकती है। किन्तु स्थिति ऐसी है।

श्रेष्ठता के विचार से यद्यपि यह एक नाजुक मामला है मैं इस का विवेचन अधिक नहीं करना चाहता ? पिछली बार, जैसा कि आप ने कहा है, कि पिछले ३ दिनों में बहुत से सदस्यों ने इस विधेयक के विषय में बहुत कुछ कहा है। लगभग सभी पार्टियों के सदस्यों ने इस में भाग लिया है उदाहरणतः मेरे मित्र डा० खरे ने अपने विचार प्रकट किये हैं और उन्हों ने इस विधेयक को पसंद नहीं किया है। और ऐसे ही विचार माननीय सदस्या श्रीमती उमा नेहरू ने भी प्रकट किये हैं वह कहती हैं कि विधेयक से तो सहमत हूं किन्तु परमात्मा के लिये लड़कों को दंड न दो।

विधेयक के अनुसार यदि मैं भूल पर नहीं हूं तो पंडित भार्गव विरोधी दल को सन्तुष्ट करने का ही प्रयत्न कर रहे हैं।

आप जैसा कि देखते हैं कि इस अपराध को घृणीत नाम से पुकारा जाता है जैसे बलात्कार, अथवा घातक हमला। इस का मूल आधार, अवस्था के प्रश्न को छोड़ कर, यह है कि यह इच्छा के विरुद्ध अथवा दूसरी पार्टी की सहमति के बिना होना चाहिये। यदि इच्छा नहीं है, सहमति नहीं है, तब अवस्था चाहे कितनी भी क्यों न हो—२५ वर्ष, ३५ वर्ष ४५ वर्ष, इस की कोई बात नहीं है। किन्तु जब एक स्त्री ऐसा करने के लिये तैयार नहीं है तो यह बलात्कार है इस के लिये १० वर्ष का या १२ वर्ष का कारावास अथवा जीवन भर का कारावास दिया जा सकता है। १६ वर्ष की अवस्था तक के लिये तो विधान है, अतएव सहमति अथवा असहमति का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तात्पर्य यह है कि १६ वर्ष की अवस्था तक तो लड़की की अवस्था प्रभावशाली अवस्था मानी जाती है अर्थात् उस पर कैसा भी प्रभाव डाला जा सकता है, वह अवस्था विचारों की अपरिवक्व अवस्था होती है, अतएव उस की रक्षा की जानी चाहिये।

अब यद्यपि हम एक नये सिद्धान्त पर आ गये हैं। यह नया सिद्धान्त १६ और १८ वर्ष की अवस्था के बीच में है—यदि सहमति नहीं है तो विधेयक की भी आवश्यकता नहीं है, उन स्त्रियों की रक्षा का तो अतएव कोई प्रश्न ही नहीं उठता जो अपनी सहमति नहीं देतीं। मेरे माननीय मित्र ने अपने हृदय की कोमलता के कारण ऐसा कहा है, कि १६ और १८ वर्ष की अवस्था में सहमति का प्रश्न विवादास्पद है। अच्छी बात है। यदि हम इस बात को मान लें कि सहमति दी गई थी तो उसी स्थति में क्या होगा ? पहली बात तो यह है कि यह अपराध समाधेय है दूसरे दंड की अवधि १० वर्ष से घटा कर २ वर्ष हो जायेगी। तीसरे यह अहस्तक्षेप्य है और उस की जमानत हो सकती है। इस की गुरुता कम हो गई है। १० माननीय सदस्यों में से जिन्हों ने इस विधेयक पर अपने विचार प्रकट किये हैं एक अथवा दो ने इस का समर्थन किया है। श्री डी० डी० पंत ने तो सच्चे रूप में इस का विरोध किया है। डा० खरे का विचार है कि दोनों को दंड मिलना चाहिये। श्रीमती उमा नेहरू चाहती हैं कि दंड किसी को न मिले। अब इस को व्यवहारिक रूप में देखें ? तब क्या होगा ? व्यक्तिग

ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि ९९ प्रतिशत मामलों में न्यायालय इसी बात को मानेगा कि सहमति दी गई थी। क्योंकि मुकद्दमे की परिस्थितियां ऐसा बतलाती हैं। मेरे माननीय मित्र ने ही समाज में होने वाले परिवर्तन के विषय में बहुत कुछ कहा है, जैसे सहशिक्षा, लड़कियों का विभिन्न कार्यालयों में आजीविका करना, आदि आदि। वे जीवन की विषमताओं से संघर्ष कर रही हैं। लड़का तो सहमति देने वाली पार्टी है। मैं इस का अनुपात अधिक ऊंचा तो नहीं रखता किन्तु इतना ही कहूंगा कि ९९ प्रतिशत मामलों में ऐसा होता है। और अब आप उस की रक्षा करना चाहते हैं। मनुष्य जाता है। सर्व प्रथम जैसा कि किन्हीं माननीय सदस्य ने ११ दिसम्बर को कहा था, यह कहना बड़ा कठिन है कि किस को दोषी ठहराया जाय। यह सत्य है कि लड़का लड़की से मिला हो किन्तु आप को दूसरी तौर पर देखना होगा, एक लड़का १८, १९ या २० वर्ष का है किन्तु यह कहना कठिन है कि चरित्रहीन कौन है, इन में बड़ा पापी कौन है, ? आप कह सकते हैं कि लड़की तो ठीक है, दोष तो लड़के का है।

पिछली बार एक अवक्ता ने कहा था कि इस प्रकार शहर की लड़कियों को बहकाने का अधिक अवसर मिलेगा। समाज सुधारकों को इस क्षेत्र में कार्य करने का अब अधिक अवसर मिलेगा। वयोवृद्ध सदस्यों को इस का काफी अनुभव है। मैं स्वयं भी इस क्षेत्र में रुचि रखता हूं। मैं जानता हूं। उस को बड़े बड़े नगरों में जाना होगा कि वहां १८ या १६ वर्ष की लड़कियों के साथ क्या हो रहा है। स्थिति बड़ी भयंकर है। दुराचारी इस स्थिति से लाभ उठा रहे हैं। वे कहते हैं कि चलो ठीक है या तो १० हजार अथवा २० हजार रुपया दो अन्यथा हम तुम को गिरफ्तार करेंगे। हम लड़की से यह कहलवायेंगे कि वह १८ वर्ष से कम की है। लड़की की सहमति है, यह सत्य है किन्तु यह भी अपराध है। एक लड़की जो १८ वर्ष की अवस्था से कम में भारत के किसी भी नगर में नौकरी आदि करती है उसी के साथ यह कर्म होना स्वाभाविक है और वह आसान है क्योंकि वह स्वतंत्र है और सभी की पहुंच उस तक हो सकती है।

सेठ गोविन्द दास : पर यह बात तो १६ वर्ष की उम्र के लिये भी हो सकती है।

डा० काटजू : मैं विस्तृत व्याख्या तो करना नहीं चाहता। किन्तु इस प्रकार के मामले में प्रत्येक महीना स्थिति में कुछ न कुछ अन्तर अवश्य डाल देता है। मेरे माननीय मित्र मेरा अभिप्राय समझ गये होंगे। वह कहते हैं कि १६ वर्ष से कम, किन्तु १६, १६।।, १६ वर्ष ७ महीने, १७, १७।।, किन्तु इस से अधिक और मैं नहीं कह सकता। आप मेरा अभिप्राय समझ गये होंगे अन्यथा आप कहते हैं कि १० वर्ष से कम भी हो सकती है। मुझ में तथा मेरे मित्र सेठ गोविन्द दास जी में केवल इतना ही अन्तर है कि वे अपनी कविता के क्षेत्र में ही रहे हैं अथवा अपने कल्पना जगत में ही विचरण करते रहे हैं। दुर्भाग्यवश मैं ऐसी स्थिति में रहा हूं जिसे मुझे चरित्र क्षेत्र कहना चाहिये जहां का वातावरण बड़ा गन्दा रहा है। अतएव आप किसी नवयुवक को पकड़ लें और कहें कि 'इतना रुपया नकद रख दो' अन्यथा तुम जा नहीं सकते यदि लड़की अच्छी है तो उसके जीवन का विचार करो। मेरे सम्मानीय मित्र ने मनु का उद्धरण दिया है। मैं ने इस को पढ़ा है और मैं अपने आप को हिन्दू कहता हूं चाहे वे इस बात को माने अथवा नहीं। यह सब अब समाप्त हो गया। यह ३००० हजार वर्ष पहले की बातें हैं। अब यदि आप इस प्रकार की बातें

एक लड़की के सम्मुख रखते हैं तो तनिक सोचिये कि आप उस का जीवन नष्ट कर रहे हैं। वह नौकरी नहीं पा सकती। वह कहीं जम नहीं सकती अर्थात् उस के जीवन यापन का कोई उचित साधन बन नहीं सकता। कोई भी उस से विवाह करने के लिये तैयार नहीं होगा। आप उसे दुश्चरित्रता की ओर धकेल रहे हैं।

मैं अपने सम्मानीय मित्र श्री भार्गव से पूछता हूं कि क्या आप के पास इस के कोई आंकड़े हैं। अथवा वह केवल एक भावना प्रधान मामला है जैसे कि लड़की भगाने की अवस्था १८ वर्ष रखी गई है। १८ वर्ष की अवस्था तो बहला फुसला कर ले जाने की आयु है। अतएव १८ वर्ष की आयु तो एक बहुमत मान्य आयु है। अतएव आप ने भी १८ वर्ष की आयु रख दी। यदि आप इंगलैंड जाय तो वहां देखेंगे कि २१ वर्ष की आयु बहुमत मान्य आयु है। इंगलैंड में सहमति आयु तो १५ वर्ष है। अतएव मैं दृढ़ विश्वास के साथ कह सकता हूं, और वह भी अधिकार के साथ कि यह मध्य स्थिति का प्रचलित करना, बलात्कार करने अथवा न करने के बीच में है अथवा और अपराध न करना एक असाधारण बात है। ऐसा नहीं होना चाहिये। या तो आप इसे बलात्कार मानें अथवा इसे एक दम समाप्त ही कर दें। यह ढीलढाल ही अपराध को दुरुह बना देती है। इसे आविचारणीय बनाती है, जमानत के लिये उपयुक्त बनाता है, मैं कहता हूं कि इसके समस्त प्रभाव को प्रायः समाप्त कर देगी। मेरे सम्मानीय मित्र कहते हैं कि यदि यह अविचारणीय है तो पुलिस इस पर कोई ध्यान नहीं देगी। किन्तु इस पर विचार न करने का अर्थ तो यह होगा कि दुराचारियों का साहस और भी बढ़ जायेगा। वे तो केवल एक पत्र भेजते हैं और कहते हैं कि इतना नकद धन भेजो अन्यथा वे लड़के को गिरफ्तार कर लेंगे। मेरा विचार है कि मैं काफी कठोर व्यक्ति हूं किन्तु फिर भी यदि आप नवयुवकों, को विश्वविद्यालय के छात्रों को गिरफ्तार करेंगे तो आप उन के जीवन को नष्ट करेंगे। यदि नौजवान लड़का तथा लड़की जो बी० ए० में पढ़ते हैं, इस के शिकार हो जाते हैं, और आप उन को दो वर्ष का दंड देते हैं, तो लड़के को कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। हर जगह से उस को नौकरी से अलग कर दिया जायगा। आप उस को अपराधी बना देंगे। अतएव हम को मानव स्वभाव का भी ध्यान रखना चाहिये। मुझे एक प्रसिद्ध मुकद्दमे की अच्छी जानकारी है जिस की पैरवी श्री नारटन ने की थी। उन्हों ने कहा था कि आप कहते हैं कि उस ने लड़की का सतीत्व भंग किया, मैं कहता हूं कि उस लड़की ने दूसरी पार्टी के साथ अनाचार चेष्टा की। ऐसा प्रायः अक्सर हुआ करता है।

मेरा नम्र निवेदन तो यही है कि इन विभिन्न आधारों पर इस विधेयक को आगे नहीं बढ़ाना चाहिये। एक बार फिर विषय की गम्भीरता को देखते हुए मैं कहता हूं कि गैर सरकारी सदस्य इस मामले को उस ही भावना से देखें जिस से कि मेरे मित्र इस मामले को आगे बढ़ा रहे हैं। किन्तु थोड़ा समय भी निकालना चाहिये। और जनमत का विचार करना चाहिये। जैसा कि मैं ने कहा है कि १९४८ में इस मामले पर काफी विवाद हुआ है और उन्हों ने भी अपने उद्घाटन भाषण में कहा है कि उन्हों ने इस का समर्थन बड़ी कूटनीति से किया है। उन्हों ने कहा था कि मेरा उद्देश्य तो अन्तर विवाह आयु को बढ़ाना है अतएव मैंने चुप्पी साध ली।

मैं कहता हूं कि किसी बात को मान लेने का यह ढंग नहीं है। मैं समझता हूं कि ऐसा मान लेने में उन्हों ने अच्छा ही किया क्योंकि इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहिये अब हमें यह देखना है कि इस में प्रगति किस

[डा० काटजू]

प्रकार होती है । इतने बीच में, इसे आप मेरी शिक्षा या आदेश न समझें, मैं अपने माननीय मित्र से प्रार्थना करूंगा कि वह उन सभी मामलों पर ध्यान दें जो कि हमारे सामने प्रस्तुत हैं । कोई भी नहीं, कुछ मामले ही ऐसे हैं । परमात्मा के लिये मनुष्य जीवन को विपद ग्रस्त बनाने और उस की बरबादी के लिये विधान न बनाइये । यही वह ढंग जिस के अनुसार मैं इस एवं सरकार ने इस मामले को समझा है । इस को आगे बढ़ाने में कोई तथ्य नहीं है । इन सभी बातों पर पूरा पूरा विचार कर लिया गया है । इस की विरोधी बात बड़ी भयंकर होंगी । तथा इस के परिणाम मानव जाति के लिये बहुत ही हानिकारक होंगे । जब आप हमारी कन्याओं एवं नव यौवना बहिनों की रक्षा के बारे में कहते हैं तो मैं इसे स्वीकार करता हूं किन्तु फिर भी इस मामले को सभी पक्षों से सोचना पड़ता है । सामाजिक बुराई इतनी गम्भीर नहीं है जितना कि इस के परिणाम भयंकर होंगे । हर बात में बरबादी दृष्टिगोचर होगी ।

मैं संसद् का अधिक समय नहीं लेना चाहता । मैं तो केवल इतना ही कहूंगा कि ऐसे मामलों में हर महीने में अन्तर पड़ता है, तथा हर तीसरे महीने के उपरान्त परिवर्तन होता है । १५ या १६ वर्ष की आयु की लड़की की सहमति के बारे में दंडाधीश कुछ भी नहीं सुनेगा, यहां तक कि वह अभियुक्त से इस सिद्धान्त को आगे बढ़ाने के बारे में भी मना करेगा , और अभियुक्त के सलाहकार भी इस बात को सोचेंगे कि इसे कौन सुनेगा तथा इसे बेकार का और झूठा सिद्धान्त समझेंगे । तनिक आप ऊंचा बढ़ें, विशेषत: १८ और १९ वर्ष की आयु के बीच अथवा १६½ और १८ के बीच तो न्यायालय इस मामले को इस विचार से सुनेगा कि यह सहमति से हुआ होगा यदि यह सहमति से हुआ है तो दंड कम मिलेगा, समझौता हो जाये या जमानत हो जाये आदि आदि । यह सारा मामला कुछ मिश्रित सा प्रकट होता है ।

संसद् का ध्यान मैं एक बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । अब इस मामले पर हम तीन महीने बाद विचार विनिमय कर रहे हैं । संसद् के सम्मुख दो प्रस्ताव हैं; एक तो मेरे माननीय मित्र ने इस विधेयक पर विचार करने के लिये प्रस्तुत किया है, और मैं समझता हूं कि मैं सचाई पर हूं, यदि ऐसा कहूं कि दूसरा प्रस्ताव श्री एन० पी० सिन्हा ने रखा था कि इस विधेयक को जनमत लेने के लिये प्रचालित किया जाय । हम इस संशोधन के बारे में भी सोच रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रचलित करने के लिये भी एक प्रस्ताव है ।

डा० काटजू : प्रस्ताव यह था कि जनमत लेने के लिये इस विधेयक को प्रचालित किया जाय और मार्च १९५३ तक वापिस आ जाना चाहिये । संशोधन संसद् के सम्मुख नहीं रखा जा सका अतएव यह मामला अभी तक लम्बित है । मैं नहीं जानता कि आज की प्रक्रिया क्या रहेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वह स्वीकार कर लिया गया तो अवधि बढ़ा दी जायेगी ।

डा० काटजू : इन सभी आधारों पर जिनका मैं ने ऊपर वर्णन किया है, एवं संसद् के सदस्यों में विभिन्न मतों को देखते हुए जिन का प्रकाशन संसद् में हो चुका है, मैं अपने माननीय मित्र को यह सलाह देता हूं कि वे इस विधेयक को १० वर्ष उपरांत प्रस्तुत करें । मेरे पास अभिलेख हैं, मेरे पास नाम हैं तथा बता सकता हूं कि यह मतभेद किस प्रकार बढ़ा । श्री एन० पी० सिन्हा ने यह संशोधन प्रचलन करने के लिये रखा

है। श्री नंदलाल शर्मा जो एक बड़े पंडित हैं उन्होंने इस का विरोध किया है, श्री डी० डी० पंत जो इस वर्तमान युग के . . .

पंडित ठाकुर दास भार्गव :उन्हों ने तो केवल इतना ही कहा है कि दोनों को दंड मिलना चाहिये। इस का तात्पर्य तो यह है कि उन्होंने इस सिद्धान्त को मान लिया है।

डा० काटजू : उन्हों ने मनोविज्ञान तथा जीव विद्याज्ञान के आधार पर इस का बड़ा तीव्र विरोध किया है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : उन आधारों पर आप तो इस का विरोध नहीं करते।

डा० काटजू : श्रीमती उमा नेहरू कहती हैं कि लड़के को दंड मत दो; यह तो कहने का एक ढंग है कि इस विधेयक को आगे न बढ़ाओ। उन्हों ने विधेयक का समर्थन किया। किन्तु उन्होंने यह भी कहा कि विधेयक में ऐसा स्पष्टीकरण किया जाय कि लड़के को कोई दंड न मिले। मैं सत्य कह रहा हूं अथवा झूठ, माननीय सदस्य भी यहां ह। उन्हों ने इस का समर्थन किया किन्तु इतना भी कहा कि लड़के को कोई दंड मत दो और न लड़की को किन्तु इस अधिनियम को स्वीकार कर लो।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : तो क्या आप उस मत में विश्वास रखते हैं ?

डा० काटजू : बम्बई के एक प्रसिद्ध वकील ने कहा है कि मैं इस का पूरा पूरा विरोध करता हूं। श्री टेक चन्द्र ने इस का विरोध किया है और इस के प्रचालित करने का समर्थन किया है। श्री नरसिहम (गुन्टूर) ने इस का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि वे साम्यवादी संस्था की ओर से बोल रहे हैं। साम्यवादी दल इस विधेयक का समर्थन करता है। पं० मुनीश्वर दत्त उपाध्याय आयु बढ़ाने का तो समर्थन करते हैं किन्तु, समझौता करना या क्षमा करने के पक्ष में नहीं हैं। डा० खरे के विषय में मैं आप को बता चुका हूं ; कुंआरी कन्याओं के अपहरण करने के बारे में उन के विचार बड़े कठोर हैं, उन का कहना है कि दोनों को दंड दो। उन्हों ने लिपस्टिक आदि का बड़ा विरोध किया है। श्री रामास्वामी–सलेम के ख्याति प्राप्त बैरिस्टर ने इस का कड़ा विरोध करते हुए बड़ा विस्तृत भाषण दिया। अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि श्री राजभोज ने इस का विरोध किया। कुर्ग के श्री सोमना ने इस का समर्थन किया किन्तु वे कहते हैं कि सहमति का प्रश्न बेकार है। मेरे माननीय मित्र कहते हैं कि जहां तक दंड का सम्बन्ध है वहां तक सहमति का प्रश्न आवश्यक एवं पुष्ट है। वे कहते हैं कि सहमति का प्रश्न पुष्टिकारक नहीं है, उसे तो पूर्ण रूप में दंड मिलना चाहिये। बाबू राम नारायण सिंह ने जो कि वास्तव में बोल रहे थे, बहुत ही सुन्दर भाषण दिया तथा उन का भाषण विद्वता से पूर्ण था। वह कहते हैं कि मैं संसद् इस विचार से आया था कि इस विधेयक का समर्थन करूंगा किन्तु भाषणों को सुन कर अब मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह विधेयक बहुत बुरा है, तथा इस का विरोध होना चाहिये। संसद् में इस प्रकार के विभाजित विचार हैं।

मैं कहता हूं कि चार वर्ष पूर्व इस मामले को दबा दिया गया था। तब उस समय विधेयक की अच्छाई के बारे में तथा संसद् में व्याप्त विभिन्न मतों के बारे में विचार प्रकट किये थे। मैं निवेदन करता हूं कि विधेयक को और आगे न बढ़ाया जाये जैसा कि अभी आप ने कहा है कि संसद् के समक्ष अभी २५ विधेयक और हैं, इस के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों को भी कुछ अवसर देना है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं ने आनरेबिल होम

[पण्डित ठाकुर दास भार्गव]

मिनिस्टर साहब की स्पीच बड़े गौर से सुनी। जो कुछ वह फरमाते हैं वह हर एक मैम्बर की तवज्जह के काबिल है और मेरे तो एहतराम के काबिल है लेकिन मुझे स्पीच को सुन कर बड़ी मायूसी हुई और उस की वजूहात भी साफ हैं। दो वजूहात हमारे आनरेबिल मिनिस्टर साहब ने हाउस के सामने पेश की हैं जिन में से बड़ी वजह तो यह है कि चार वर्ष हुए इस हाउस ने जो पहला बिल था उस के अन्दर जो बात दर्ज थी वह कबूल नहीं की थी। और अब उन्हों ने इस पीरियड के हवाले से अपनी स्पीच में मुझे हिदायत की है, मुझे सलाह दी है कि दस वर्ष के बाद जब वह और मैं शायद दुनिया में न हों, उस वक्त यह बिल इस हाउस में आये ताकि वह बिल को पास होते न देख सकें।

डा० काटजू : मैं सलाह वापस लेता हूं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरी जनाब वाला अदब से गुजारिश यह है कि सन् १९२९-३० में यह रिपोर्ट जो आई वह मुत्तफिका रिपोर्ट थी। जनाब आनरेबिल होम मिनिस्टर साहब ने सिलैक्ट कमेटी के चन्द आदमियों के नाम पढ़ कर सुनाये हैं और हम को बतलाया है कि उस वक्त की सिलैक्ट कमेटी इतनी अच्छी थी। मैं उस वक्त उस सिलैक्त कमेटी का मैम्बर था। मैं नहीं चाहता कि उन के बारे में एक लफ्ज भी बरखिलाफ अर्ज करूं। लेकिन उन्हों ने कुछ नाम बतलाये थे कि गवर्नमेंट ने जिन १० आदमियों को मुकर्रर किया था वे सारे देश में फिरे और राय हासिल की। उन्हों ने आठ हजार स्टेटमैंट्स हासिल किये, ४०० विटनैसेज के बयान लिये और राय ली। गांवों में और शहरों में गये। लेडीज़ गांवों में गईं और औरतों की राय लाईं। और मैं इस हाउस की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि सब की यूनैनिमस राय सन् १९२९ में यह थी कि इस उम्र को १८ साल बढ़ा दिया जाये।

आज मेरी तवज्जह दिलाई जाती है चार साल के एक मामले की तरफ। मैं ने इस बारे में अपनी स्पीच में बड़ी कोशिश की जो बड़ी लम्बी थी और जिस की वजह से चन्द मैम्बरान ने शिकायत भी की कि वह बड़ी लम्बी थी। मैं ने सिर्फ एक बात के लिये कोशिश की थी कि मैं आनरेबिल होम मिनिस्टर साहब को यकीन दिलाऊं कि हाउस ने उस सवाल पर कतई तवज्जह नहीं की थी। हाउस के सामने मैं ने इस सवाल को पेश ही नहीं किया। चुनाचे सिलैक्ट कमेटी की रिपोर्ट जब आई तो मैं ने उस का भी ज़िक्र किया। क्योंकि उस वक्त मरहूम सरदार पटेल साहब ने यह फरमाया था कि यह दोनों बिल जो मैं ने पेश किये थे, ओवरड्यू हैं। लेकिन होम मिनिस्टर साहब के महकमे की गलती से जो राय आई थी उन के बारे में गलत नोट पेश किया गया और कहा कि कुछ लोग इस के बरखिलाफ थे। मैं ने इस बात की तरफ तवज्जह दिलाई। मैं ने यहां तक किया कि हाउस के सामने जो ओपीनियन थी उन का खुलासा पढ़ कर सुनाया। इस में कितनी स्टेट गवर्नमेंटों को भी राय थी कि १८ वर्ष कर दी जाये। मैं क्लेम करता हूं कि हिन्दुस्तान के ९९ फी सदी आदमी इस बिल के हक में हैं। आनरेबिल होम मिनिस्टर साहब जो कुछ चाहें फरमायें। उन को हक हासिल है और हर एक आदमी को हर एक मामले को अपने ख्याल से देखने का हक है। उन का जो भी तजुर्बा हो उस की बिना पर जो चाहें कहें। मैं भी उन के तजुर्बे

की कद्र करता हूं । लेकिन मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि इस बारे में एक आनरेबिल होम मिनिस्टर साहब का तजुर्बा इस मामले में एक अदने आदमी के तजर्बे से ज्यादा वक्त नहीं रख सकता । इस के अन्दर जो हर एक की इंडीविज्यूअल राय है वह काउन्ट करती है । जहां तक कोर्टस् में प्रैक्टिस के तजुर्बे का सवाल है मैं निहायत अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि मेरा तजुर्बा होम मिनिस्टर साहब से कुछ कम नहीं है । उम्र में भी शायद एक दो वर्ष होम मिनिस्टर साहब से ज्यादा होऊं । मैं ने बहुत केसेज ऐसे देखे हैं और मैं निहायत अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि सोशियल लैजिस्लेशन में हर एक मैम्बर को अपनी राय से काम लेना चाहिये और इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिये कि हमारी होम मिनिस्टर साहब की यह राय है कि मौजूदा हालत में यह बिल पास नहीं होना चाहिये ।

मैं इस की वजूहात भी आप साहबान की खिदमत में अर्ज करता हूं । जब यह मामला चार साल हुए हाउस में आया तो मैं ने एक अमेंडमेंट रखी और उस को विदड्रा कर लिया । मैं ने उन हालात को हाउस के सामने रखा था कि क्यों मैं ने उस को विदड्रा कर लिया था । मैं उन को दोहराना नहीं चाहता । तीन चौथाई जो इस बिल का असैंस था वह मुझ को मिला । जनाब को याद होगा कि १४ वर्ष की उम्र १६ हो गई और १३ की १५ हो गयी । मैं ने मुनासिब नहीं समझा कि जो कामयाबी सोशियल लैजिस्लेशन में बहुत जल्द हो रही थी उस को पार करूं और मैं ने यह कह कर कि मैं इस मामले को यहां पर फिर लाऊंगा उस को प्रैस नहीं किया । इसलिये हाउस को यह हरगिज ख्याल नहीं करना चाहिये कि हाउस ने सन् १९४८ में इस के बरखिलाफ राय जाहिर कर दी । हाउस के सामने मामला पेश ही नहीं हुआ । पहली मर्तबा यह मामला हाउस के सामने आया तो मैं ने हाउस को बतलाया कि जो प्रोटैक्शन हमें गर्ल्स को जो छोटी उम्र की हैं देनी चाहिये थी नहीं दी हैं । इस को रैड हैरिंग मान लेना और कहना कि हाउस की राय इस के खिलाफ थी, ठीक नहीं है । हाउस ने यह फैसला नहीं किया था कि उम्र १८ साल ज्यादा होगी ।

अब मैं दूसरी बात की तरफ तवज्जह दिलाना चाहता हूं जो हमारे होम मिनिस्टर साहब ने इस बारे में फरमाई । इस हाउस की राय को जिस पैराये में उन्हों ने फरमाया वह दुरुस्त नहीं था । इस हाउस में अब तक १६–१७ मैम्बरों ने हिस्सा लिया है । मैं आनरेबिल होम मिनिस्टर साहब की खिदमत में निहायत अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि हाउस में जो ओपिनियन जाहिर हुए उस का अप्रीसियेशन ठीक तौर पर नहीं किया गया इस हाउस में काफी मैम्बर ऐसे हैं जिन की तादाद बहुत ज्यादा है, जिन्हों ने पूरे तौर से इस बिल को सपोर्ट किया है । दो मैम्बर साहबान ने तो आज इस बिल को पूरे जोर से सपोर्ट किया । हमारे सेठ गोबिन्द दास साहब ने और श्री जोशी साहब ने बड़ी लम्बी तकरीरों में फरमाया कि वे इस बिल के हक में हैं । उन को चूंकि ताजा मामला था, होम मिनिटस्र साहब ने गिना ही नहीं । इस के अलावा मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि जो राय अब तक इस बिल के बारे में आई वह निहायत मुझे हौसला देने वाली है । मैं उम्मीद करता हूं कि अगर इस हाउस से राय ली गई तो यह हाउस मेरे हक में राय देगा । चुनांचे सब से अव्वल जो साहब बोले उन की स्पीच का मुलाहजा फरमायें । उन्हों ने यह फरमाया और यह कहा कि इस को सरक्यु-

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

लेशन के वास्ते भेज दिया जाय । उन्हों ने एक लफ्ज भी बिल के बरखिलाफ नहीं कहा । शायद उन को नहीं मालूम था कि मेरे हाथ में सारे देश की ओपीनियन्स मौजूद थीं । उन को शायद नहीं मालूम था कि ११ महीने तक मैं रात और दिन यह काम इस देश में १९२९ में करता रहा था । मैं ने यह राय पढ़ कर सुनाई । सिर्फ राय पढ़ कर ही नहीं सुनाई, बल्कि उन की तादाद भी बतलाई । एक मैम्बर ने भी उस राय के बरखिलाफ एक लफ्ज भी नहीं फरमाया । । होम मिनिस्टर साहब ने भी उन रायों के बरखिलाफ नहीं फरमाया । मैं ने नम्बर भी बतलाया था, ८० राय थीं, जिन में से सिर्फ २९ ऐसी थीं कि जो डाउटफुल थीं, बाकी आम तौर पर राय इस के हक में थीं ।

डा० काटजू : आम तौर पर तो वह सभी वह राय देंगे, बगैर समझे ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : आप ने क्या कहा ?

डा० काटजू : जो कुछ मैं ने कहा है मैं उसे वापिस लेता हूं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इस के अलावा जो उन मैम्बर साहब की राय थी वह यहां तक की नहीं थी कि इस बिल के बरखिलाफ हो, बल्कि उन्हों ने एक तरह से इस बिल के प्रिंसिपल को सपोर्ट किया ।

दूसरे साहब जिन की तकरीर हुई वह तकरीर थी मिस्टर नन्द लाल शर्मा की । श्री नन्द लाल शर्मा की और श्री राम नारायण सिंह साहब की तकरीर के बारे में मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि उन्हों ने क्या कहा, उन की राय एप्रीशियेट करने के वास्ते इन की तकरीरों को पढ़ना चाहिये । उन दोनों की तकरीरों के मुताबिक हिन्दुस्तान में क्या हिन्दू और क्या मुसलमान, सारे हिन्दुस्तान में यह बात मायूब समझी जाती है कि कोई औरत किसी सूरत में भी कनसेंट का डिफेंस ले कर यहां पर आप के सामने आये । श्री नन्द लाल शर्मा के अनुसार अक्यूज्ड के भी यह कहने का हक नहीं है कि इस औरत ने रजामन्दी दे दी, क्योंकि इस देश के अन्दर प्रथा यह चली आई है, सभी औरतों की शादियां होती रही हैं, और कोई कभी गवारा नहीं करता कि औरत को इस तरह का हक है । आप जानते हैं कि श्री नन्द लाल शर्मा ने क्या फरमाया कि ला आफ कनसेंट में कनसेंट ही न हो तो मैं हक में हूं । श्री राम नारायण सिंह और श्री नन्द लाल शर्मा क्या फरमाते हैं ?

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर) : श्रीमान्, मेरी बातों का अर्थ गलत लगाया गया है । मैं ने कभी भी यह नहीं कहा था कि स्त्री को अपनी सहमति देने का कोई अधिकार नहीं है, किन्तु हां बलात्कार अथवा असंगत सम्बन्ध में सहमति की तो कोई आवश्यकता ही नहीं उठती ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं शर्मा जी का भाषण पढ़ कर सुनाता हूं कि उन्हों ने क्या कहा । उन्हों ने यह फरमाया कि दोनों को सजा देनी चाहिये इस का क्या अर्थ है ? दोनों को सजा मिलनी चाहिये, इस के मानें यह हैं कि जुर्म हो गया इस में से वह कैसे भाग सकते हैं ? क्या इस से निकल सकते हैं ?

उसी तरह मिस्टर राम नारायण सिंह ने फरमाया कि दोनों को सजा होनी चाहिये, एक मिनट में तबदील हो गये, आखिर क्या आप की राय है ? कोई भी उम्र हो आप हर एक उम्र में सम्मति का डिफेंस नहीं देना

चाहते, उन्हों ने ऐसा कहा । मैं अब अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि अगर लोग अपनी राय का मतलब लाजिकली नहीं समझते तो इस में मेरा क्या कसूर है । मेरी अदब से गुज़ारिश है कि जिन अशखास ने ऐसी राय दी उन्हों ने स्वीकार कर लिया है और अपनी सम्मत्ति दे दी है । मैं इन दोनों साहबान को छोड़ कर जनाब की खिदमत में आगे चलता हूं । इस के आगे एक साहब मि० पंत जिन की राय अगर मैंने सही समझी तो वह तो सारे पैनल कोड को ही खत्म कर देना चाहते हैं, वह दुनिया के अन्दर ला आफ दी जंगल देखना चाहते हैं, उन के ख्याल के मुताबिक यह फ़िज़िकल और नेचुरल अर्जेज है और इन में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होनी चाहिये, वह मैरिज को एक रिसट्रिक्शन समझते हैं,उन की राय को मैं या कोई भी आदमी वक्अत नहीं दे सकता क्योंकि वह हवाई दुनिया में रहते हैं और मौजूदा दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं रखते।

मेरी बहिन श्रीमती उमा नेहरू ने अपनी राय में कहा कि मैं इस बिल को अपोज नहीं करती, उम्र बढ़ जानी चाहिये, लेकिन साथ ही चूंकि वह एक माता का दिल रखती हैं इसलिये वह कहने लगीं कि उस पर किसी को सज़ा नहीं होनी चाहिये तो मैं उन की खिदमत में अर्ज करूं कि पैनल को में ऐसा कोई क्लाज नहीं जिस के अन्दर जुर्म हो तो सज़ा न दी जाये, अगर जुर्म होगा तो सजा का प्रावीजन तो होगा ही, ताहम मैं ने उन्हीं के ख्याल से यह राय रक्खी थी कि ऐसे लड़कों को आपस में अगर वह चाहें कोर्ट की इजाज़त से कम्पाउन्ड कर लें तो हमारी बहिन की राय भी हमें मालूम हो गई जब उन्हों ने यह कहा कि मैं बिल को बिल्कुल अपोज नहीं करती और उम्र बढ़नी चाहिये। इस के बाद जिन साहब ने अपनी राय दी वह एक खास क्लास को रिप्रेजेन्ट करते हैं और मुझे उन से कोई झगड़ा नहीं है वह हैं बम्बई के बैरिस्टर मिस्टर कनावडे पाटिल, उन की राय और बम्बई के श्री एस० वी० रामास्वामी की राय इस बिल के पक्ष में नहीं है, इस वक्त मैं उन की मैरिट्स पर कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि हर एक आदमी को हक है कि इस नतीजा पर पहुंचे कि किस उम्र में एक औरत मेंटली और फिजिकली इस काबिल हो सकती है कि कंसेंट दे सके । वह साहब १९ वर्ष तक सैशन कोर्ट बम्बई में वकालत कर चुके हैं और उन की राय यह है कि १३ और १४ वर्ष की उम्र में औरत फिज़िकली और मंटली कैपेबुल हो जाती है, यानी वह चाहते हैं कि जो पुराने जमाने का कानून है वह फिर वापिस आ जाय और कंसेंट की उम्र १३ साल कर दी जाये मेरे ख्याल में अगर उन की यह राय हाउस को पसन्द हो कि यह किया जाय तो उन की राय को वकअत दी जाय, वरना उन की राय की कोई वकअत नहीं दी जानी चाहिये और मुझे पूरा भरोसा है और यकीन है कि इन दोनों साहबान को छोड़ कर कोई भी ऐसा सदस्य नहीं होगा जो यह राय रखता हो कि १३ या १४ वर्ष की उम्र में कोई औरत मेंटली और फिज़ीकली इस काबिल हो जाती है कि वह अपनी कंसेंट दे सके। अपनी राय देते हुए वह फरमाते हैं कि हमारा १९ वर्ष का बैरिस्टरी का तजुर्बा है, तो मैं उन को बतलाऊं कि अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम करीब ४३ वर्ष मुझ को भी वकालत करते हो गये, लेकिन मेरे नोटिस में कोई केस आज तक ऐसा नहीं आया जिस में १३ वर्ष की उम्र में कंसेंट का सवाल उठा हो। वह साहब फरमाने लगे कि अगर कोई ओवर-चर कर दे तो वह ऐटेम्टेड रेप हो जाता है, अब मैं उन की राय की कहां तक कद्र करूं, खैर हाउस के सामने उन दोनों साहबान की राय मौजूद है कि उम्र १३, १४ होनी चाहिये,

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

उन दोनों साहबान से इतना ही अर्ज करूंगा कि वह हाउस से इस कानून को फिर बदलवाने की कोशिश करें ताकि जो वह कहते हैं कि चौदह वर्ष या पन्द्रह वर्ष की उम्र में जिस लड़की के खाविन्द नहीं होता तो वह असन्तुष्ट है, उसे एक साथी चाहिये या पति। मैं तो इस राय को सुन कर हैरान हो जाता हूं और मैं उस के बारे में आप से यही कहना चाहूंगा कि इस के स्वीकार करने से क्या लाभ और मैं हाउस को राय दूंगा कि उस को एक्सैप्ट नहीं करना चाहिये। जनाब मुलाहिजा फरमायेंगे कि श्री टेकचन्द कम्पाउंडिंग के खिलाफ हैं लेकिन नरसिंमहन साहब उस को सोलह आने सपोर्ट करते हैं।

श्री मुनीश्वर दत्त इस बिल को सपोर्ट करते हुए कहते हैं :

मैं विधेयक का समर्थन करता हूं किन्तु समाधेय को नहीं मानता।

इस के आगे जनाब मुलाहिजा फरमायेंगे कि श्री राज भोज की राय है, मैं ने उन की राय को कई मर्तबा पढ़ा लेकिन मैं कुछ भी नहीं समझ पाया, वह फरमाते हैं कि आप को चाहिये कि आप कम्पलसरी एजुकेशन का बिल लायें, बतलायें मैं इस राय का क्या करूं, यह राय जो उन्हों ने दी है वह इस मौजूदा बिल से ताल्लुक नहीं रखती, मैं इस लिये उस के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता कोई हेडटेल ही उस का नहीं है। राघवया साहब ने इस बिल को सोलहों आने सपोर्ट किया, श्री सोमानी ने भी इस बिल को सपोर्ट किया और यही नतीजा निकलता है कि उस बिल को सब मैम्बर सपोर्ट करते हैं और सिवाय उन दो साहबान के सब इस को मानते हैं कि सोलह से अट्ठारह तक उम्र बढ़ा दी जाये, सिर्फ दो साहब ऐसा समझते हैं कि तेरह चौदह की उम्र काफी है। जनाब वाला, इस के अन्दर एक चीज़ और है जिस के ऊपर हमारे होम मिनिस्टर साहब ने बहुत जोर दिया है और मैं उस के बारे में दो लफ्ज जनाब की इजाज़त से कहना चाहता हूं और वह यह है कि यह बिल एक तरफ जुर्म बनाता है दूसरी तरफ संधेय की इजाज़त देता है।

जनाब वाला, इस बिल में दफा दो सब से बड़ी दफा है जिस के अन्दर सोलह के बजाय १७ साल की उम्र सबस्टीट्यूट की जाने वाली है और जहां तक दफा का ताल्लुक है इन सोलह आदमियों में से दो के सिवाये कोई तीसरा सख्श इस के बरखिलाफ नहीं है। जहां तक क्लाज तीन का सवाल है किसी साहब ने क्लाज तीन के खिलाफ अपनी आवाज नहीं उठाई। सवाल रह गया सिर्फ क्लाज चार के बारे में। मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि इस को होम मिनिस्टर ने भी काफी मुश्किल और बहसतलब माना है लेकिन हमें तो इस का हल निकालना है। होम मिनिस्टर साहब भी इस को मुश्किल समझते हैं।

मैं उस को कोई छिपाना नहीं चाहता, मैं ने यह सारे का सारा सेंटेंस भी रिपोर्ट में से हाउस के सामने पढ़ कर सुनाया और एक स्टेट आसाम की मुश्किलात बयान की। एक स्टेट में यह चीज़ आयी कहीं भी यह पेश आये, यह ठीक है कि यह सवाल मुश्किल से खाली नहीं इसलिये क्या हमारा यह फर्ज़ नहीं हो जाता कि हम इस सवाल का फैसला करें और मैं ने रक्खा है इस को कम्पाउन्ड करें और हाउस अगर चाहे तो कोर्ट की सक्शैन से कम्पाउन्ड करने की इजाज़त रखदे। मैं सारा मामला हाउस के सामने पेश करता हूं और हाउस खुद इस नतीजे

पर पहुंचे कि जो मैं अर्ज कर रहा हूं वह मुनासिब है कि नहीं ?

आज इंडियन पैनल कोड में इस कानून के अन्दर किडनैपिंग का जो जुर्म है वह रेप के मुकाबले में बहुत छोटा है। रेप के जुर्म के वास्ते जो सज़ा मुकर्रर है वह ट्रांसपोर्टेशन फार लाइफ है। लेकिन ३६१ के वास्ते और दूसरी दफा के वास्ते एक सज़ा मुकर्रर है और वह सिर्फ दस साल है। यह सवाल बहुत पेचीदा नहीं है, सिर्फ थोड़ा कानून का सवाल है लेकिन पेचीदा नहीं है। मैं आप की तवज्जह एक मिसाल पर दिलाना चाहता हूं ताकि यह सवाल हाउस के सामने अपना पूर्ण रूप से पेश हो। एक लड़की को एक शख्स भगा कर ले जाता है, भागने के बाद उस को कहीं ले जाये और उस से रेप का जुर्म करे तो वह शख्स उस लड़की की भगा ले जाने के वास्ते मुजरिम है अगर लड़की की उम्र १८ साल से कम है क्योंकि उस में कंसेंट का कोई सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन अगर यह जुर्म उस के साथ हो उस की रज़ामन्दी और उस की उम्र १८ साल की हो तो यह जुर्म नहीं है। मैं ने एक मिसाल दी थी। १९०८ में पंजाब हाई कोर्ट का फैसला है। एक लड़की ने एक शख्स को रात के १२ बजे अपने घर पर आने की दावत दी। लड़की की उम्र थी १७ साल वह शख्स उस के घर पर पाया गया। उस का चालान हुआ। लेकिन अदालत ने करार दिया कि उस का कोई जुर्म नहीं था। एक शख्स एक नौजवान लड़की के यहां चला जाय जिस की उम्र १६ साल से ज्यादा है और उस के साथ इन्टर्कोर्स वगैरह करे, यह जुर्म नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आज आप चाहते हैं कि लड़कियों को यह अधिकार दे दिया जाये उस के यहां कोई शख्स चला जाय उस की उम्र १६ साल से ज्यादा हो कोई शख्स उस लड़की के गार्जियन के घर में चला जाय जहां वह रहती हो तो क्या यह जुर्म नहीं होगा। मैं कहता हूं कि गलत है, सोसायटी के नुक्ते निगाह से उस लड़की के नुक्ते निगाह से और खानदान के नुक्ते निगाह से। अगर आप दफा ३६१ से दफा ३७५ तक का मुलाहिजा करेंगे तो आप पर रोशन हो जायेगा कि कानून के अन्दर जो उम्र है वह १८ साल है। ३६१ में १८ साल है। ३६६ में १८ साल है यह लिखा है कि अगर कोई शख्स लड़की को सड्यूस करने के वास्ते ले जाये तो उस को सजा हो सकती है बशर्ते कि लड़की की उम्र १८ साल से कम हो। लेकिन अगर वह १८ साल से ज्यादा है तो रज़ामन्दी की सूरत में कोई सज़ा नहीं हो सकती। अगर आप कानून के मकसद को देखें और यह देखे कि हम को क्या करना चाहिये तो मैं निहायत अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि यह मौजूदा कानून गलत है और इस को दुरुस्त करने का एक ही तरीका है कि आप ३७५ में एज १८ साल की बढ़ा दें। अभी हमारे होम मिनिस्टर साहब ने फरमाया और मुझ से दर्याफ्त किया कि मैं कोई स्टैटिस्टिक्स बतलाऊं। उनका सवाल बड़ा वाजिब था। मगर गरीब नवाज़ इस में मेरा कोई कसूर नहीं है। अगर हमारे होम मिनिस्टर साहब स्टैटिस्टिक्स का कोई इन्तज़ाम नहीं करते तो सिर्फ़ उन की बनाई हुई लाइब्रेरी में जा कर स्टैटिस्टिक्स ढूंढ़ सकता हूं, बना नहीं सकता। मैं ने वहां जा कर इस बात की कोशिश की कि मुझे स्टैटिस्टिक्स मिल जाये लेकिन वहां कोई स्टैटिस्टिक्स मौजूद नहीं थीं। लेकिन मैं उन से कहना चाहता हूं कि अगर वह पुरानी स्टैटिस्टिक्स देखना चाहें तो मैं उन को बतला सकता हूं कि "एज आफ कनसेन्ट कमेटी" की रिपोर्ट के दफा १६४ पर स्टैटि-

[पंडित ठाकुरदास भार्गव]

स्टिक्स दी हुई है जिस में वह कमेटी इस नतीजे पर पहुंची है कि यह उम्र १६ से १८ कर दी जाये। कहा जाता है कि कोई केस ज्यादा ऐसे होते नहीं हैं। अगर नहीं होते हैं तो दिल हिलाने वाला नक्शा जो हमारे होम मिनिस्टर साहब ने आप के सामने रखा कि इस तरह से प्रास्टिट्यूट्स नौजवानों को बरबाद कर देंगी, उन्हें ब्लेकमेल करेंगी, वह कहां तक जायज हैं। अगर उन के इल्म में कोई केस नहीं हुआ, अगर उन के ख्याल से यह स्टैटिस्टिक्स का सारा ख्याली माहोल है, यह दुरुस्त नहीं है तो मैं बड़े अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि कोई कानून ऐसा नहीं है जिस की रू से सजा दिलाई जा सके। लेकिन अगर यह उम्र १६ से १८ कर देंगे तो मेरा दावा है कि देश के अन्दर एक साइकालीजिकल इम्प्रूवमेंट होगा। मैं कहना चाहता हूं कि आखिर कानून सिर्फ इस वजह से तो नहीं बनता कि किसी आदमी को सजा दे अगर वह जुर्म करे। कानून हमारे सामने एक आइडियल रखता है, जिस से सारी नेशन प्राग्रेस करती है। मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि इस देश ने तो सब तरफ तरक्की की है। लेकिन मैं कहता हूं कि जो कुछ यहां हो चुका है मैं उस को बयान नहीं कर सकता। यहां की औरतों ने अपनी चैस्टिटी को बचाने के लिये अपनी सारी दुनिया बरबाद कर दी, अपनी जिन्दगी बरबाद कर दी। हमारे मुल्क के अन्दर क्या नहीं हुआ। इसी चैस्टिटी को कायम रखने के सवाल ने देश के अन्दर सतीपना चला दिया, इस ने देश के अन्दर छोटी उम्र की शादी को चला दिया। इस देश में यह माना गया कि औरत को किसी किस्म का गैर आदमी के साथ रजामन्दी देने का हक ही नहीं दिया जा सकता है। मैं कहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि इस देश के अन्दर प्रास्टिट्यूशन बन्द हो जाय, तो यह पहला कदम है। हमारे महात्मा जी ने चम्पारन में करवाया था, कितने दर्द भरे अल्फाज हैं, उन्होंने कहा कि प्रास्टिट्यूट्स हैं वह हमारी बहनें हैं, हमें उन की मदद करनी चाहिये। आज मैं यहां पर सुनता हूं कि यह कानून प्रोसटीट्यूट्स के लिये दुरस्त न होगा। जो लोग इन खराबियों से वाकिफ हैं वह सब चाहते हैं कि यह कानून फौरन बने : हम से कहा जाता है कि १६ साल और १८ साल की बीच की उम्र में चन्द महीनों का फर्क मालूम नहीं किया जा सकता। यह दुरुस्त है चन्द महीनों का फर्क नहीं मालूम हो सकता, कोई डाक्टर आज के दिन यह फैसला नहीं कर सकता कि फलां लड़की १५ वर्ष आठ महीने की है या १५ वर्ष ११ महीने की है या १६ वर्ष दो महीने की है। कभी भी इस का फैसला नहीं हो सकता। लेकिन मैं निहायत अदब से कहना चाहता हूं कि यह कोई वजह नहीं है कि हम अपना कानून ठीक न बनायें। हम को अपनी औरतों का प्रोटैक्शन ठीक और मुनासिब तरीके से करना चाहिये। यह सब चीजें जितनी हैं वह ऐसी हैं जिन पर मैं इस वक्त ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। देश के अन्दर ऐसी हालत है या नहीं है, देश के अन्दर ब्लेकमेलिंग का इमकान है या नहीं, अगर पहले कभी रहा है तो आज भी हो सकता है।

यह बिल इस ख्याल से पेश किया गया है कि प्रास्टिट्यूशन को भारत से हटाया जाय आज जो गिरी हुई हालत है उस को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिये। मैं ने हाउस का ज्यादा वक्त ले लिया है और अब ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। मेरे एक दोस्त ने इस बिल के लिये एक सर्कुलेशन मोशन पेश किया था। मैं उस के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। इस के बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि उस को सर्कुलेट किया जा चुका है। सारी ओपीनियन्ज

आ चुकी । मुझे अफसोस है कि उन ओपीनियन्स पर गौर नहीं किया गया । हमारे होम मिन्सिटर साहब ने उन को पढ़ा तक नहीं। उन्हें मैं ने हाउस के सामने पढ़ा, लेकिन मुझे डर है कि उन ओपीनियन्स को ठीक से पढ़ा नहीं गया गवर्नमेंट में। मेरा दावा है कि उस वक्त ओपीनियन मेरे हक में थी। लेकिन मिनिस्ट्री ने एक नोट जारी किया जिस की वजह से सारी गड़बड़ हो गई। सरदार पटेल ने खुद कहा था कि इस तरह का कानून ओवरड्यू है, लेकिन उन को यह नोट दिया गया कि पब्लिक ओपीनियन इस के हक में नहीं है। उन्होंने कहा मैं क्या करूं। हाउस ने न पहले इन रायों को पढ़ा और न अब पढ़ा है। आज जो राय मेरे खिलाफ कही जाती है मैं उन्हीं को चैलेन्ज कर के कह सकता हूं कि वह मेरे हक में हैं उन मेरे खिलाफ रायों के बिना पर जो सारी की सारी बातें मेरे खिलाफ कही गई है इस के लिये मैं आनरेबिल होम मिनिस्टर साहब की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि वह उन ओपीनियनस को एक दफा पढ़ तो लें पेशतर इस के कि वह उनको मेरे खिलाफ कहें।

श्री तेलकीकर (नानदेड़) : मैं जनाब भार्गव साहब से यह दर्याफ्त करना चाहता हूं कि यह सही है कि उम्र के बढ़ाने के सिलसिले में कोई एतराज किसी को नहीं है लेकिन आनरेबल मैम्बर को लड़के को सजा दिलाने में क्या इसरार है महज इस वास्ते कि लड़की की उम्र १८ साल से कम है और १६ साल से ज्यादा है ? १६ और १८ साल के दर्म्यान बावजूद रजामन्दी के सजा दिलाने के क्या असबाब है। इस के दो ही जुजू हो सकते हैं। एक जुजू जो १८ साल तक बढ़ाने का है उस के मुताबिक तो शायद किसी को ज्यादा एतराज नहीं है क्योंकि शायद इस से मुल्क का कुछ फायदा हो सकता है लेकिन लड़कों को सजा दिलाने का जो दूसरा जुजू है उस का क्या मकसद है, अगर यह जाहिर हो जाये तो ज्यादा बेहतर होगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जनाब वाला, मैं जिस चीज को अर्ज कर रहा था उस को मेरे लायक दोस्त ने और ज्यादा ताईद कर दी । इस के मानी यह हैं कि हाउस इस बात को तो मानने को तैयार है कि उम्र १६ से बढ़ा कर १८ कर दी जाय मगर यह जो कम्पाउंडिंग या सजा कम कर सकने की जो बात है उस को नहीं मंजूर करना चाहता। मैं अर्ज करूंगा कि अगर आप सन् १८६० से अब तक इस कानून की हिस्ट्री को देखें तो आप को मालूम होगा कि इस में कई बार तबदीलियां हुई हैं। आज अगर कोई अपनी औरत से भी अगर वह १२ से १५ वर्ष के बीच में हो इंटरकोर्स करे तो उस को सजा हो सकती है। सजा सिर्फ दो साल की हो सकती है क्यों कि वह शादीशुदा है ।

डा० काटजू : आज कल शादी १५ साल से पहले होती ही कब है ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : आप के कानून बनाने से क्या १५ साल से कम की शादियां रुक गई। मैं हाउस से अदब से अर्ज करूंगा कि अब भी बहुत ज्यादा शादियां कम उम्र में होती हैं। दो दो और चार चार साल की लड़कियों की शादियां होती हैं। मैं ने पिछली दफा भी अर्ज किया था और आज भी कहता हूं कि शारदा एक्ट से शहरों में तो फायदा हुआ है मगर गांवों में वही हालत है। मुझे ताज्जुब है कि हमारे होम मिनिस्टर साहब यह फरमाते हैं कि हि जुर्म तो हो ही नहीं सकता है। फिर आप ने कानून क्यों बनाया है। आज हजारों शादियां इस तरह की होती हैं।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

आप मद्रास और बंगाल में जा कर हालत देखें। मैं हैरान हो गया यह देख कर कि इस देश में यहां तक हालत पहुंच गई है। बंगाल में और मद्रास में १५ और १४ से औरतों के मेंसेज की एज १२ और १३ हो गई है। हम ने अपने पापी कर्मों से नेचर तक को बदल दिया है। हमारे देश में जो मनु जी ने लिखा था मैंस्ट्रएशन के तीन साल के बाद के बारे में तो वह १८ वर्ष की लड़कियों के लिये था। और अब १२ साल और १३ साल तक की उम्र में ही मैंसेंस हो जाता है। तो मैं अदब से अर्ज करूंगा कि आज भी बहुत सी शादियां बारह साल और कम उम्र में जो हो हैं या उस से कुछ ऊपर की उम्र में होती हैं उन में यह जुर्म हो सकता है। जब हम ने प्री प्यूबरटी कमेटी की रिपोर्ट लिखी तो हम ने इस पर बहुत विचार किया और इस के बाद हम इस नतीजे पर आये कि १६ से १८ कर दिया जाय। इस पर बड़ा झगड़ा हुआ। आज १७ बरस बाद हमारे होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि दस बरस और इन्तजार करो।

श्री के० सी० सोंधिया (सागर) : एक बात मुझे पूछनी है। एज आफ कंसेंट क्या हो जायेगी इस बिल के पास होने से।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह एज आफ कंसेंट दो तरह की है। एक तो शादी-शुदा अवस्था म और एक गैर शादी शुदा अवस्था में। जहां तक शादी शुदा का सवाल है उसमें आज के दिन १५ साल है और उस में कोई तबदीली नहीं चाहता अपने मुल्क की हालत को देखते हुए। मैं अगर कर सकता तो शादी की उम्र को भी १६ कर देता। दूसरा सवाल जो है वह गैर शादी शुदा का है। अगर कोई शख्स किसी औरत को राजी से ले जाय और ले जाने के बाद उस के साथ जुर्म करे तो आज के दिन अगर किसी लड़की की उम्र १६ के और १८ के दर्म्यान है तो उस को उठा कर ले जाने पर तो जुर्म है लेकिन उस के साथ उस की रजामन्दी से इंटरकोर्स करने पर कोई जुर्म नहीं है।

श्री सोधिया : आप के कहने से मेरा समाधान हो गया।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह आपकी मेहरबानी है। मैं आप से यह अर्ज करूंगा कि अगर हम को अपने देश की उन्नति चेस्टिटी के लिहाज से करनी है तो हम को इस बिलको सपोर्ट करना चाहिये। मैं यह बात मानने को तैयार हूं कि आप इस में तबदीली कर दें और इस को कम्पाऊंडेबिल न रखें। इस में यह खराबी होगी कि जिन नौजवानों की शादी हो सकती है, उन के रास्ते में यह कानून आवेगा। इस लिये मैं चाहता हूं कि आप इस को कम्पाऊडेबिल विद दी कंसेंट आफ दी कोर्ट कर दें। लेकिन अगर आप इस को एबसोल्यूट ही बनाना चाहते हैं तो मैं यह मानने के लिये तैयार हूं इस वजह से कि इसमें कम ईविल होगा बनिस्बत इस के कि उम्र १६ रखी जाये। अगर १८ की कंसेंट की लिमिट कर दी जायगी तो कम ईविल होगा। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि इस की दफा २ और ३ से तो हाउस मुत्तफिक है। सिर्फ दफा ४ से जिस में इस को कम्पाउंड करने के लिये कहा गया हाउस को इत्तिफाक नहीं। उस में अगर हाउस कोई तबदीली भी कर दे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो यही चाहता हूं कि यह उम्र किसी तरह से १६ साल से १८ साल हो जाय। मेरे दूसरे दोस्त अपने बिलों पर बोलना चाहते हैं मैं उन के वक्त को नहीं लेना

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

चाहता । मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि इस वक्त सवाल यह है कि कालिजों में लड़कियां पढ़ती हैं, फैक्टरीज में काम करती हैं आफिसेज में जाती हैं । आप क्या करना चाहते हैं । क्या आप उन को प्रोटैक्शन देना नहीं चाहते । यह सवाल प्रोटैक्शन का है । मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे होम मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि प्रोटैक्शन दिया जाय । अगर उन को डर है कि दफा ४ की वजह से ब्लैक-मेल किया जा सकता है तो उस को अलाहिदा कर दिया जाय । मैं हाउस से नम्रता से अपील करना चाहता हूं कि वह इसे स्वीकार कर लें । हाउस के सामने जब पहले १६ वर्ष का मामला आया, तो गवर्नमेंट ने उस को डिफीट कर दिया था । लेकिन अब पुरानी गवर्नमेंट नहीं है । गवर्नमेंट सब इसी तरह की होती हैं कि वह कंजरवे-टिव चीज़ों को सामने रखती हैं । जब मैं ने १४ से १५ वर्ष उम्र शादी के लिये बढ़ानी चाही थी तो गवर्नमेंट की तरफ से गाडगिल साहब ने उस को अपोज किया था लेकिन यहां हाउस ने उस को मंजूर कर लिया । मैं अर्ज करूंगा कि हाउस प्राग्रेसिव है । मुझे उम्मीद है कि हाउस इस बात का सबूत देगा और इस बिल को एक्लेमेशन के साथ पास करेगा ।

सभापति महोदय : पंडित ठाकुर दास भार्गव ने प्रारम्भ में इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, अब मैं देखता हूं कि श्री एन० पी० सिन्हा ने एक संशोधन रखा है । पहले इस संशोधन पर मत लिया जायगा ।

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को जनमत लेने के लिये प्रचालित किया जाय, और यह मार्च १९५३ के अन्त तक वापिस आ जाना चाहिये ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : अब मैं मूल प्रस्ताव रखता हूं ।

प्रश्न यह है कि :

"इस विधेयक द्वारा भारतीय दंड विधान (१८६० में ४५ वां) तथा दंड प्रक्रिया विधान (१८९८ का ५वां) पर विचार किया जाना चाहिये ।"

संसद् दो भागों में बंट गया, पक्ष एवं विपक्ष में । पक्ष में ५५ तथा विपक्ष में १२९ ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए ।]

श्री के० सी० सोधिया : कितने तटस्थ रहे ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन की गिनती नहीं की गई ।

सदन की कार्यवाही

श्री नम्बियार (मयूरम) : सदन की कार्यवाही जैसे कि प्रचलित की गई थी उस में लिखा था कि सदन में १९ विधेयक प्रस्तुत किये जायेंगे किन्तु दुर्भाग्यवश वर्तमान नियमों के अनुसार उन को अब प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । अतएव गैर-सरकारी सदस्यों को अपने विधेयक प्रस्तुत करने के लिये कुछ न कुछ करना चाहिये । अतएव मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि प्रत्येक सप्ताह में एक दिन गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिये दिया जाना चाहिये, तथा उन के विधेयकों की प्रारम्भ में छान बीन करने के लिये स्थायी समिति बना देनी चाहिये । प्रत्येक पार्टी के लिये समय भी निश्चित कर देना चाहिये । जिस में कि वे सभी सदस्य भाग ले सकें एवं अपनी अपनी पार्टी के विधेयकों को रख सकें तथा सदस्यों को अपने पक्ष में लाने का प्रयत्न कर सकें । अन्यथा यह बड़ा कठिन कार्य है । अतएव

[श्री नम्बियार]

में आप से प्रार्थना करता हूं कि आप इस पर विचार करें और इस मामले को नियम समिति को सौंप देना चाहिये । और ऐसा ही लाभ हमें भी मिलना चाहिये ।

सेठ गोविन्द दास (मंडला जबलपुर) : एक बात में आप से निवेदन करना चाहता हूं । वह कई बार उठ भी चुकी है कि गैर सरकारी दिन जो विधेयक केवल प्रस्तुत करने के लिये हैं वे पहले प्रस्तुत कर दिये जायें । इस पर मैं आप को यह भी स्मरण दिलाना चाहता हूं कि श्री मावलंकर जी ने शायद एक बार आश्वासन भी दिया था कि इस पर विचार किया जायेगा । तो यह तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल उचित बात होगी कि जहां तक विधेयकों के प्रस्तुत करने का सवाल है नियमों में इस तरह परिवर्तन किया जाये कि वह पहले रखे जायें । जहां तक समय का मामला है कि इन विधेयकों के लिये कुछ न कुछ समय निश्चित हो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है, क्योंकि विधेयकों के लिये हम ने कभी समय निश्चित नहीं किया ह । विधेयक पर हर एक को बोलने का अधिकार है, जितना चाहें बोलें । बहस समाप्त करने का प्रस्ताव बराबर लाया जा सकता है, लेकिन जहां तक विधेयकों को प्रस्तुत करने का मामला है, मैं समझता हूं कि इस तरह का परिवर्तन नियमों में होना चाहिये कि जिस दिन गैर सरकारी विधेयक हों, सब को पहले प्रस्तुत किया जाय और बाद में उन पर विचार हो ।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक विधेयक सम्बन्धी प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की बात है, वे तो तब तक प्रस्तुत नहीं किये जा सकेंगे जब तक कि वे सभी विधेयक जिन के बारे में विचार करने की पूर्व सूचना आ गई है समाप्त नहीं हो जाते । अतएव अन्य दूसरे विधेयकों के प्रस्तुत करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता । विचाराधीन विधेयकों का अलग अलग रूप से तथा गुप्त रूप में मतदान किया जायगा । यदि वे सभी विधेयक जो कि विचाराधीन नहीं हैं गुप्त मतदान के लिये रख दिये जाते हैं तो माननीय सदस्य का नम्बर देर से आ सकता है ।

यही वास्तविक कठिनाई है । नियम समिति को सौंपने के सम्बन्ध में सदस्यों के सुझावों का मैं अब स्वागत करता हूं । वे बतायें कि नियम समिति को क्या क्या सौंपा जाय । वे सभी उस समिति को सौंप दिये जायेंगे । गैर सरकारी सदस्यों को अधिक समय देने का प्रश्न तो सरकार द्वारा सोचा जा सकता है न कि नियम समिति द्वारा । यदि विधेयक आवश्यक है तो संसद् के नेता के परामर्श से अध्यक्ष महोदय उस पर विचार कर सकते हैं ।

अब मैं संसद् में श्री सैयद मुहम्मद अहमद काज़ीम द्वारा प्रस्तुत मुस्लिम वक्फ़्स विधेयक पर विचार किया जायेगा ।

मुस्लिम वक्फ़्स विधयक

[पंडित ठाकुर दास भार्गव अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

श्री काज़मी (ज़िला सुल्तानपुर-उत्तर व ज़िला फैजाबाद-दक्षिण पश्चिम) : मैं निवेदन करता हूं :

"कि भारत वर्ष में मुस्लिम वक्फों के सुशासन एवं अच्छे प्रबन्ध तथा मुतवल्लियों द्वारा की जाने वाली देख भाल और उन के प्रबन्ध के लिये विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाये जिस के सदस्य निम्न हों :—

डा० सैयद महमूद; श्री एम० हिफ़ज़ुर रहमान, श्री अहमद मुहिउद्दीन, श्री गुरमुख

सिंह मुसाफिर, पं० कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री हीरा वल्लभ त्रिपाठी, मौलाना मुहम्मद सईद मसूदी, कर्नल बी० एच० जैदी, श्री मोहन लाल सक्सैना, चौधरी हैदर हुसैन, श्री अमजद अली, श्री सैयद अहमद, डा० एन० एम० जयसूर्य, श्रीमती सुभद्रा जोशी, श्री सी० सी० बिस्वास, श्री एस० वी० एल० नरसिंहम, श्री आत्म सिंह नामधारी, श्री प्यारे लाल कुरील तालिब तथा श्री काज़िम

एवं इन को आदेश दिया जाये कि ये अपना विवरण आगामी अधिवेशन के दूसरे सप्ताह के अन्तिम दिन तक दे दें।"

विभिन्न राज्यों में प्रचलित वक्फ अधिनियमों के गूढ़ अध्ययन के उपरांत ही यह विधेयक तैयार किया गया है। कुछे प्रांत ऐसे भी हैं जहां वक्फ अधिनियम बिल्कुल भी नहीं है। इसका उद्देश्य वक्फ के प्रबन्धकों द्वारा किये जाने वाले प्रबध में समानता लाना है। अतएव यह सोचा गया कि एक ऐसा केन्द्रीय विधेयक होना चाहिये जो सभी राज्यों में चाहे वहां वक्फ अधिनियम हो अथवा न हो लागू किया जा सके।

इस पर भिन्न भिन्न प्रकार के मत आये हैं। जिस में से उन को तो छोड़ दीजिये जिन्हों ने भावनावश हो कर विरोध किया है अन्यथा सभी ने इस विधेयक के पक्ष में अपना मत दिया है।

विधेयक के विरुद्ध कुछ कहा गया है तो केवल इतना ही कि केन्द्रीय मंडल की स्थापना मंहगी है। यदि आप विधेयक की योजना पर दृष्टिपात करें तो प्रकट होगा कि केन्द्रीय मंडल का कार्यक्रम सस्ता एवं बड़ा लाभदायक है।

प्राप्त मतों के आधार पर यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि अत्यधिक जनमत इस पक्ष में है कि देश के विभिन्न राज्यों में मुतवल्लियों के कार्य की देख भाल के लिये तथा उन के सुप्रबन्ध के लिये केन्द्रीय मंडल की बड़ी आवश्यकता है। अतएव ऐसी स्थिति में मेरे लिये यह आवश्यकता नहीं रह जाती कि मैं इन अनेक बातों के बारे में कुछ कहूं जो कि सदस्यों ने उठाई है क्योंकि उन पर विचार करना तो प्रवर समिति का कार्य है।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

"कि भारतवर्ष में मुस्लिम वक्फों के सुशासन एवं अच्छे प्रबन्ध तथा मुतवाल्लियों द्वारा की जाने वाली देखभाल और उन के प्रबन्ध के लिये विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाये, जिस के सदस्य निम्न हों :—

डा० सैयद महमूद, श्री एम० हिफजुर रहमान, श्री अहमद मुहिउद्दीन, श्री गुरमुख सिंह मुसाफिर, पं० कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री हीरा वल्लभ त्रिपाठी, मौलाना मुहम्मद सईद मसूदी, कर्नल बी० एच० जैदी, श्री मोहन लाल सक्सैना, चौधरी हैदर हुसैन, श्री अमजद अली, श्री सैयद अहमद, डा० एन० एम० जयसूर्य, श्रीमती सुभद्रा जोशी, श्री सी० सी० बिस्वास, श्री एस० वी० एल० नरसिंहम्, श्री आत्मासिंह नामधारी, श्री प्यारेलाल कुरील तालिब तथा श्री काज़िम।

एवं इन को आदेश दिया जाय कि ये लोग अपना विवरण आगामी अधिवेशन के दूसरे सप्ताह के अन्तिम दिन तक दे दें।"

श्री एम० एच० रहमान (मुरादाबाद जिला बस्ती): मिस्टर चेयरमैन, मिस्टर काज़मी ने जो मुस्लिम वक्फ विधेयक पेश किया है मैं उसे बहुत ही अहम और जरूरी समझता हूं। जहां तक मुझे याद है इस से पहले मुख्तलिफ सूबों और प्रान्तों में इस बात की जरूरत

[श्री एम० एच० रहमान]

महसूस हुई कि लाखों करोड़ों रुपया का वक्फ जो लोगों ने मस्जिदों, कबरस्तानों, खानकाहों के लिये किया है तो इस में कोई ऐसा कानून होना चाहिये जिस से साहिबान जो अपनी जाती गरज पूरी करने के लिये इस वक्फ का नाजायज इस्तेमाल करते हैं उन को वैसा करने से रोका जाये इस का सही तौर पर इस्तेमाल हो सके। अभी अभी मिस्टर काज़मी ने चार सूबों और प्रान्तों का जिक्र किया वहां इस बिल की जरूरत को महसूस करते हुए उन्हों ने अपने यहां ऐक्ट बनाये लेकिन उस जमाने में भी हम ऐसी कमजोरियां और खामियां महसूस करते हैं जिस से पूरी तरह वह कंट्रोल न हो सका जो होना चाहिये। पब्लिक में जिस जमाने में आजादी की जंग लड़ी जा रही थी तो जहां हम ने मुल्क की आजादी का मसला और बहुत सी बातें लोगों को बतलाई थीं तो उन में मजहबी हैसियत से इस बात की तरफ तवज्जोह दिलाई गई कि जब हमारी कौमी हुकूमत कायम हो तो हम औकाफ के बारे में एक ऐसा इन्तजाम हुकूमत के जरिये से करायेंगे जिससे करोड़ों रुपया जो नेक काम के लिये लोग वक्फ कर चुके हैं वह उन के हाथ तबाह न हों और उस का सही इस्तेमाल हो सके। इस के लिये किसी बड़ी तकरीर करने की जरूरत नहीं है। मैं महसूस करता हूं कि जिस वक्त यह बिल राय आमा हासिल करने के लिये शाया किया गया उस वक्त जितने मुतवल्ली और उन के ऐजेंट थे उन की मामूली मुखालफ़त के अलावा पूरे मुल्क ने बुनियादी तौर पर उस को वैल्कम किया और खैर मुकद्दम किया और उस की जरूरत को महसूस किया। हां कुछ छोटी छोटी बातों में इख्तलाफ भी पेश किया है और वह होना भी चाहिये। मुख्तलिफ राय जो हासिल हुई उस के साथ साथ सिलैक्ट कमेटी को भेजने की जो सिफारिश है तो वहां जब वह चीज आयेगी तो वह तमाम बातों पर जिन में वह छोटे छोटे इख्तलाफ भी हैं और उन पर पूरी तौर से और सही तौर से फैसला कर लिया जायेगा और राय बनायी जायेगी। इसी लिये बजाय इस बात पर जोर दिया जाता कि इस बिल को पास कराया जाये बेहतर तरीका यही समझा गया कि इस को अभी सिलैक्ट कमेटी में जाना चाहिये ताकि वहां हमें उन सब रायों पर मशवरा करने और उन से फायदा उठा कर अपना फैसला करने में बहुत मदद मिलेगी।

लेकिन इस जरूरत को महसूस करना यकीनन हाउस के जिम्मे है। इस वक्त ऐसे हालात में बहुत से अहम इरादे दरगाहों के तमाम मुआमलात, मस्जिदों के मुआमलात और बहुत से यतीमों और बेवाओं के मुआमलात, आप को अन्दाजा होगा कि किस कदर खराब और बरबाद हैं। और वह महज मुतवल्लियों की वजह से, और वह लोग आज भी बड़ी भारी भारी रकम खर्च कर के कोशिश कर रहे हैं कि यह बिल न बनने पावे। और उन को इस की खुली छूट मिल जाये कि वह जिस तरह से चाहें अपना काम जारी रखें। इस लिये इस बिल का मकसद सिर्फ एक ही है। बाज औकात लोगों में यह गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की गई कि दरहकीकत यह वक्फ बिल इस लिये पेश किया गया है कि गवर्नमट उन इदारों पर जबरदस्ती कबज़ा करेगी अगर एक आदमी भी इस का गलत मकसद के लिये इस्तेमाल करता है। मैं समझता हूं कि हाउस में यह बात कुछ ज्यादा कहने की नहीं थी, लेकिन बावजूद इस के बार बार इस को कहा गया। मैं उन लोगों को मुतमैयन करना चाहता हूं कि इस बिल की जितनी भी दफात हैं अगर ईमानदारी के साथ उन को देखा जाये तो मालूम होगा कि उस में एक जुमला भी ऐसा नहीं है कि जिस में वक्फ करने वाले ने जिस मतलब से वक्फ किया है उस को इधर उधर करने की गुंजाइश

रखी गई हो । और अगर किसी को किसी कदर शक व शुबा भी हो तो यह बिल जिस वक्त ओपीनियन हासिल करने के लिये भेजा गया था कि अगर किसी साहब को ऐसा महसूस हो रहा हो कि इस बिल में कोई दफा ऐसी है कि जिस में वक्फ करने वाले ने जिस मकसद के लिये वक्फ किया है उस में इधर उधर किया गया है तो हमें बतलाया जाये और हम उस तजवीज को मंजूर करेंगे । लेकिन चूंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं थी इस लिये उस तमाम प्रोपेगंडे का कोई गलत नतीजा नहीं हुआ । इस लिये मैं समझता हूं कि जो हमारी कौमी पार्लियामेंट है उस को इखलाकी तौर पर इस बिल के पास करने में हमारी मदद करनी चाहिये ताकि इस तरह का एक्ट एक माडल की शक्ल में मुल्क में जारी हो । और जितने प्रान्त और सूबे हैं जिन में ऐसा वक्फ ऐक्ट नहीं है उन में भी उसी रोशनी में वक्फ ऐक्ट बन सकें और जहां यह वक्फ ऐक्ट बने हुए हैं उन में जो कमजोरियां और खामियां हैं उन को दूर किया जा सके । और इस ऐक्ट में जितनी प्रिंसिपिल की बातें आई हैं उन की मदद ले कर उस को वक्फ एक्ट की शक्ल दे सके । मैं उन चन्द अल्फाज़ के साथ इस बिल की हिमायत करता हूं ।

बहुत सी ऐसी मिसालें हैं जहां मस्जिदों में, खानकाहों, मदरसों और यतीम खानों में यतीमों और बेवाओं की तालीम के बारे में लोगों ने रुपये खर्च किये हैं और लोग इस में गड़ बड़ कर रहे हैं । इस को बेहतर बनाने के लिये जो बिल आप के सामने पेश है उस को आप मंजूर करें ताकि कानून की सूरत में वह आये और आम पब्लिक इस चीज को महसूस कर सकें कि कौमी हुकूमत के जरिये हमें सपोर्ट और मदद मिली है कि हमारी इखलाकी जिन्दगी को बेहतर और कामयाब बना सके । इन अल्फाज़ के साथ मैं इस की ताईद करता हूं ।

मौलाना मसूदी (जम्मू तथा काश्मीर) जनाब वाला वक्फ बिल की जरूरत के बारे में महरक ने और मौलाना हफज-उल-रहमान साहब ने बहुत तफसील के साथ कहा है । मैं समझता हूं कि इस मरहले पर मजीद किसी लम्बी बहस की कोई खास जरूरत नहीं । इस लिये मैं इस बिल को सिलैक्ट कमेटी के सुपुर्द किये जाने की ताईद पर ही इक्तफा करता हूं ।

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री विस्वास) : यदि संसद् के मुसिल्म सदस्य यह चाहते हैं कि यह विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाये तो मुझे इस में कोई आपत्ति नहीं है किन्तु सन्सद् की जानकारी के लिये मैं एक वक्तव्य प्रस्तुत करता हूं जो मैं ने तैयार किया है ।

मैं श्री काज़मी से सहमत नहीं हूं, वह कहते हैं कि अत्याधिक जनमत इस विधेयक के पक्ष में है, ऐसी बात नहीं है । मेरे सम्मुख रखी गई सूचना के अनुसार ऐसा प्रतीत नहीं होता । मुख्य मुख्य राज्य साधारण तौर पर इस विधेयक के पक्ष में नहीं हैं । अ भाग के राज्यों को ही पहले लीजिये—पंजाब ही ऐसा प्रान्त है जो इस विधेयक का स्वागत करता है अन्यथा सभी प्रान्तों ने इस का विरोध किया है । विरोध एक से अधिक आधारों पर ही अवलम्बित है । विरोध का कारण यही है कि इन में से बहुत से प्रान्तों म या तो वक्फ अधिनियम है अथवा वे अपन यहां बना रहे हैं अतएव वे इस को नहीं चाहते । उन विधेयकों के अनुसार कार्य ठीक चल रहा है । अतएव अब वे यह नहीं चाहते कि उन के यहां केन्द्रीय विधान हो, और ये अधिनियम निरसित हो जायें । उत्तर प्रदेश, बम्बई, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश, और आसाम ने

[श्री बिस्वास]

निश्चित रूप से यह घोषणा कर दी है कि वह केन्द्रीय विधान नहीं चाहते उन का विचार है कि प्रत्येक राज्य को इस बात की स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये कि वे अपनी आवश्यकता के अनुसार विधान की वृद्धि कर सकें। यहां तक कि यदि इस विधेयक को संसद् का बहुमत भी मिल जाये तो भी वे राज्य यह चाहते हैं कि उन को इस बात के लिये मुक्त कर दिया जाय कि उन के यहां यह विधेयक लागू न हो तथा उन के यहां जो विधान प्रचलित है उन्हीं से कार्य चलाने की उन्ह स्वतंत्रता दी जानी चाहिये। कुछ राज्यों में पिछले कई वर्षों से यह विधान लागू है और इस से बहुत सी कमियां दूर हो गई हैं, कुछ राज्यों में यह कार्यवाही की गई है तथा कुछ राज्यों में इन बुराइयों को दूर करने के लिये उपाय किये जा रहे हैं, अथवा किये जायेंगे। उदाहरण के लिये उत्तर प्रदेश में १९३६ के मुस्लिम वक़्फ़ अधिनियम को ही लीजिए। अलाहबाद उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश श्री नियामतुल्ला की अध्यक्षता में एक जांच समिति बनाई गई थी। इस जांच समिति ने अपना विवरण प्रस्तुत कर दिया है और उत्तर प्रदेश सरकार इस प्रचलित अधिनियम में अधिक संशोधन करने के लिये एक संशोधन विधेयक तैयार किया है। वक्फ मंडल पर राज्य द्वारा नियंत्रण रखने के लिये एक अध्यक्ष इस अधिनियम में और बढ़ा दिया गया है। वे इस विधेयक को नहीं चाहते क्योंकि यह उन के संशोधन विधेयक में रुकावट डालेगा। उत्तर प्रदेश के गैर सरकारी सदस्यों के मत अलग अलग हैं।

बम्बई सरकार ने तो इस का एक दम विरोध किया है। सरकार नहीं चाहती कि यह विधेयक उन के यहां लागू हो। सन् १९५० में बम्बई जन न्यास अधिनियम (सन् १९५० का ३० वां बम्बई अधिनियम) स्वीकृत हुआ था। यह सभी के लिये लागू है—धार्मिक एवं चन्दे पर चलने वाले न्यास जिन में मंदिर मस्जिद, अथवा दूसरे धार्मिक और चन्दे पर चलने वाली संस्थायें भी हैं। धार्मिक भावना के विचार के बिना उन सब पर यह अधिनियम लागू होगा। ऐसा सोचा गया है कि यह विधेयक वहां के प्रचलित अधिनियम की शक्ति को घटायेगा : यह बम्बई सरकार का मत है।

बम्बई के गैर सरकारी सदस्य भी अधिकतर इस विधेयक के विपक्ष में हैं।

पश्चिमी बंगाल में बंगाल वक्फ अधिनियम १९३४ है, और वे समझते हैं कि किसी मंडल की अब कोई आवश्यकता नहीं है। सन् १९३४ से यह अधिनियम बड़े प्रभाव से तथा सुचारु रूप से कार्य कर रहा है। इस वर्तमान विधेयक की योजना काफी पेचीदी है और विशेष रूप से वे केन्द्रीय मंडल को न्याय सम्बन्धी तथा अर्द्ध न्याय सम्बन्धी कार्य सौंपने के विरुद्ध में हैं। यदि न्याय सम्बन्धी अधिकारों को प्रयोग करने के लिये कोई अधिकारी है तो वह वस्तुतः अधिकारी होना चाहिये।

पश्चिमी बंगाल से प्राप्त गैर सरकारी सदस्यों के मत भी अधिकांशतः इस विधेयक के विपक्ष में हैं। मध्य प्रदेश राज्य ने इस विधेयक का विरोध किया है। उन का भी विचार है कि प्रत्येक राज्य को अपने लिये विधान बनाने की छूट मिलनी चाहिये।

श्री सैय्यद अहमद (होशंगाबाद) : मध्य प्रदेश में कोई विधान नहीं है।

श्री बिस्वास : तभी तो वे कहते हैं कि उन को अपने लिये नियम बनाने की छूट मिलनी चाहिये।

श्री सय्यद अहमद : तीन वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश में वक्फ विधेयक प्रस्तुत किया गया था । माननीय मंत्री श्री डी० के० मेहता ने कहा था कि प्रान्त के लिये ऐसा विधेयक बनाने का काम उन का नहीं है वक्फ का प्रबन्ध तो निजी तौर पर होना चाहिये । अतएव विधेयक को स्वीकार करने से मना कर दिया ।

श्री विस्वास : यह सब कुछ तो राज्यों से प्राप्त मतों से स्पष्ट हो गया है और जिस की सूचना संसद् को दी जा चुकी है । तीन वर्ष पूर्व मध्यप्रदेश में क्या हुआ था इसके विषय में मैं कुछ नहीं जानता । वे कहते हैं कि इस विधेयक की योजना बड़ी पेचीदा है और ये वक्फ केन्द्रीय संगठन के खर्चे में कुछ दे नहीं सकते । यदि आप विधेयक का अध्ययन करें तो आप को पता चल जायगा कि राज्यों के वक्फों को केन्द्रीय संगठन के कोष में कुछ धन देना होगा ताकि केन्द्रीय संगठन का कार्य चल सके । मध्य प्रदेश के गैर सरकारी सदस्यों के मत भी अलग अलग हैं ।

आसाम प्रान्त ने भी इस विधेयक का विरोध किया है : आसाम प्रांत न्यायालय के दो न्यायाधीशों के मत से सहमत हैं और इन दोनों न्यायाधीशों ने इस विधेयक का विरोध किया है ।

जहां तक बिहार का सम्बन्ध है, वहां का मत अभी दो दिन हुए तभी मिला है और यह मत भी इस विधेयक के विपक्ष में है । मद्रास ने कोई टिप्पणी नहीं की है । किन्तु मद्रास के राजस्व परिषद् ने इस का विरोध किया है । गैर सरकारी सदस्य, तथा संस्थाओं से प्राप्त मत अलग अलग हैं किन्तु बहुमत इस के विरोध में है । उड़ीसा इस विधेयक के विरुद्ध है तथा राज्य की वक्फों की आवश्यकतानुसार एक अपना नया विधान बना रहा है ।

ब श्रेणी के राज्यों के बारे में आइये । पेप्सू, राजस्थान, और सौराष्ट्र ने कोई आलोचना नहीं की है : मध्य भारत ही एक ऐसा प्रान्त है जिस ने इस विधेयक का समर्थन किया है । हैदराबाद, त्रावनकोर-कोचीन, और मैसूर ने इस का विरोध किया है । हैदराबाद में मुस्लिम तथा हिन्दू धर्मस्वों पर शासन करने के लिय एक विधान है । अतएव वे इस वर्तमान विधेयक का स्वागत नहीं करते । उन का अपना अधिनियम भली प्रकार से कार्य कर रहा है, यह कहा जाता है कि इस वर्तमान विधेयक से वर्गवादिता बढ़ जायगी । त्रावनकोर-कोचीन और मैसूर भारतीय विधान नहीं चाहते यदि यह विधेयक स्वीकृत हो भी जाता है तो वे इस से अलग ही रहना चाहते हैं ।

स भाग के राज्यों के बारे में भी सुनिये । भूपाल तथा कुर्ग इस विधेयक के सिद्धान्त से सहमत हैं । किन्तु दूसरे राज्यों ने कोई टिप्पणी नहीं की है । अतएव राज्यों के बारे में यह कहना उचित नहीं है कि उन्हों ने इस विधेयक का उचित स्वागत किया है । मंत्रालय में अनेकों गैर सरकारी व्यक्तियों ने काफी मात्रा में तार तथा पत्र भेजे हैं, वे लिखते हैं कि यह विधेयक जमियत-उल-उल्मा का है । (कुछ सदस्य—नहीं, नहीं ।) मैं कुछ नहीं जानता मैं अपना मत नहीं दे रहा हूं । म तो केवल उसी मत का प्रतिपादन कर रहा हूं जो मंत्रालयों को इन पत्रों से पता चला है । इन मतों से यहपता चला है कि सुन्नी मुसलमानों का विचार है कि इस विधेयक के द्वारा शिया मुसलमानों को अधिक महत्व दिया गया है । बहुत से व्यक्तियों का कहना है कि शिया तथा सुन्नियों में कोई अन्तर नहीं होना चाहिये । वे मुसलमान जो देवबन स्कूलों के विचारों से सहमति रखते हैं, अथवा जमियत उल-उल्मा दल के हैं वे ही इस विधेयक का समर्थन करते हैं ।

[श्री बिस्वास]

जैसा कि मैं ने कहा है कि बहुत से राज्यों का जिन्हों ने कि इस विधेयक का विरोध किया है, विचार है कि धनी वक्फों को छोड़ कर साधारण तौर पर सभी वक्फ ऐसे हैं जो केन्द्रीय मंडल के कोष में कोई सहायता नहीं कर सकते । इस विधेयक के अनुसार समान रूप से ५ प्रतिशत का आरोप सभी वक्फों पर लगाया गया है । बम्बई तथा उत्तर प्रदेश में २ प्रतिशत से अधिक नहीं लिया जाता । फिर भी वक्फों को इतनी राशि देना कठिन पड़ जाता है । अतएव एक सुझाव मैं रख रहा हूं और वह यह है कि यह बड़ी समझदारी की बात होगी अगर हम पहले यह निश्चित कर लें कि केन्द्रीय मंडल का खर्चा क्या होगा । विधेयक की योजना को बटाने से पूर्व वक्फों की साधारण तौर पर देने की शक्ति क्या होगी इस के बारे में भी निर्णय कर ना चाहिये ।

दूसरा विरोध जिस का उल्लेख मैं ऊपर कर चुका हूं वह यह है कि यह योजना बड़ी पेचीदा है । यह कहा जाता है कि ३० या ३२ आदमी मिल कर एक केन्द्रीय मंडल बनायेंगे। यदि कोई योजना बनती है तो बहुत से राज्य यह चाहेंगे कि सभी मुस्लिम वक्फों के लिये एक सी योजना बने जिस में शिया या सुन्नी आदि का कोई भेद भाव न हो । हैदराबाद, जैसा कि मैं ने अभी कहा है कि और भी आगे बढ़ गया है वह सभी जातियों के धर्मस्वों के लिये एक सा विधान चाहता है ।

ऐसा प्रस्ताव किया गया है कि इस मामले को प्रवर समिति को सौंप दिया जाय । यदि मेरे मुसलमान मित्र इसे चाहते हैं तो उन्हें चाहने दो । तथ्यों को देखते हुए मैं यह सुझाव देता हूं कि सरकार इस बारे में कोई निश्चित मत पक्ष में या विपक्ष में, नहीं रखती ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : क्यों नहीं ?

श्री विस्वास : प्राप्त मतों का संक्षिप्त विवरण मैं संसद् के समक्ष रख चुका हूं । यह तो संसद् का कार्य है कि इस पर विचार कर के निश्चित करे कि इस के बारे में क्या कार्यवाही की जाये, क्या प्रस्ताव को प्रवर समिति में भेजने के लिये इस का समर्थन करे अथवा इस का विरोध करे । जहां तक कि सरकार का सम्बन्ध है वह इस के बारे में पूर्णत: तटस्थ दृष्टिकोण रखना चाहती है ।

श्री एस० एस० मोरे : कोई निश्चित दृष्टिकोण नहीं है ।

श्री विस्वास : यही तो मैं कह रहा था वास्तव में बात तो यह है कि यदि संसद् चाहता है तो इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दे । व्यक्तिगत रूप से, अर्थात यदि आप मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण जानना चाहते हैं, और वह भी यदि मुझे अपना दृष्टिकोण रखने की स्वतंत्रता हो, तो मैं नहीं सोचता कि, संसद के समक्ष रखे गये इन आधारों और विभिन्न मतों के अनुसार इस विधेयक को प्रवर समिति के समक्ष रखने की कोई गुंजाइश भी रह जाती है । यद्यपि मैं अपने मित्र को परामर्श दूंगा कि वह अपने इस विधेयक को वापिस ले लें और एक अच्छा विधेयक तैयार करें । वास्तव में देखा जाय तो उन्हों ने इस विधेयक को कुछ जल्दी ही तैयार कर लिया है । इस में काफी दोष थे । मंत्रालय में इस का परीक्षण किया गया और इस वर्तमान विधेयक में मंत्रालय द्वारा बहुत से सुझाव जोड़ दिये गये हैं ।

जैसा कि मैं ने कहा है कि दो बातें ऐसी हैं जिन का कि परीक्षण होना चाहिये । राज्य के वक्फों की शक्ति का परीक्षण करना है कि वे कितना धन केन्द्रीय मंडल को दे सकते हैं । इस में कोई लाभ नहीं है कि पहले तो ५ प्रतिशत रखा जाये और पश्चात् को घटा कर ३ प्रतिशत किया जाय । यह तो जांच करने

का विषय है । इस के लिये अधिक समय की आवश्यकता है । यदि केन्द्रीय विधान की वृद्धि की जाती है तो यह अच्छा होगा कि राज्य भी हमारा साथ दें, किंतु ऐसा प्रयत्न नहीं किया गया है । हमारे पास राज्यों के मत हैं वे केन्द्रीय विधान के विरुद्ध हैं । अतएव मैं एक सुझाव रखता हूं और यह केवल एक सुझाव ही है, अगर माननीय सदस्य इस विधेयक को वापिस ले कर, और इन सब बातों को सोचने के लिये कुछ समय लेते हैं तो यह संभव है कि भविष्य में अच्छा विधेयक प्रस्तुत किया जा सके बशर्ते कि सभी राज्य केन्द्रीय विधान से सहमत हों । मुझे तो केवल इतना ही कहना था ।

श्री एस० एस० मोरे : क्या सरकार के लिये यह संभव नहीं है कि वह इस मामले पर विचार करे और सभी धर्मस्व संस्थाओं के लाभार्थ विधान बनाये क्योंकि ऐसे विधान की बड़ी आवश्यकता है । यदि सरकार इस का सूत्रपात करती है तो यह विधेयक बड़ी आसानी से स्वीकृत हो सकता है ।

श्री बिस्वास : जैसे ही मुझे इस के बारे में पता लगा वैसे ही मैं ने अपने मंत्रालय को आदेश भेज दिये कि धर्मस्व संस्थाओं सम्बन्धी विधेयक के बारे में सभी बातों और तथ्यों को इकठा किया जाये । वास्तव में आप देखेंगे कि हिन्दू तथा मुस्लिम धर्मस्वों के बारे में मेरे पास यहां एक पुस्तक है । मेरा उद्देश्य तो विधेयक की संवृद्धि करना है जिस के अनुसार सभी प्रकार के धर्मस्वों की रक्षा हो सके । किन्तु उस के पश्चात् गैर सरकारी सदस्य का यह विधेयक प्रस्तुत कर दिया गया, अतएव ऐसी स्थिति में मैं जो कुछ भी कर सकता था वह यह था कि संसद् के समक्ष व सभी मत रख दूं जो कि मुझे मिले हैं । वास्तव में सरकार तो अपना कार्य करेगी । यदि मैं यहां होता तो निश्चित रूप से मैं भी एक विधेयक रखता जो न केवल हिन्दू या मुस्लिम धर्मस्वों की रक्षा करता अपितु सभी प्रकार के धर्मस्वों की रक्षा करने में सहायक होता यह बहुत ही आवश्यक है । मैं ऐसा अनुभव करता हूं और सदैव ही ऐसा अनुभव करता रहा हूं । इस के सम्बन्ध में तथ्य इकट्ठे किये गये हैं । मैं यह तो प्रतिज्ञा नहीं करता कि ऐसा विधेयक इसी वर्ष प्रस्तुत कर सकूंगा किन्तु अगले वर्ष अवश्य ही प्रस्तुत कर सकूंगा ।

श्री अल्गू राय शास्त्री (ज़िला आजमगढ़—पूर्व व ज़िला बलिया—पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि ला मिनिस्टर का यह विचार है कि वह इस तरह का एक व्यापक विधेयक यहां पेश करेंगे तो फिर उस में समय लगाना बेकार होगा खास कर इसलिये कि यह एक अलग अलग धार्मिक भावनाओं को ले कर कोई विधेयक आये तो वह अच्छा नहीं है, एक व्यापक विधेयक आय तो अधिक अच्छा है ।

शिक्षा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : मगर मैं समझता हूं मुआमला की हैसियत साफ हो जानी चाहिये इसलिये मैं आप की इजाज़त से चन्द अल्फाज कहना चाहता हूं। मेरे दोस्त ला मिनिस्टर ने बता दिया है कि गवर्नमेंट की तरजि अमल इस बारे में क्या है। अगर हाउस के मुसलमान मैम्बरों की मजारिटी इस बिल को आगे बढ़ाना चाहती हैं, तो गवर्नमेंट उन की राह में नहीं आयेगी। बाकी रही वह बात जिसे उन्हों ने अपनी जाती राय की शक्ल में जाहिर किया है, यानी एक नया बिल गवर्नमेंट तैयार करे, तो इस बारे में यह बात हमें याद रखनी चाहिये कि इस तरह का कोई फैसला अभी गवर्नमेंट ने नहीं किया है और नहीं कहा जा सकता कि गवर्नमेंट इस तरह का कोई फैसला अभी कर सकेगी या नहीं : अगर आगे चल कर कोई ऐसा बिल पार्लियामेंट के सामने आया जिस के जरिये

[मौलाना आज़ाद]

हिन्दू, मुसलमानों, जैनियों और सिक्खों के तमाम औकाफ की हिफाजत व निगरानी का इन्तजाम किया जायेगा, तो जाहिर है कि मौजूदा बिल इसकी राह में हायल नहीं होगा इसे पार्लियामेंट मंजूर कर के इस ऐक्ट को खत्म कर देगी ।

इस में शक नहीं कि इस बिल में बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन पर मजीद गौर होना चाहिये लेकिन अगर सिलैक्ट कमेटी में यह चला गया तो उम्मीद है कि उन पर पूरी तरह गौर कर लिया जायेगा और फिर पार्लियामेन्ट को पूरा मौका मिलेगा कि अपना फैसला सादर करे ।

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन) : माननीय सभापति जी, जो बिल हमारे सामने आया है उस के सम्बन्ध में अभी कई राज्यों की राय हमारे सामने आई है । मेरा ऐसा ख्याल है कि अभी इस बिल को सिलैक्ट कमेटी को सुपर्द करने में हाउस को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये । पहले तो सवाल यह है कि हिन्दुस्तान में केवल मुस्लिम वक्फ्स की ही हालत खराब हो ऐसी बात नहीं है, बल्कि हिन्दू वक्फ्स जितने हैं उन की भी वैसी ही हालत है । इस के अलावा और भी दूसरी कम्युनिटीज हैं । उन के जितने वक्फ हैं उन की भी हालत वैसी ही है । वाकई में जब ऐसी स्थिति है तो मैं गवर्नमेंट से यह निवेदन करूंगा कि उन को इन सब वक्फ की हालत को सुधारने के लिये और इन का पैसा फिजूल खर्च न हो, इस का दुरुपयोग न हो, लोग बेजा फायदा न उठायें, इस के लिये एक मुकम्मिल कानून सैंट्रल गवर्नमेंट को सारे हिन्दुस्तान के लिये जल्दी से जल्दी लाना चाहिये । यह प्रश्न इस तरह का नहीं है कि जिस को हम टकड़ों में तय करें । इस लिये इस में और भी पेचीदिगियां होंगी ।

अभी ला मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि बम्बई गवर्नमेंट ने एक ऐसा कानून बनाया है कि जो सभी जाति के लोगों के वक्फ को सामने रखता है और वह एकसा सब के लिये लागू होता है ।

मौलाना आज़ाद : लागू नहीं होता । मगर इस को उन्हों ने बनाया है कि जो कम्युनिटी खुद अपनी खुशीसे चाहेगी तो उस पर लागू हो जायगा ।

श्री राधेलाल व्यास : तो इसी तरह का एक कानून हमारे यहां भी बनाने की जरूरत है ।

एक और भी बात है कि इन वक्फों के सम्बन्ध में जहां तक हो, अदालतों को उन के साथ ज्यादा सम्बन्ध रहे । कोई भी मुत्वल्ली हो, और किसी तरह का भी उस का प्रावीजन हो वक्फ का कि किस तरह से वह खर्च किया जायगा, किस काम में खर्च किया जायगा, जैसा कि ट्रस्ट ऐक्ट के अन्दर एक तरीका बतलाया गया है, लेकिन उस के अनुसार कार्यवाही होती है या नहीं, यह अधिकार अदालतों को ही प्राप्त होना चाहिये । जिस तरह से कि बोर्डस् वगैरह की बात इस में सुझाई गई है, मेरा ऐसा ख्याल है कि उस से आगे चल कर कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलेगा बल्कि अलहदा अलहदा काम्युनिटीज के उन की जात के बने हुए बोर्डस कायम होंगे ।

श्री रघुनाथ सिंह : (ज़िला बनारस—मध्य) : न्यायाधीश को अब भी अधिकार है ।

श्री राधे लाल व्यास : जज को राइट है, लेकिन साथ ही . . . . . .

श्री सैय्यद अहमद : यह बगैर पढ़े ही बोलने लगे ।

श्री राधेलाल व्यास : जी हां, आप ने पढ़ा है आप ने सुने बगैर ही कह दिया । मेरे पास निशान लगा हुआ है ।

एक माननीय सदस्य : पेज क्या है ?

श्री राधेलाल व्यास : पेज ४, सक्शन ८ ।

मेरा ऐसा ख्याल है कि जहां ऐसे वक्फ के सवाल हों वहां इस तरह के जातियों के आधार पर बोर्डस् बनें। यह कोई एक अच्छी प्रथा नहीं है । यह बात जरूर है कि पुराने जमाने में ऐसी प्रथा रही है। जितने हिन्दू वक्फ हैं उन में हिन्दुओं को ही उन्हों ने रखा है । लेकिन मैं यह भी कह सकता हूं कि अभी कुछ ऐसे भी वक्फ मिलेंगे कि जिस में हिन्दू वक्फ में मुसलमान भाई भी शामिल हैं। मैं आप को मिसाल के तौर पर कहता हूं कि मध्य भारत में यह चीज है । मध्य भारत सरकार की तरफ से जरूर इस बिल के पक्ष में राय आई है और मैं मध्य भारत का प्रतिनिधि हूं । लेकिन मैं अपनी निजी राय आप के सामने रखना चाहता हूं। ग्वालियर स्टेट में वक्फ का कानून था और वह कानून औकाफ जो था वह केवल हिन्दुओं से ही सम्बन्ध नहीं रखता था, बल्कि मुसलमानों के या और किसी के जितने भी औकाफ थे, चाहे मन्दिर हों, मस्जिद हों, गिरजा हों, हर एक धार्मिक स्थानों से बराबर उस का सम्बन्ध था । औकाफ कमेटी होती थी, उस में हिन्दू मुसलमान, सभी रहते थे। उस औकाफ कमेटी के सामने जब कभी भी दाखिल खारिज के मामले आते थे वह बराबर उन को तय करती थी । जिला औकाफ कमेटियां भी थीं । इनाम कमिश्नर वगैरह भी थे : वहां तक मामला जाता था। तो वक्फ दो तरह के हो सकते हैं, धार्मिक भी हो सकते हैं और दूसरे लोगों को मदद पहुंचाने के लिये उन की पढ़ाई लिखाई के इन्तजाम के लिये इस तरह के वक्फ भी हो सकते हैं ।

तो मैं चाहता तो यह हूं कि इस तरह की कमेटी बने, सारे देश में, कि जो सभी तरह के जितने भी वकफ हों, उन को एडमिनिस्टर करे। उन को देखे और उन की देख भाल करे उस का इन्तजाम करने के लिये समय समय पर उचित कार्यवाही करे, उस के नियम बनें । मैं इस के डिटेल में तो नहीं जाना चाहता। लेकिन जब कि हिन्दुस्तान में अब आजादी के बाद यह बात हो रही है तो जो पिछली चीजें हैं, जिन का जिक्र स्टेटमैंट आफ आब-जैक्ट्स एंड रीजन्स में है, कई तरह के वक्फ ऐक्ट में थे जो उस जमाने में बनाये गये थे जब हम आजाद नहीं थे लेकिन अब हमें मौजूदा स्थिति के अनुसार उन में अमेंड-मेंट करने की जरूरत है । मैं हाउस, से यह गुजारिश करूंगा कि आजादी के बाद में जब कि हम जातीयता के आधार पर कोई भी काम नहीं करना चाहते, बल्कि सब के लिये समान व्यवहार करना है दो जब कि सभी वक्फों की हालत खराब है तो एक ऐसा बिल गवर्नमेंट सामने लाये जो कि सभी की हालत को सुधारे । इस तरह छुटपुट एक एक करने में गवर्नमेंट का ही काम बढ़ेगा। वह मुसलमान भाइयों के लिये एक बोर्ड बनाये हिन्दुओं के लिये दूसरा बोर्ड बनायें और फिर सरकार सिक्खों के लिये एक अलग बोर्ड बनाये और ऐडमिनिस्ट्रेशन चलांये, तो इससे तो सारे देश भर में बहुत काम फैल जायेगा और मैं समझता हूं कि ऐसा करने में गवर्नमेंट का बहुत समय जाया होगा और साथ ही पैसा भी खर्च हागा अलग अलग बोर्ड कायम करने में, इसलिये मेरा यह नम्र सुझाव है, वैसे मैं मौजूदा बिल के उसूल के खिलाफ नहीं हूं, और मैं चाहता हूं कि इस के लिये वाकई कोई माकूल इन्तजाम होना चाहिये, क्योंकि हमारे देश का करोड़ों रुपया ऐसे कामों में

[श्री राधेलाल व्यास]

लगा हुआ है और लोग उस से बेजा फायदा उठाना चाहते हैं और उठा रहे हैं और पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, इसलिये गवर्नमेंट को जल्द से जल्द कोई ऐसा कानून सामने लाना चाहिये कि एक दम सारे देश भर में से वह इस बुराई को खत्म कर सकें, इस बेसिस पर और इस बिल के जो उसूल और प्रिंसिपिल हैं, उन के आधार पर मैं इसबिल का विरोध नहीं करना चाहता हूं ।

डा० सैय्यद महमूद (चम्पारन--पूर्व) : मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि ऐसे इन्नोसेंट बल के मुताल्लिक यहां पर इस कदर बहस मुबाहिसा हुआ । जहां तक मुतवल्लियों की राय का ताल्लुक है, वह तो इस के खिलाफ जायेगी ही क्योंकि यह तो उन के इस तरह लोगों का जो रुपया लगा हुआ है उस का नाजायज इस्तेमाल करने से रोकेगा, मुझे पूरा इल्म है कि मुतवल्लियों ने इसबिल के खिलाफ कितने तार भिजवाये, यह तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, वह लोग हजारों रुपया इस तरह के प्रोपगेंडा पर खर्च कर सकते हैं और हजार पांच सौ तार भिजवा दिये, लेकिन आप को समझना चाहिये कि यह तार और रिप्रेजेंटेशन सारे नहीं मुतवल्लियों द्वारा भिजवाये गये हैं और आप यह न समझ बैठें कि राय आम इस बिल के खिलाफ है । बाकी जहां तक कि अदालत के मुताल्लिक कहा गया है, तो मैं आप को बतलाऊं कि वहां पर यह होता है कि एक बड़ी जालसाज़ी होती है और एक आदमी किसी वक्फ पर मुकद्दमा लाता है, और कुछ दिन मुकदमा चलता है, उस के बाद वह मुतवल्ली उससे आपस में समझौता कर लेता है और बात मान लेता है, और लाख दो लाख रुपया या पचास हजार जितना भी रुपया तय हो जाता है, मुद्दई और मुद्दालय खा जाते हैं और कम्प्रोमाइज डिग्री पास हो जाती है । मुझे इस तरह के बिलों को पास कराने का काफी तजुर्बा है, हिन्दू चेरिटेबिल इंडाउमेंट ऐक्ट को पास कराया, रिलीजस इंडाउमेंट के मुताल्लिक दो वर्ष लग गये, सिक्खों और जैनियों ने बहुत मुखालफत की, जैनियों ने बहुत शदीद मुखालफत की, दोनों दिगम्बरों और श्वेताम्बरों के सम्प्रदायों ने मुखालफत की, सिक्खों ने भी मुखालफत की और उस के पास कराने में दो वर्ष लग गये और किसी तरह राजी नहीं होते थे कि हिन्दू रिलीजस इंडाउमेंट ऐक्ट में शामिल किये जायें । आज जो यह बिल पेश है, उस का मकसद सिर्फ इतना है कि जो रुपया जाया हो रहा है, उस की निगरानी की जा सके, मैं जानता हूं कि जब हिन्दू रिलीजस इंडाऊमेंट बिल वहां पास किया जारहा था तो इसी तरह जो रुपया ट्रस्टीज के द्वारा जो महन्त आदि होते थे, खर्च होता था, उन लोगों ने भी ऐसे बिल की सख्त मुखालफत की थी और पास न होने देने के लिये काफी रुपया खर्च किया, और कांग्रेस गवर्नमेंट ने बड़ी मुश्किल से इस को पास किया, इसलिये मेरा कहना है कि आज जब हम यह मुस्लिम वक्फ ऐक्ट पास करना चाहते हैं तो मुतवल्लियों की तरफ से यह तार और मुखालफत कुदरती है क्योंकि वह जो रुपया जाया कर रहे हैं, उस पर सरकार रोक लगाने जा रही है, इसलिये मेरा तो कहना यह है कि इस को मेहरबानी कर के सिलैक्ट कमेटी में जाने दीजिये ताकि यह जल्दी पास हो और जिस से आज जो इतना रुपया वक्फ का जाया हो रहा है वह बचाया जा सके, जो लोग इस के बदले दूसरा बिल लाने की सोच रहे हैं उन से मैं कहना चाहूंगा कि इस को सेलेक्ट कमेटी में जाने दीजिये, क्योंकि काफी देर हो चुकी है, और इस को पास कराने में देर न होनी चाहिये, एक साल से यह बिल पेश है और इस में कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे वाकई कोई भी खिलाफ हो, हां वेस्टेड इंटरेस्ट

वालों की मुखालफत और परेशानी तो समझ में आने वाली चीज है। अलबत्ता जब यह बिल सिलेक्ट कमेटी को जा रहा है तो वहां हम सब मिल कर इस पर खूब सोच विचार करेंगे और इस को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, मुझे उम्मीद है कि हाउस इस मामूली और इन्नोसेंट चीज पर और ज्यादा मजीद बहस न कर के इस को सेलेक्ट कमेटी में भेजने की सिफारिश करेगी, वहां से लौटने के बाद हाउस को फिर इस पर गौर करने का मौका होगा। लेकिन इस वक्त इस को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय और मुझे उम्मीद है कि हाउस को इस में कोई उज्र नहीं होगा।

श्री टंडन (जिला इलाहाबाद–पश्चिम): अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल पर अधिकार के साथ तो कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो बातें मैं ने अभी सुनी उन के आधार पर मुझे कोई ऐसी बात नहीं लगती जिस से इस बिल के सेलेक्ट कमेटी में जाने में हम बाधक बनें। यह ठीक है, और मैं भी इस का स्वागत करूंगा कि एक ऐसा बिल आवे जो कि देश भर के सब दानों के लिये लागू हो, लेकिन मैं अपने दोस्त डाक्टर महमूद से सहमत हूं कि मुमकिन है कि इस तरह का बिल आने में बहुत वर्ष लगें। मुझ को भी अपने सूबे में कुछ तजुर्बा है कि वहां इस बात की कोशिश हुई कि धर्मादि और मठों आदि के पास जो सम्पत्ति है उस का ठीक ठीक उपयोग किया जाय। परन्तु हमारे रास्ते में बहुत कठिनाई आई। अगर हमारे मुसलमान भाइयों ने अपने वक्फों को ठीक इन्तजाम कराने के लिये एक रास्ता सोचा है, तो महज इस वजह से कि वह सिर्फ मुसलमानों के लिये है और उस में सब शामिल नहीं हो सकते हम उस में रुकावट डालें यह बात मुझ को बिल्कुल गलत मालूम होती है। आखिर मजहबी रास्ते पर काम पुराने समय से है, वह बहुत जल्दी तो नहीं बदल जायेंगे हिन्दुओं के लिये भी तो आप उन के ब्याह शादी के मुताल्लिक एक-अलग कानून बनाने का यत्न कर रहे हैं। वह बिल हिन्दू नाम से आ रहा है कुछ हिन्दू शादयों के लिये एक कानून की जरूरत पड़ जाती है; वैसे मैं करूंगा कि जहां तक हो सके अलग अलग मजहबों के ऊपर हमारे कानून न बनें, लेकिन वह चीज एक बारगी तो हो नहीं जायेगी। मुस्लिम वक्फ बहुत पुराने वक्त से चले आ रहे हैं और यह भी मुझ को अन्दाजा हो रहा है कि मुतवल्ली लोग उन का ठीक इन्तजाम नहीं कर रहे हैं और उन का विरोध इस बिल के बारे में ठीक उसी प्रकार से है जैसे हमारे कुछ महन्तों ने हिन्दू धर्मादि और मठ सम्बन्धी प्रस्तावित कानून का विरोध किया था। इस बिल के पास होने से यह होगा कि वह पैसा जो अब तक मुतवल्लियों द्वारा बेजा तौर से खर्च होता है वह पैसा अब गरीब भाइयों के काम में आयेगा। इस लिये मुझे तो कोई ऐसी वजह नहीं मालूम होती कि हम महज इस बिना पर कि यह सिर्फ मुस्लिम वक्फ के लिये है; विरोध करें। जब एक मिली जूली चीज हमारे सामने आयेगी तब हम उस का स्वागत करेंगे।

अभी मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने फरमाया था कि यह चीज कोई रुकावट नहीं डालेगी। मुझको भी कोई बुरी बात इस में समझ नहीं पड़ती यह भी सदा कहा जा सकता है कि जरूरत होने पर यह कानून समाप्त किया जाय। हमारे एक भाई ने कहा कि बम्बई में कोई इस तरह का कानून है जो हिन्दू मुसलमान दोनों पर लागू होता है और शायद उस पर इस का असर अच्छा न पड़े। अगर ऐसी शंका हो भी तो सेलेक्ट कमेटी में इस पर गौर कर लिया जायेगा। मगर हम इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में न जाने दें यह बात

[श्री टंडन]

मुझ को सही नहीं मालूम होती । मैं इस बिल को यह सहारा देना चाहता हूं कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी के हवाले किया जाये और वहां पर इस में जो परिवर्तन जरूरी समझे जायें किये जायें ।

श्री पाटस्कर (जलगांव) : यह विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाये इस का मैं विरोध नहीं करता । सन् १९४८ के आस पास बम्बई राज्य में एक समिति की नियुक्ति हुई थी जिस के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के एक ख्याति प्राप्त न्यायाधीश थे । इस समिति ने सभी धर्मों के ट्रस्टों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी इस समिति ने विस्तृत विवरण दिया और उस विवरण के आधार पर बम्बई जन न्यास अधिनियम (१९५० का २९ वां) पास हुआ । मैं उस समय वहां की विधान सभा का सदस्य था । मैं कह सकता हूं कि उस अधिनियम की धारा २ खंड १३ सभी धर्म वालों के लिये लागू है । यही नहीं अपितु पूर्त आयुक्त भी नियुक्त किये गये थे ।

चूंकि विधान द्वारा सब के लिये एक समानता निर्दिष्ट कर दी गई थी अतएव पूर्व प्रचलित मुस्लिम वक्फ अधिनियम समाप्त हो गया । कुछ लोगों ने यह कहते हुए कि यह अधिनियम हमारे मूल अधिकारों में बाधक है कह कर उच्च न्यायालय में अपील की किन्तु उच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया ।

अतएव मैं यह नहीं सोचता कि अब इस बात की आवश्यकता रह जाती है कि समस्त देश के लिये एक ऐसा विधान बनाया जाय । इस के बनाने में कुछ समय लगेगा । किन्तु जहां तक बम्बई का सम्बन्ध है मैं कह सकता हूं कि वहां तो विधान है । उस विधान के अनुसार सभी कार्य बड़ी अच्छी तरह चल रहे हैं । वहां इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं है । अतएव मेरा यह सुझाव है कि बम्बई प्रान्त में यह अधिनियम किसी भी प्रकार से लागू नहीं होना चाहिये । क्योंकि वहां के प्रचलित राज्य विधान को यह केन्द्रीय विधान अतिष्ठित कर देगा और व्यर्थ में ही अनावश्यक विवाद उठ खड़ा होगा अतएव मैं प्रस्तावकर्ता एवं प्रवर समिति के सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे इस बात का प्रयत्न करें कि विधेयक किसी भी रूप में बम्बई प्रान्त में लागू न हो । क्योंकि वहां का विधान सुचारु पूर्वक कार्य कर रहा है ।

वहां की वैधानिक स्थिति ऐसी है वहां की सरकार ने अपना मत भेजते हुए हमें लिखा है कि :—

बम्बई उच्च न्यायालय ने बम्बई जन न्यास अधिनियम को समष्टि रूप से स्वीकार कर लिया है, अतएव यह स्पष्ट है कि संविधान द्वारा रक्षित स्वतंत्रता की रक्षा इस अधिनियम द्वारा पूर्ण रूप से होती है । इस के अतिरिक्त सन् १९५० के बम्बई जन न्यास अधिनियम में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि पूर्त आयुक्त द्वारा पूर्त संस्थाओं का शासन एवं प्रबन्ध उसी प्रकार हो जिस प्रकार कि उस संस्था के धर्मावलम्बी चाहते हैं । उन्हों ने सभी आवश्यक उपायों का प्रयोग किया है । बम्बई सरकार ने इस के लिये एक बड़ी शक्तिशाली समिति बनाई है और इस पर काफी धन का भी व्यय किया है । विवरण छप चुका है । विधेयक स्वीकृत हो चुका है और यह हमारे संविधान के सिद्धान्त के अनुसार है, इस के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है, बड़े अच्छे ढंग से काम चल रहा है, अतएव मैं समझता हूं कि अब उस विधेयक को किसी अन्य विधेयक द्वारा गड़बड़ नहीं करना चाहिये ।

अतएव मैं यह नहीं समझता कि बम्बई उस प्रचलित विधान को, यदि यह संसद् नया विधेयक पास कर के बदले तो यह इस के लिये समझदारी की बात होगी । इसलिये यह स्वाभाविक है कि यदि प्रवर समिति अथवा संसद् कोई विधेयक पास करती है तो बम्बई राज्य को इस से मुक्त ही रखा जाये ।

श्री रघुनाथ सिंह : सभापति जी जो कुछ हमारे राजर्षि जी ने कहा है मैं उस का हृदय से समर्थन करता हूं । हमें उसूल को देखना है । जैसा कि हमारे व्यास जी ने कहा इस में जाति की कोई बात नहीं है । उन को यह समझना चाहिये कि जाति और धर्म मे फर्क है । हिन्दू धर्म मे भी भिन्न भिन्न जातियां हैं : धर्म एक मौलिक चीज है । जब हम इस देश में रहते हैं तो यहां तो हिन्दू भी हैं, ईसाई भी हैं और मुसलमान भी हैं और दूसरी जातियों के लोग भी हैं । हम को हर धर्म के लोगों को यह अधिकार देना चाहिये कि वह अपनी धार्मिक वस्तुओं का प्रबन्ध कर सकें । आप काशी में चलिये, गाजीपुर में चलिये बलिया मे चलिये मैं आप को दिखाऊंगा कि वहां बड़ी बड़ी इमारत खड़ी हैं, लाख लाख रुपये की एक एक इमारत खड़ी है लेकिन उन का कोई प्रबन्ध नहीं है । लोग उन के ईंट पत्थर को उठा कर ले जाते हैं । इस वास्ते हम को कुछ न कुछ इस तरह का यूनीफार्म ला सारे हिन्दुस्तान के लिये बनाना चाहिये ताकि इन इमारतों का प्रबन्ध हो सके । कहा गया है कि कई एक स्टेटों में इस प्रकार के कानून हैं । अगर कई स्टेटों में इस प्रकार के कानून हैं तो फिर इस में क्या हर्ज है कि एक केन्द्रीय नियम सारे हिन्दुस्तान के वास्ते बन जाय कि जहां तक वक्फों का सवाल है युनीफारमिटी हो जाय । इस वास्ते मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और केवल इस बात पर नहीं कि इस से जातिवाद को किसी प्रकार का प्रोत्साहन मिलेगा । अगर हमारे किसी हिन्दू भाई के दिल में इस तरह का सन्देह हो तो वह इस को निकाल दें । मैं एक उदाहरण दूं । मैं खुद चाहता हूं कि काशी के लिये ऐसा बिल हो । काशी विश्वनाथ जी का जो मन्दिर है उस की बनावाने वाली अहिल्या बाई थीं । अब वह मन्दिर उन के या उन के खानदान वालों के हाथ में है और न किसी खास आदमी के हाथ में है । वहां दो सौ बरस से लिटीगेशन होता आ रहा है और जो आमदनी आती है उसे सब लोग खा जाते हैं । इसी प्रकार से काशी विश्वनाथ के मन्दिर में एक ज्ञानवापी की मास्क हैं । वह बहुत पुराने मास्क हैं लेकिन उस का इन्तजाम कोई नहीं करता । लेकिन जिस मसजिद में चार पैसे की आमदनी हो जाती है उस के वास्ते हर तरह के लोग तैयार हो जाते हैं । इस लिये अगर कोई इस प्रकार का सेंट्रल ला बन जाये तो इस से हिन्दुस्तान का बहुत उपकार होगा ।

दूसरे हमारे भाई व्यास जी ने सैक्शन ८ का हवाला दिया । जो लोग वकालत करते हैं, और हम भी करते हैं, वह जानते हैं कि आजकल अदालतों में मसजिदों और मठों के बहुत मुकदमे चलते हैं । खास कर जब से यू० पी० में जमींदारी एबोलिशन कानून बन गया है तब से सिविल कोर्टस् में मठों और मास्कों के बहुत ही ज्यादा मुकदमे चलने लगे हैं । इस से बहुत परेशानी हो रही है । इसलिये इसी तरह का कोई न कोई बिल हिन्दुओं के लिये भी होना चाहिये । इस में धर्म का कोई प्रश्न नहीं है । जिस की जो चीज अच्छी हो उस को मान लेना चाहिये खास कर के जब व्यास जी को और पाटस्कर जी को यह मंजूर है कि कानून होना चाहिये । ऐसी हालत में इस को सिलेक्ट कमेटी में जाने दें और उस के सम्बन्ध में उन के सुझाव हों, उन को वह उस के पास भेज दें । उस में अमेंडमेंट हो जायगा । व्यास जी ने जब

[श्री रघुनाथ सिंह]

के अधिकार के बारे में कहा । इस बिल में भी जज के अधिकार महफूज़ हैं । इस वास्ते महफूज हैं कि अगर कोई मुतवल्ली चार पैसे की भी चोरी करता है तो यह मामला अदालत में ले जाया जा सकता है । आज हम क्या कर सकते हैं । आज कुछ भी नहीं कर सकते इस वास्ते हमारी प्रार्थना है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में जानें दें और जो कुछ सुझाव उस पर हों उन को आप सिलैक्ट कमेटी के पास भेज दें खास कर ऐसी अवस्था में जब कि इस बिल को लाने वाले मेम्बर भी इस को मंजूर करते हैं, पाटस्कर जी भी मानते हैं और व्यास जी भी मानते हैं । इस वास्ते मेरी प्रार्थना है कि इस को सिलेक्ट कमेटी में जाने दें और जिस वक्त यह हाउस में आवेगा तो जो संशोधन करना होगा कर दिया जायेगा ।

लाला अचिंत राम (हिसार): मुहतरिम सदर जी, मैं एक बात दरयाफ्त करना चाहता हूं कि सिलेक्ट कमेटी के अन्दर यह मामला जायगा उस वक्त अगर कोई साहब यह संशोधन पेश करना चाहें कि जो बम्बई का ऐक्ट है उसी को ऐक्सटेंड कर दिया जाय तो क्या वह ऐसा कर सकेंगे । यह कह कर तो उस को नामंजूर नहीं कर दिया जायगा कि वह तो मुस्लिम वक्फ की चीज है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर सिलेक्ट कमेटी में कोई यह तजवीज करना चाहे कि जो बम्बई का एक्ट है उसी को एक्सटेंड कर दिया जाय तो उस पर कोई ऐतराज तो नहीं होगा ।

श्री रघुनाथ सिंह : यह कैसे हो सकता है ।

श्री बिस्वास : यह नहीं किया जा सकता ।

श्री काजमी : बम्बई के ऐक्ट के एक्सटेंशन का सवाल होगा तो उस के लिये तो दूसरा लेजिस्लेशन आप को लाना पड़ेगा । बम्बई का एक्ट इस बिल की मार्फत तो नहीं ला सकते हैं ।

मुझे खेद है कि मैं ने माननीय विधि मंत्री को यह बताया कि बहुमत इस के पक्ष में है । प्राप्त मतों का मैं ने अध्ययन किया है और उन को समझने का प्रयत्न किया है । मूल सिद्धान्त तो यह है कि इन वक्फों की देख भाल के लिये कोई समिति अवश्य होनी चाहिये । यह नियम सब ने मान लिया है मेरे मित्र ने कहा है कि उत्तर प्रदेश इस के विरोध में है किन्तु जहां तक व्यक्तिगत राय का सम्बन्ध है वहां तक मैं कह सकता हूं कि सभी इस के पक्ष में हैं । वहां की सरकार का कहना है कि केन्द्रीय मंडल बन जाने से खर्चा दुगना हो जायेगा संभवतः उन्हों ने अध्याय ३ के अनुसार दी जाने वाली सुविधाओं का पूरा अध्ययन नहीं किया है । वह केन्द्रीय मंडल तो केवल एक सलाहकार समिति है जिस से राज्य मंडल समय समय पर परामर्श ले सके । प्रवर समिति की इच्छा है चाहे इसे स्वीकार करे अथवा अस्वीकृत । बंगाल व बिहार इस विधेयक से संन्तुष्ट हैं । किन्तु सभी लोगों ने इस को स्वीकार किया है कि वक्फों की देख भाल अवश्य होनी चाहिये । हम भी यह कहते हैं कि यदि आप अपने विधानों से सन्तुष्ट हैं तो हम आप को व्यर्थ में ही परेशान करना नहीं चाहते । यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक प्रांत इस को अपनाये । प्रत्येक मनुष्य इस बात को मानता है कि विधान की आवश्यकता है । किन्तु कठिनाई यह है कि जब हम विधान बनाने बैठते हैं तो वे उस का विरोध करना प्रारम्भ कर देते हैं । मद्रास में कई बार प्रयत्न किया गया कि वक्फ अधिनियम पास हो जाये किन्तु मुतवल्लियों

के विरोध के कारण पास न हो सका। जब हम इस बात को मानते हैं कि मुतवल्लियों के कार्य की देख भाल हो तो फिर विरोध किस बात का रह जाता है। यह विधेयक सरकार ने प्रस्तुत किया है अथवा गैर सरकारी सदस्य ने इस का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वास्तव में चार राज्यों की सहमति हमें प्राप्त है और पांचवा राज्य बम्बई है। प्रवर समिति में भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्ति हैं वे मिल कर किसी न किसी निष्कर्ष पर अवश्य ही आयेंगे।

इस विधेयक की एक प्रतिलिपि विधि मंत्रालय को मैं ने भेजी थी जिस पर वहां से कुछ सुझाव मिले उन को इस में सम्मिलित कर लिया गया है। विधि मंत्री प्रवर समिति की अध्यक्षता करेंगे और साथ ही साथ समिति को सलाह भी देंगे। प्रवर समिति का निर्णय संसद् के सम्मुख आयेगा। मैं तो केवल इतना चाहता हूं कि इन वक्फों की देख भाल के लिये एक समिति अवश्य हो : हम इस पर विचार करेंगे देखते हैं कि यह काम चलाऊ योजना नहीं है तो छोड़ देंगे, अन्यथा कार्य चालू रखेंगे। मुझे तो यही निवेदन करना था।

सभापति प्रस्ताव यह है :

मैं निवेदन करता हूं कि भारतवर्ष में मुस्लिम वक्फ के सुशासन एवं अच्छे प्रबन्ध तथा मुतवल्लियों द्वारा की जाने वाली देखभाल और उन के प्रबन्ध के लिये विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाय जिस के सदस्य निम्न हों :—

डा० सैय्यद महमूद, श्री एम० हिफजुर रहमान, श्री अहमद मुहिउद्दीन, श्री गुरमुख सिंह मुसाफिर, पं० कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री हीरा वल्लभ त्रिपाठी, मौलना मोहम्मद सईद मसूदी, कर्नल बी० एच० जैदी, श्री मोहन लाल सक्सेना, चौधरी हैदर हुसैन, श्री अमजद अली श्री सईद अहमद, डा० एन० एम० जयसूर्य, श्रीमती सुभद्रा जोशी, श्री सी० सी० बिस्वास, श्री एस० वी० एल० नरसिंहम, श्री आत्मासिंह नामधारी, श्री प्यारे लाल कुरील तालिब, और श्री काज़मी।

एवं इन को आदेश दिया जाय कि ये अपना विवरण आगामी अधिवेशन के दूसरे सप्ताह के अन्तिम दिन तक दे दें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनाथालय विधेयक

श्री एम० एल० द्विवेदी (ज़िला हमीरपुर) : सभापति महोदय, मैं सदन के सम्मुख एक ऐसा बिल विचार करने के लिये रख रहा हूं जिस के द्वारा इस बात का इन्तजाम किया जायगा कि वे बच्चे जिन के माता पिता स्वर्गवास कर गये हैं तथा जिनकी देख भाल करने के लिये संसार में कोई उचित व्यक्ति नहीं है उन का इन्तजाम सरकार की तरफ से किया जाय। सदन को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि संसार में जितने देश हैं और जो सभ्य हैं, हर जगह ऐसे कानून बन चुके हैं, जहां पर इस किस्म के बच्चों की तालीम शिक्षा तथा भरण पोषण के लिये इन्तजाम किया गया है। इंगलैंड में, अमेरीका में और बड़े बड़े मुल्कों में इस तरह के कानून मौजूद हैं जिनकी प्रतियां कुछ मेरे पास मौजूद हैं। जब तक हमारे देश का शासन अंग्रेज़ों के हाथ में था वह यह हालत गवारा कर सकते थे कि इस देश के बच्चे उपेक्षित रहें, क्योंकि इस देश के बच्चे की जागृति में और उन का उचित प्रबन्ध करने में उन को कोई विशेष दिलचस्पी नहीं हो सकती थी। ऐसा उन के लिये तो माना जा सकता है। लेकिन जब से हमारा देश स्वतंत्र हो गया है, हम ने एक नया विधान बना लिया है, तो इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि हमारे देश के ऐसे बच्चे जो कि बिल्कुल अनाथ हैं, जिन के भरण-पोषण का कोई उचित

[श्री एम० एल० द्विवेदी]

प्रबन्ध नहीं है उन का उचित प्रबन्ध किया जाय और उचित व्यवस्था की जाये । मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि आम तौर से देखा जाता है कि जितने यतीमखाने हैं और उसी तरह जितने अनाथालय हैं वह कुछ निजी लोगों के हाथ में हैं । वहां हालत यह है कि अनाथों के नाम पर एक किस्म का रोजगार चलाया जाता है, बाकयदा एक किस्म का व्यापार है । छोटे छोटे बच्चों को या तो बैंड बजाना सिखाया जाता है, या तरह तरह के गाने सिखाये जाते हैं । वह बाजारों में, ट्रेनों में, पलेटफार्मों में, अनेक पबलिक स्थानों में गाना गा गा कर पैसे मांगते हैं । उन से जो पैसे आते हैं या धन आता है वह यह नहीं कि इन अनाथों के फायदे के लिये खर्च किया जाय, कुछ खर्च होता है, लेकिन ज्यादातर देखने में यह आया है कि ऐसा जो भी रुपया आता है वह उन के मुन्तजिम या प्रबन्धक लोग खा जाते हैं और उन बच्चों का फायदा नहीं होता । आप सोच सकते हैं कि यह कोई शोभा की बात नहीं है, हमारे देश के लिये लज्जा की बात है कि हमारे नौ निर्हाल बालक, जो होनहार बन सकते हैं, उन की ऐसी दशा हो ।

इस वास्ते केवल अनाथालय और यतीमखोनों की बात हीं नहीं है कि जिस के लिये यह व्यवस्था करने की बात मैं ने कही है, इस सम्बन्ध में और भी बातें हैं, मैं ने कई जगहों पर इस सम्बन्ध में पता लगाया एक मर्तबा मैं तिरुपती बाला जी गया था, जो कि हमारे उपाध्यक्ष महोदय का रहने का स्थान है । वहां पर मैं ने देखा कि हजारों की तादाद में बच्चे हैं कि जो भीख मांगने की वृत्ति अपनाये हुए हैं । मैं ने देखा कि वह बनावट करते हैं, झूठी बातें करते हैं नक़ली हाथ बनाते हैं, टूटे हाथ होते हैं और चमड़े के हाथ बना लेते हैं और कहते हैं कि हमारा हाथ टूट गया, पैर टूट गया, और भिक्षा वृत्ति करते हैं । मैं ने ऐसे बच्चों से पूछा कि ऐसा क्यों करते हो तो उन्हों ने कहा कि हम इस तरह करते और कहते हैं कि हम अन्धे हैं, हाथ पैर टूट गये हैं तो भिक्षा मिल जाती है ।

एक माननीय सदस्य : बहुत से पेशेवर हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : यहां पर मैं पेशेवरों की बात नहीं करता । मैं ऐसे अनाथ बच्चों की बात करता हूं जिन्हों ने खुद मुझे बतलाया कि साहब हमारे माता पिता नहीं हैं, हमारे भरण पोषण का कोई इन्तजाम नहीं है, इसलिये हम संसार में कोई न कोई तरीका भीख मांगने का अख्तियार करते हैं । इस तरीके से हमें लोग भीख दे देते हैं और और तरीकों से हमें भीख नहीं मिलती । ऐसी बातें देखने में आईं । इस सदन के बहुत से सदस्यों ने मुझे बतलाया है कि यहां दिल्ली में छोटी छोटी बच्चियां पकड़ी जाती हैं, और उन के जरिये से ब्राथल्स खोले जाते हैं और ऐसी गलत तरीके की बातें होती हैं । इस में जिन साहबान को शक हो, वे स्वयं इस बात को जा कर देख सकते हैं । अभी हाल ही में पुलिस ने कुछ ऐसी लड़कियां पकड़ीं हैं, जिन की इत्तिला अखबार में निकली है ।

इसी तरह से लड़कों के साथ में भी अनर्थ होता है । वे पकड़ लिये जाते हैं और बोरों में बन्द कर दिये जाते हैं । सालों तक इस तरह रखे जाते हैं कि जिस से उन के हाथ पैर सिकुड़ जायें । उन को अंग भंग भी कर देते हैं, किसी विशेष अंग को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, ताकि वे आइन्दा जीवन में सिर्फ उन्हीं के आश्रित रह सकें

कि जिन्हों ने उन को इस प्रकार रखा है और बनाया है। वह इस प्रकार उन के द्वारा व्यापार चलाते हैं, रोजगार चलाते हैं। इस प्रकार से वह भीख मांगते हैं जिस से कि लोगों को उन पर रहम आ जाये। और उस भीख से उन्हीं का ज्यादा लाभ होता है कि जिन्हों ने ऐसा जुल्म उन के साथ किया है, इस किस्म का अत्याचार उन के साथ किया है। वे ही इस से फायदा उठाते हैं। तो इस तरह की चीजें हमारे देश में चल रही हैं।

यही नहीं अनेकों जगहों में देखने में आया है कि जहां अनाथालय सच्चे तरीके से भी चल रहे हैं ईमानदार आदमी हैं, परन्तु उन की पूछ दुनिया में बहुत कम होती है आज कल तो तड़क भड़क की दुनिया है, अगर झूठी बात कह दें तो दया उत्पन्न होगी और भीख मिल जायेगी। लेकिन जहां पर लोग सच्चे होते हैं, सचमुच मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं और बच्चों का भरण भोषण करना चाहते हैं उन को भीख देने के लिये रहम नहीं आता। मैं ने ऐसे लोगों को भी देखा है कि जो सच्चे प्रबन्धक हैं, जो वास्तव में बच्चों के भरण पोषण के कार्य को महसूस करते हैं: लेकिन उन को रुपया नहीं मिलता। ऐसा ही एक स्थान महोबा में है कि जहां पर श्री रामाधार जी कार्य करते हैं। उन की उम्र ८३ वर्ष की है। वह महात्मा गान्धी के साथ रह चुके हैं। उन के अनाथालय में २५-३० बालक हैं। वह ८३ वर्ष का बूढ़ा दरवाजे दरवाजे भीख मांगता है लेकिन उन बच्चों के भरण पोषण के लिये वह सच्चाई से इन्तज़ाम नहीं कर पाता, आप ही बतलाइये, कि एक अनाथालय जो गान्धी जी के नाम पर चल रहा हो उस के लिये पैसा न मिले। ऐसे ही और भी अनाथालय हैं, जहां हमारे देश के बालक हमारे देश के भावी नागरिक बनने वालों का उचित प्रबन्ध नहीं हो पाता। इस सब की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। जिन के मां बाप मौजूद हैं उन का ध्यान तो उन को रहता ही है और उन का इन्तजाम होता ही है। लेकिन जिन के मां बाप संसार में नहीं हैं और जिन की मां बाप सरकार ही है, तथा जिन की देख-भाल करने के लिये कोई और नहीं है, इन का उचित प्रबन्ध नहीं हो पाता है तो इस में दोष किस का है ?

इस में दोष तो हमारा है, इसलिये आवश्यकता यह है कि हम को ऐसे कानून पास करना चाहिये। यह मेरा जो बिल है यह बहुत साधारण बिल है और मैं समझता हूं कि इस बिल को पास कर के हम देश का बड़ा हित करेंगे। बिल को उद्देश्य ऐसे नौनिहालों को बचाना है जो कि गलत रास्ते पर चले जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं या वह किसी किस्म के दुराचारों में फंस जाते हैं या वह चोर या बदमाश बन जाते हैं। असल में अगर हमें इस देश के जुल्म को बन्द करना है और देश में हो रहे बुरे कामों को बन्द करना है तो हमें यह देखना चाहिये कि सब से पहला कानून जो होना चाहिये वह बच्चों के सुधार के लिये होना चाहिये, क्यों कि जब तक किसी मकान की नींव मजबूत नहीं होती है तब तक वह मकान अच्छा और मजबूत नहीं बन सकता है, इसी तरह जिस मुल्क की नींव कमजोर होगी वह मुल्क लड़ खड़ा कर गिर जायेगा। हम देखते हैं कि हमारे देश में बहुत से कानून बनाये जाते हैं और उन के बनाने में लोग बड़ी २ लम्बी बहसें करते हैं, लेकिन मैं ने अभी तक ऐसा नहीं देखा कि सदन के अन्दर बच्चों की तालीम व सुधार के बारे में कोई उचित कानून कभी पेश किया गया हो और यह बड़े सन्तोष की बात है कि मुझे ऐसे बिल को पेश करने का यहां पर सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इस बिल पर विचार होना जरूरी है, लेकिन मैं ने यह भी देखा कि यह जो विधान

[श्री एम० एल० द्विवेदी]

है, तो विधान के निर्माताओं ने बड़ी होशियारी के साथ विधान तैयार किया है और उस में दो धारायें ऐसी हैं कि जिन में बच्चों का कुछ ज़िक्र आता है । एक धारा २४ है जिस में लिखा है :

१४ वर्ष की अवस्था से कम उम्र वाला व्यक्ति किसी कारखाने, खदान, अथवा अन्य किसी दूसरे काम में नौकर नहीं कर रखा जायेगा

प्रांत १४ वर्ष की अवस्था तक निःशुल्क शिक्षा देगी । यह शिक्षा अनिवार्य होगी : तो यह दो धारायें हमारे संविधान में मिलती हैं लेकिन इस विधान के अन्दर इस बात का कहीं उल्लेख नहीं मिलता कि ऐसे चौदह वर्ष के बालक जिन के माता पिता नहीं हैं और जिनका कोई प्रबन्ध करने वाला नहीं है और जिन की जीविका का कोई साधन नहीं है, कोई काम उन को नहीं मिलता तो वह क्या करें, सिवाय इस के कि बरबाद हो जायें या बुरे काम में लग जायें या और तरीके अख्तियार करें और यह संयोग की ही बात है कि हमारे विधान निर्माताओं ने ऐसे असमर्थ अन्धे व लूले नागरिकों के प्रबन्ध की बात नहीं सोची, इसलिये आज सब से ज़्यादा जरूरी है कि हम इस बिल को गौर कर के पास करें । यह बिल पास किया जाना बहुत आवश्यक है, ताकि हम उस के द्वारा अपने उन अभागे नौनिहालों का भला कर सकें और इस प्रजातन्त्र की इमारत को मजबूत बना सकें नींव को और मजबूत कर सकें और अपने देश को उन्नति के पथ पर अग्रसर कर सकें । इसलिये यह आवश्यक है यक हम दूसरे देशों के कानूनों को पढ़ें और उन की रोशनों में अपने देश की समस्याओं पर विचार करें और देश की समस्याओं पर ध्यान करते हुए ऐसा कानून बना कर पास करें जिस से उन बच्चों की हालत दुरुस्त हो जाये ।

सभापति महोदय, मैं अभी तक आप का ध्यान इन अनाथ बच्चों की दशा की ओर आकर्षित कर रहा था जो कि हमारे देश में विद्यमान है । मैं आप का और सदन का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि यह जो अनाथ बच्चे हमारे देश में हैं इन की दिक्कतें आज इतनी विशाल हो गई हैं कि अगर हम उन के सुधार करने में और देर लगायेंगे तो दशा बिगड़ती जायेगी । मैं ने अंग्रेज़ी कानून को देखा । उस में लिखा है कि जिन बच्चों की उम्र १६ वर्ष से कम है उन की देख भाल के लिये सरकार एक लोकल अथारिटी को नियुक्त करती है और लोकल अथारिटी उन बच्चों का चार्ज ले लेती है और जो बच्चे लोकल अथारटी के पास नहीं रहते हैं उन को मिनिस्टर आफ पेंशन्स के पास भेजा जाता है इसलिये मैं समझता हूं कि इस प्रकार के कानून की हमारे देश में भी बहुत आवश्यकता है और इस को पास करने में बहुत वक्त नहीं लगना चाहिये और जल्द से जल्द इस को सदन को पास कर देना चाहिये । विधेयक विचार और पारित होने के लिये प्रस्तुत है ।

सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

"मैं सदन के सम्मुख एक ऐसा बिल विचार करने के लिये रख रहा हूं ज़िस के द्वारा इस बात का इन्तजाम किया जायगा कि वे बच्चे जिन के माता पिता स्वर्गवास कर गये हैं तथा जिन की देख भाल करने के लिये संसार में कोई उचित व्यक्ति नहीं है उन का इन्तजाम सरकार की ओर से किया जायेगा । "

श्री रघुवीर सहाय (जिला एटा—उत्तर पूर्व व जिला बदायूं—पूर्व) : जो बिल अभी मेरे मित्र द्विवेदी जी ने इस भवन के सामने उपस्थिति किया है, उस के उद्देश्य से मैं पूरी पूरी अपनी सहमति प्रकट करता हूं । इस बिल के जरिय

वह बच्चे जिन के माता पिता नहीं हैं और जिन की तालीम का कोई प्रबन्ध नहीं हो सकता और जिन की जीविका का भी कोई प्रबन्ध नहीं है उन की निगरानी और रक्षा करने का कार्य वहां के राज्य को अपने हाथ में लेना चाहिये, इस उद्देश्य से मैं बिल्कुल सहमत हूं । मैं यह भी मानता हूं कि आज जो हमारे यहां अनाथालय और यतीमखाने हैं वह उन लोगों के हाथ में हैं जिन को उन्हें चलाने का कोई शऊर नहीं ह । ऐसी बहुत कम मिसालें हमारे मुल्क में हैं कि जहां पर यतीमखाने या अनाथालय गवर्नमेंट की ओर से चलाये जाते हैं । मेरे इल्म में सिर्फ एक ऐसी मिलसाल बम्बई में चैमूर कैम्प की जरूर है जो कि गवर्नमेंट की ओर से चलाया जा रहा है । अभी द्विवेदी जी ने उन यतीमखानों और अनाथालयों की हालत के बारे में बतलाया उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं और यह वाकया है कि वह अच्छी तरह नहीं चलाये जाते । यू० पी० गवर्नमेंट ने दो, तीन साल हुए एक आरफनेज और बिडो होम कमेटी बनाई थी, श्री टंडन जी, जो इस समय भवन में मौजूद हैं, वह उस जमाने में यू० पी० असेम्बली के स्पीकर थे, और उन्हीं की मौजूदगी में ऐसी कमेटी बनाई गई थी और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था उस कमेटी के मेम्बर होने का और कमेटी के एक मैम्बरकी हैसियत से मुझे कई प्रान्तों में जान का इत्तिफाक हुआ । मैं अपने तजुर्बे के बिना पर यह बात कह सकता हूं कि हमारे यू० पी० में बहुत ही कम इने गिने ऐसे अनाथालय और यतीमखाने हैं जिन की हालत ठीक बताई जा सकती है, बाकी ज्यादातर हालत बहुत ही खराब है और वह महज उन लोगों के फायदे के लिये चलाये जाते हैं जो कि अपने को उन संस्थाओं का मैनेजर या प्रबन्ध कर्त्ता कहते है । उन के सामने कोई उद्देश्य उन बच्चों को दुरुस्त करने का नहीं है, उन के सामने कोई भी प्लान उन यतीमखानों और अनाथालयों को ठीक से चलाने का नहीं है । जिस तरीके पर यह बिल लाया गया है उस के जरिये से यह मांग कीं गई है कि सरकार अपने हाथ में सभी अनाथालय और यतीमखाने जो आज चल रहे हैं उन का प्रबन्ध ले ले मुझे इस में बहुत दिक्कत और परेशानी मालूम पड़ती है ।

आज गालिबन इस सेंटर की गवर्नमेंट के सामने भी ऐसे आंकड़े मौजूद नहीं होंगे न मैं समझता हूं कि जिस वक्त कि यू० पी० की कमेटी बनाई गई थी उस वक्त उस के सामने वह फिगर्स मौजूद थे कि कितने अनाथ बच्चे प्रान्तों में मौजूद हैं और वह किस तरह पर बिखरे हुए हैं । अगर उन तमाम अनाथलयों को गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेगी तो उस में बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा और उस के लिये बहुत ज्यादा इन्तजाम करने वालों की जरूरत पड़ेगी । यू० पी० की कमेटी ने जो खास खास सिफारिशें उस वक्त की थी, उन में से दो तीन सभापति महोदय, मैं आप की इजाजत से रखना चाहता हूं ।

सभापति : क्या माननीय सदस्य अधिक समय लेंगे ?

श्री रघुवीर सहाय : जी श्रीमान् !

सभापति : तब माननीय सदस्य अपना भाषण अगले गैर सरकारी दिन दें ।

संसद् की बैठक १६ मार्च के २ बजे उपरान्त तक के लिये स्थगित हो गई ।

संसद् की बैठक १६ मार्च १ सोमवार के २ बजे अपरान्त तक के लिये स्थगित हो गई ।